इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मानविकी विद्यापीठ

BHDLA - 135
हिंदी भाषा : विविध प्रयोग

भाषा तत्व और बोधन

1

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मानविकी विद्यापीठ

BHDLA-135
हिंदी भाषा : विविध प्रयोग

खंड

1

भाषा तत्व और बोधन

इकाई 1
हिंदी की लिपि और वर्तनी का परिचय 5

इकाई 2
हिंदी की ध्वनियाँ 21

इकाई 3
हिंदी का प्रयोजनमूलक स्वरूप 32

इकाई 4
विज्ञान के विषय का बोधन 53

इकाई 5
संस्कृति विषय का बोधन और शब्दकोश का उपयोग 67

इकाई 6
समाज विज्ञान विषय का बोधन और निबंध रचना का परिचय 83

इकाई 7
भाषण शैली 96

पाठ्यक्रम विशेषज्ञ समिति

प्रो. वी.रा. जगन्नाथन
अवकाश प्राप्त प्रोफेसर एवं निदेशक
मानविकी विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. टी.वी. कट्टीमनी
कुलपति
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
अमरकंटक (म.प्र.)

प्रो. ए. अरविन्दाक्षन
पूर्व प्रतिकुलपति
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
वर्धा (महाराष्ट्र)

प्रो. कृष्ण कुमार गोस्वामी
अवकाश प्राप्त प्रोफेसर
केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा (उ.प्र.)

प्रो. आर.एस. सर्राजु
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग
हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद

प्रो. आलोक गुप्ता
प्रोफेसर एवं डीन
हिंदी भाषा और साहित्य केंद्र,
गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय
गांधीनगर (गुजरात)

संकाय सदस्य

प्रो. सत्यकाम
(निदेशक)

प्रो. शत्रुघ्न कुमार

प्रो. स्मिता चतुर्वेदी
(पाठ्यक्रम संयोजक)

प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

पाठ्यक्रम संयोजक

प्रो. स्मिता चतुर्वेदी
मानविकी विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

खंड संयोजन, संशोधन एवं संपादन

प्रो. स्मिता चतुर्वेदी
मानविकी विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

पाठ्यक्रम निर्माण समिति

इकाई लेखक

डॉ. सुधीर कुमार माथुर, मैसूर
प्रो. वी.रा. जगन्नाथन
डॉ. श्रीमती वारीनी शर्मा, आगरा

संपादन सहयोग

डॉ. अरुण कुमार पाण्डेय
परामर्शदाता, हिंदी
मानविकी विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

सचिवालयीय सहयोग

श्री नवल कुमार

सामग्री निर्माण

श्री. के. एन. मोहनन
सहायक कुलसचिव (प्रकाशन)
सा. नि. वि. प्र., इग्नू, नई दिल्ली

श्री. सी. एन. पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी (प्रकाशन)
सा. नि. वि. प्र., इग्नू, नई दिल्ली

श्री. बाबूलाल रेवाड़िया
अनुभाग अधिकारी (प्रकाशन)
सा. नि. वि. प्र., इग्नू, नई दिल्ली

जुलाई, 2019

©इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2019

ISBN-978-93-89200-37-9

सर्वाधिकार सुरक्षित, इस कार्य का कोई भी अंश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

मानवीकी विद्यापीठ एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के बारे में विश्वविद्यालय कार्यालय मैदान गढ़ी नई दिल्ली से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव, सामग्री निर्माण एवं वितरण प्रभाग द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

लेजर टाइप सेटिंग : टेसा मीडिया एण्ड कंप्यूटर, C-206, A.F.Enclave-II, नई दिल्ली

मुद्रक : आकाशदीप प्रिंटर्स, 20–अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली–110002

पाठ्यक्रम का परिचय

अब आप बी.ए. सीबीसीएस के आधुनिक भारतीय भाषा पाठ्यक्रम के अंतर्गत 'हिंदी भाषा : विविध प्रयोग' का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ्यक्रम में कुल तेरह इकाइयाँ हैं। भाषा में आधारभूत कौशलों के विकास पर बल दिया जाता है। ये कौशल हैं : सुनकर समझना, पढ़ना, बोलना और लिखना। हमारी कोशिश है कि इस पाठ्यक्रम की मदद से इन चारों कौशलों का विकास किया जाए। इस पाठ्यक्रम में कुल 2 खंड हैं। पहले खंड में 7 इकाइयाँ और दूसरे खंड में 6 इकाइयाँ हैं।

भाषा के चारों कौशलों में दक्षता प्राप्त करने के लिए हमें भाषा के आधारभूत तत्वों (शब्दावली, शब्द–रचना, वाक्य–रचना, उच्चारण आदि) पर अधिकार प्राप्त करना होगा। इस पाठ्यक्रम की सभी इकाइयों में हम भाषा के विभिन्न तत्वों का समुचित विवेचन करेंगे। उनकी विशेषताओं का विश्लेषण करेंगे। उनके प्रयोगों से आपको परिचित कराएँगे और अभ्यास द्वारा उन्हें अर्जित करेंगे।

भाषा सीखने का प्रमुख उद्देश्य है कि हम भाषा के माध्यम से विचारों का आदान–प्रदान कर सकें। विविध विषयों को पढ़कर ज्ञान अर्जित कर सकें तथा साहित्य आदि पढ़कर उसका रसास्वादन कर सकें। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है कि आप यह समझ सकें कि विविध विषयों में हिंदी भाषा किस प्रकार प्रयुक्त होती है और उस विषय विशेष से संबद्ध शब्दावली किस प्रकार की होती है। इसी उद्देश्य से हमने इस पाठ्यक्रम में विविध विषयों से संबंधित लेख, निबंध, भाषण आदि आपके अध्ययन के लिए दिए हैं। इनके अध्ययन से आप यह समझ सकेंगे कि हिंदी भाषा में अभिव्यक्त विविध विषयों की शब्दावली की क्या विशेषताएँ होती हैं और उनकी भाषिक संरचना कैसी होती है।

खंड 1 में हिंदी की लिपि और वर्तनी का परिचय दिया गया है और उनकी विशेषताएँ बताई गई हैं। इकाई 2 में उच्चारण संबंधी विशेषताओं को उद्धरणों द्वारा स्पष्ट किया गया है। खंड की अन्य इकाइयों में विविध विषयों में हिंदी के विशिष्ट प्रयोगों की जानकारी दी गई है। खंड 2 में ज्ञान के विविध अनुशासनों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी की विशेषताओं और पारिभाषिक शब्दावली का विश्लेषण किया गया है। इन्हें विस्तार से समझाने के लिए ज्ञान–विज्ञान के विषयों से संबद्ध कुछ पाठ भी दिए गए हैं। इनका अध्ययन कर आप हिंदी के विविध संदर्भों को आसानी से पहचान सकेंगे।

इन सब इकाइयों में पाठों से संबंधित व्याकरणिक बिंदुओं को विशेष रूप से समझाया गया है और उनके अभ्यास भी दिए गए हैं। जो भाषा की दक्षता बढ़ाने में उपयोगी होंगे।

इकाइयों के बाद विषय विशेष से संबद्ध आगे के अध्ययन के लिए आप पाठ के अंत में दी गई उपयोगी पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं।

शुभकामनाओं के साथ,

खंड 1 का परिचय

इस खंड में हमारा लक्ष्य पढ़ने और समझने के कौशलों का विकास करना है। इसके लिए हमने कुछ विशेष विषयों से संबद्ध पाठ्यांश चुने हैं। इन पाठ्यांशों के माध्यम से आप यह समझ सकेंगे कि हिंदी में विविध विषयों का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार किया जाता है और उसमें किस तरह की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग होता है।

हिंदी भाषा को पढ़ने और समझने से पहले उसके आधारभूत तत्वों पर अधिकार प्राप्त करना आवश्यक है, जिससे आप पाठों को अच्छी तरह समझ सकें। भाषा सीखने की इस प्रक्रिया में खंड की पहली दो इकाइयों में आप हिंदी भाषा की ध्वनि और लिपि का परिचय प्राप्त करेंगे। इसके साथ–साथ इन इकाइयों में अभ्यास भी दिए गए हैं। इकाई 3 में हिंदी के प्रयोजनमूलक स्वरूप की चर्चा की गई है। पाठ में प्रयोजनमूलक भाषा का तात्पर्य समझाने के साथ ही विभिन्न प्रयुक्तियों में भाषा के स्वरूप और शब्दावली में आइए बदलाव को भी स्पष्ट किया गया है।

इकाई 4 में विज्ञान से संबंधित एक पाठ है जो पत्र की शैली में लिखा गया है। विज्ञान विषय में अनेक आगत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस विषय से संबंधित अधिक जानकारी के लिए विज्ञान में प्रयुक्त आगत शब्द और उनके अर्थ भी पाठ में दिए गए हैं। इकाई 5 और 6 में दिए गए पाठ सांस्कृतिक और सामाजिक विषयों से संबंधित हैं। इनमें शब्दकोश के उपयोग की जानकारी दी गई है। ये दोनों पाठ निबंध की शैली में लिखे गए हैं। हिंदी में किसी विषय पर निबंध लिखते समय कौन–कौन से बिंदुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, इसकी जानकारी भी आपको इन पाठों के अध्ययन से प्राप्त होगी।

खंड की इकाई 7 में आप स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 1966 में लाल किले से दिया गया भाषण पढ़ेंगे। यह पाठ भाषण शैली का एक नमूना है। इस पाठ में भी हम भाषण शैली की विशेषताओं की चर्चा करेंगे और हिंदी के शब्दों के विशिष्ट प्रयोगों से आपको अवगत कराएँगे।

इन सब इकाइयों में पाठों से संबंधित व्याकरणिक बिंदुओं को विशेष रूप से समझाया गया है। अगर आप इस खंड में सीखे हुए बिंदुओं को ध्यान में रखें तो अधिक आसानी से विविध विषयों का वाचन कर सकेंगे और वाचन के अभ्यास से अभिव्यक्ति में पर्याप्त दक्षता हासिल कर सकेंगे। प्रत्येक इकाई के अंत में हमने विषय से संबद्ध उपयोगी पुस्तकों की सूची भी दी है। पुस्तकालय जाकर आप इन पुस्तकों के माध्यम से विषय का गहन अध्ययन भी कर सकते हैं।

इकाई 1 हिंदी की लिपि और वर्तनी का परिचय

इकाई की रूपरेखा

1.0 उद्‌देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 भाषा और लिपि

1.2.1 लिपि से फायदे

1.2.2 लेखन की विधि

1.3 देवनागरी लिपि

1.3.1 वर्णों का मानक रूप

1.3.2 लेखन की कठिनाइयाँ

1.3.3 वर्तनी

1.4 वर्तनी के कुछ नियम

1.5 हिंदी लिपि और वर्तनी का मानकीकरण

1.6 सारांश

1.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.0 उद्‌देश्य

हिंदी भाषा से संबद्‌ध इस इकाई में हम आपको हिंदी की लिपि और वर्तनी का परिचय दे रहे हैं।

इस इकाई को पढ़कर आप :

- भाषा प्रयोग में लिपि के लाभों को बता सकेंगे;
- भाषा प्रयोग में लिपि के लाभों को समझा सकेंगे;
- लिपि का स्वरूप स्पष्ट कर सकेंगे;
- देवनागरी लिपि को समझ कर मानक वर्णों का इस्तेमाल कर सकेंगे;
- संयुक्त वर्णों को सही लिख सकेंगे;
- मानक हिंदी वर्तनी के नियमों को अपना सकेंगे और वर्तनी संबंधी दोषों को दूर कर सकेंगे; और
- लेखन की कठिनाइयों को पहचान कर उनका निवारण कर सकेंगे।

1.1 प्रस्तावना

हम सब हिंदी भाषा बोलते और लिखते हैं और इन दोनों माध्यमों से एक–दूसरे से विचारों का आदान–प्रदान करते हैं। जो बातें हम मौखिक या उच्चरित रूप से करते हैं, उन्हें हम लेखन द्‌वारा भी प्रकट करते हैं। यह कैसे संभव होता है ? उच्चारण और लेखन में हम कैसे तालमेल बैठाते हैं? लिपि से हम उच्चरित भाषा को कागज पर मूर्त रूप देते हैं। लिपि और

उच्चारण, भाषा के मूल तत्व हैं। इन्हें जानना भाषा को अच्छी तरह सीखने के लिए आवश्यक है। इकाई 1 में हम लिपि का परिचय प्राप्त करेंगे और इकाई 2 में उच्चारण संबंधी विशेषताओं की चर्चा करेंगे।

आपने देखा होगा कि लोग एक ही वर्ण को भिन्न–भिन्न प्रकार से लिखते हैं। हम क्या लिखें? इस संशय को मिटाने और वर्णों के लेखन की विविधता को समाप्त करने के लिए, जिससे टंकण, मुद्रण आदि में एकरूपता आ सके, भारत सरकार ने मानक देवनागरी लिपि का सुझाव दिया है। साथ ही वर्तनी के कुछ नियम बताए हैं। इनका पालन करने पर लिपि में एकरूपता आएगी और सीखना–सिखाना सहज होगा।

शब्द का लिखित रूप उसकी वर्तनी कहलाता है। आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग वर्तनी की गलतियाँ करते हैं। 'परीचय', 'लिपी', 'समापत', 'हिन्दी', 'बर्ण', 'मूद्रण' आदि गलत रूप है, जबकि इन शब्दों के सही रूप हैं परिचय, लिपि, समाप्त, हिंदी, वर्ण, मुद्रण। आप भी ऐसी गलतियाँ करते होंगे, तो आप सोचते होंगे कि इन दोषों से बचा कैसे जाए। कुछ नियम हैं जिनसे हम वर्तनी के दोषों को कुछ हद तक पकड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा नियम है कि हम सही उच्चारण को पहचानें, सही उच्चारण करें। इस इकाई में तथा आगे की ईकाइयों में आपको वर्तनी के बारे में और जानकारी दी जाएगी।

कुछ शब्द दो तरह से लिखे जाते हैं और दोनों रूप सही माने जाते हैं। जैसे 'गरम', 'गर्म'। इन शब्दों के बारे में भी हमें जानना होगा। आइए, अब हम पाठ प्रारंभ करें, जिसमें ऊपर की बातों के संदर्भ में लिपि, मानक देवनागरी लिपि, वर्तनी आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

1.2 भाषा और लिपि

आप यह पाठ पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आपके सामने मैं नहीं हूँ, फिर भी लगता है मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, जैसे सामने बैठे सुन रहे हों। यह कैसे संभव हुआ है? आप भाषा के लिखित रूप को पढ़ रहे हैं। आपके सामने छपे हुए ये अक्षर हैं। इन्हीं अक्षरों से आप भाषा के उच्चरित रूप पहचान रहे हैं और अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। इस तरह हम लिपि के माध्यम से भी एक–दूसरे से 'बातचीत' कर सकते हैं, जैसे बोलकर अपने भावों को अभिव्यक्ति देते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि पढ़ना, सुनने का दूसरा रूप है।

लिपि के महत्व पर विचार करने से पूर्व हमें भाषा के महत्व पर भी विचार कर लेना चाहिए। भाषा वह माध्यम है, जिस पर मानव समाज का बहुमुखी विकास निर्भर करता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भाषा के बिना मनुष्य सोच भी नहीं सकता। उसका संपूर्ण चिंतन उसकी मातृभाषा में होता है। लेकिन भाषा में चिंतन और विकास की आधारभूमि लिपि है। लिपिबद्ध भाषा या लेखन कला के उद्‌भव से ही भाषा का चरम विकास संभव हो सका है।

1.2.1 लिपि से फायदे

लिपि के विकास से पहले मनुष्य सिर्फ बोलता था, वह लिखता नहीं था। संस्कृति के विकास के साथ लिखना प्रारंभ हुआ। पहले मनुष्य ताड़ के पत्तों पर या भोजपत्र पर लिखता था। कुछ लोग गीली मिट्‌टी पर या पत्थरों पर लिखते थे। कुछ संस्कृतियों में धातु पटल पर लिखने का प्रमाण मिलता है। प्राचीनकाल में लिखना बहुत कठिन काम था। इसलिए इसका अधिक प्रचार नहीं हुआ था, संसार में कम भाषाएँ लिखी जाती थीं। मध्य युग में कागज़ का

उत्पादन आरंभ हुआ और छपाई का प्रचलन हुआ। तब से लिखने का व्यापक प्रचार हुआ है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग लिखना–पढ़ना सीखें। जिसे लिखना–पढ़ना नहीं आता उसे हम अशिक्षित कहते हैं।

ऐसा क्यों ? लिखने–पढ़ने से ही ज्ञान का विस्तार हो सकता है। हम यह भी देखते हैं कि जो भाषाएँ लिखी जाती हैं, वे ही प्रगति करती हैं, उनको बोलने वाला समाज उन्नति करता है। आप जानना चाहेंगे कि लिपि से समाज के विकास का क्या संबंध है ?

1) लिपि का सबसे बड़ा गुण है विचार को सुरक्षित रखते हुए उसे समय से आगे बढ़ाना। हम बोलते हैं तो बात खत्म हो जाती है। लिखने पर उसे स्थायित्व मिल जाता है। लिखे हुए अक्षर ध्वनि की तरह मिट नहीं जाते। आप अपने विचारों को खुद बाद में पढ़ सकते हैं। इस कारण हम अधिक व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, थोड़े शब्दों में सारी बात को रखने का प्रयत्न करते हैं। बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा के स्वरूप में अंतर है। इसके बारे में हम आगे के पाठों में विस्तार से पढ़ेंगे। यह कह सकते हैं कि लिखने से भाषा का विकास होता है।

2) लिपि से भाषा यानी भाषा के माध्यम से कहे हुए विचार सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसी कारण हमारे पास पुराने जमाने की कृतियाँ सुरक्षित हैं, उस समय का ज्ञान–विज्ञान सुरक्षित है। ये विचार पीढ़ी–दर–पीढ़ी आगे जाते हैं। इसी कारण मानव विकास करता जाता है। मानव विकास के लिए लिपि आवश्यक है। विकास की यह कहानी ही हमारी संस्कृति है। लिपि के कारण हम संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं।

3) लिपि के माध्यम से हम संप्रेषण का विस्तार कर सकते हैं। आप बोलेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार लोग आपको सुन सकेंगें लेकिन अखबार में लिखें तो ? शायद लाखों लोग आपको 'सुन' सकेंगे। भारत के ही नहीं दुनिया के कोने–कोने में बैठे हुए लोग आपके विचार जान सकेंगे। लेखन से आने वाली पीढ़ियाँ भी आपके विचार जान सकेंगी।

1.2.2 लेखन की विधि

लेखन क्या है ? लिपि क्या है ? हम जिस क्रम में ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, उसी क्रम में उन्हें पूर्व निश्चित आकारों के माध्यम से दिखाना ही लिपि है। अर्थात् लिपि में उच्चरित ध्वनियों के लिए चिह्न निश्चित करते हैं। इन चिह्नों को वर्ण कहते हैं। जैसे वर्ण 'प' एक ध्वनि का प्रतीक है, इसी तरह 'ब' किसी दूसरी ध्वनि का। शब्द 'काल' में तीन ध्वनियाँ हैं– क्, आ, ल्। लेखन में भी हम तीन वर्णों से इस क्रम को दिखाते हैं। किसी भाषा की वर्णमाला उस भाषा की सभी ध्वनियों के प्रतीकों की व्यवस्था होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला की लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है। यह लिपि हिंदी की ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है।

ऐसा नहीं कि सारी भाषाओं में एक जैसी लिपि–व्यवस्था हो। देवनागरी लिपि बायीं ओर से दायीं ओर लिखी जाती है। अरबी भाषा की लिपि में लेखन दायें से बायें चलता है, जापानी भाषा में वर्ण ऊपर से नीचे के क्रम में लिखे जाते हैं। चीनी भाषा में ध्वनियों के अलग संकेत नहीं होते, बल्कि पूरा शब्द एक तस्वीर की तरह होता है, इसी कारण चीनी लिपि को चित्र लिपि कहते हैं। इन भिन्नताओं के बावजूद हम कह सकते हैं कि लिपि, रेखाओं और आकारों के माध्यम से उच्चरित भाषा का संकेत करती है।

देवनागरी लिपि का पूर्ण परिचय प्राप्त करने से पूर्व आपके लिए रोमन लिपि के लेखन से उसकी तुलना उपयोगी हो सकती है। आप में से अधिकांशतः रोमन लिपि से परिचित होंगे। देवनागरी लिपि में प्रायः शब्दों के आदि और अंत को छोड़कर व्यंजनों के साथ स्वर के

स्थान पर केवल मात्राओं का प्रयोग होता है, जबकि रोमन में सर्वत्र शब्दों में व्यंजन और स्वर का प्रयोग अनिवार्य है। जैसे– कामता प्रसाद = KAMTA PRASAD. । देवनागरी का यह शब्द क् + आ + म् + त् + आ + प् + र् + स् + आ + द् + अ वर्णमाला की 11 ध्वनियों से निर्मित है। लेकिन व्यंजनों के साथ मात्राओं के उपयोग से यह शब्द अत्यंत संक्षिप्त हो गया है। जबकि रोमन में वर्णमाला की ग्यारह ध्वनियों का प्रयोग करने के कारण शब्द बड़ा हो गया है, जो अधिक स्थान घेरता है। इसलिए देवनागरी लिपि हिंदी के लिए अधिक सुगम, संक्षिप्त और वैज्ञानिक लिपि है।

आपने अभी लिपि की उत्पत्ति और उसके महत्व के बारे में जाना। अब नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए।

बोध प्रश्न

1) नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं जो कथ्य की दृष्टि से सही या गलत हैं। बताइए, कौन से वाक्य सही हैं कौन से गलत ?

   1. आदमी ने बोलना पहले सीखा, लिखना बाद में। ( ) सही ( ) गलत
   2. भोजपत्रों का उपयोग छपाई के लिए होता था। ( ) सही ( ) गलत
   3. लिपि से विचारों को स्थायित्व मिलता है। ( ) सही ( ) गलत
   4. बोलचाल की भाषा और लिखने की भाषा के स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता ( ) सही ( ) गलत
   5. विचार को समय से आगे बढ़ाना लिपि का सबसे बड़ा गुण है। ( ) सही ( ) गलत
   6. जो भाषाएँ लिखी जाती हैं, वे ही प्रगति करती हैं। ( ) सही ( ) गलत
   7. सारी भाषाओं में एक जैसी लिपि व्यवस्था होती है। ( ) सही ( ) गलत
   8. लिखे हुए अक्षर भी ध्वनि की तरह मिट जाते हैं। ( ) सही ( ) गलत
   9. मानव के सामाजिक–सांस्कृतिक विकास में लिपि का कोई योगदान नहीं है। ( ) सही ( ) गलत
   10. चीनी भाषा में ध्वनियों के अलग संकेत नहीं होते बल्कि पूरा शब्द एक तस्वीर की तरह होता है। ( ) सही ( ) गलत

2) नीचे लिखे वाक्यों के साथ कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से जो सही उत्तर हो उसे रिक्त स्थान में लिखिए।

   1. भाषा में उच्चरित ध्वनियों के लिए जिन चिह्नों का प्रयोग करते हैं उन्हें ..... कहते हैं। (शब्द / वर्ण / वर्तनी)
   2. हिंदी की ध्वनियों का प्रतिनिधित्व ..... करती है। (देवनागरी लिपि / रोमन लिपि)
   3. जापानी भाषा में वर्ण ..... लिखे जाते हैं। (ऊपर से नीचे की ओर / दायें से बायें / बायें से दायें)
   4. मानक लिपि से भाषा में ..... आती है। (एकता / एकरूपता)
   5. चित्र लिपि ..... संबंधित है। (जापानी भाषा से / चीनी भाषा से)

1.3 देवनागरी लिपि

1.3.1 वर्णों का मानक रूप

हिंदी का क्षेत्र अत्यंत विशाल है। इस कारण कुछ वर्णों के लेखन में विविधता का होना स्वाभाविक है। लेकिन इससे मुद्रण में कठिनाई होती है। लोगों को सीखने–सिखाने में भी कठिनाई होती है। आज कंप्यूटर के माध्यम से शब्दों का संयोजन किया जाता है। पहले यही काम टाइप राइटर से होता था। दोनों ही स्थितियों में मानक वर्णों का इस्तेमाल अनिवार्य है। इसी कारण भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय को मानक देवनागरी लिपि निर्धारित करने का कार्य सौंपा। इसका उद्देश्य यह था कि हम निश्चित करें कि आगे से कौन–कौन से वर्ण मानक होंगे। इस कार्य के पीछे यह उद्देश्य था कि लोग मानक वर्णों का ही प्रयोग करें, जिससे भाषा में एकरूपता आए। निदेशालय ने 1966, 2006 में मानक देवनागरी लिपि प्रस्तुत की। आगे हम इस मानक लिपि का परिचय प्राप्त करेंगे।

यहाँ हम मानक देवनागरी वर्णमाला दे रहे हैं :

स्वर : अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ

मात्राएँ : ा (आ), ि (इ), ी (ई), ु (उ), ू (ऊ), ृ (ऋ), े (ए), ै (ऐ),
ो (ओ), ौ (औ),

अनुस्वार : ं (अं)

विसर्ग : ः (अः)

व्यंजन	क	ख	ग	घ	ङ
	च	छ	ज	झ	ञ
	ट	ठ	ड	ढ	ण
	त	थ	द	ध	न
	प	फ	ब	भ	म
	य	र	ल	व	
	श	ष	स	ह	
द्विगुण व्यंजन :	ड़	ढ़			
संयुक्त व्यंजन :	क्ष	त्र	ज्ञ	श्र	

1.3.2 लेखन की कठिनाइयाँ

अब हम लेखन की कुछ कठिनाइयों की बात करेंगे। आप निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए।

पद्मा, उद्यान, द्वारा, उद्देश्य, उद्धार ।

क्या आपने सारे शब्द पढ़ लिए ? न पढ़ सके हों, तो चिंता नहीं। क्योंकि ये वर्ण छपाई में कम होते जा रहे हैं। पहले की पुस्तकों में ऐसे शब्द ज़्यादा छपते थे। लेकिन आधुनिक छपाई की मशीनों में इनके छपने की गुंजाइश कम है।

'द्म' दो वर्णों का योग है। द् + म। इन दोनों के मिलने से एक तीसरा ही रूप बन जाता है। इसी सिलसिले में हम एक और प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। यह है सरलीकरण। आगे के शब्दों को देखिए :

पद्मा, उद्यान, द्वारा, उद्देश्य, उद्धार। हमने यहाँ हलंत (्) चिह्न का प्रयोग किया, जिससे छः तरह के संयुक्त वर्णों के लेखन से बच गए। 'द्म' (या द्म) संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। निदेशालय ने संयुक्त वर्ण बनाने के संबंध में भी अपने कुछ सुझाव दिए हैं। इससे लेखन–विधि, मुद्रण आदि सरल हो जाते हैं।

संयुक्त वर्ण बनाने की विधि : मानक वर्णों से संयुक्त व्यंजन बनाने के संदर्भ में तीन बाते हैं :

क) र, ऋ से बनने वाले संयुक्त व्यंजनों के निम्नलिखित रूप होंगे :

जैसे – क्रम, श्रम, तर्क, ड्रामा, बर्र, रुपया, रूप, ह्रदय, शृंगार, दृष्टि इत्यादि।

ख) आप निम्नलिखित वर्णों को देखिए और उसमें समान तत्व पहचानिए।

क्ष स श व ल य

पहचान लिया ? सबके अंत में एक खड़ी पाई है उसे निकाल दीजिए और उसके स्थान पर दूसरा वर्ण रख दीजिए। संयुक्त वर्ण बन गया। उदाहरण देखिए– मुख्य, ग्यारह, विघ्न, प्राच्य, राज्य, पुण्य, पत्ता, तथ्य, ध्यान, न्याय, प्यार, ब्याह, अभ्यास, म्यान, मल्ल, द्रव्य, श्याम, शिष्य, स्याही, लक्ष्य।

ग) अब वर्ण क और फ से संयुक्त वर्ण बनाने के लिए इनकी आखिरी रेखा थोड़ी काट दें, तो संयुक्त वर्ण बन जाएँगे। जैसे क, फ – मुक्त, हफ्ता।

घ) अब कुछ वर्ण और बचे हैं।

छ ट ठ ड ढ द ह

आप सुझा सकते हैं कि इनका रूप कैसे बनेगा ? ऊपर हमने 'पद्मा' के लिए विकल्प दिया था। वह फिर से देखिए। आपको मालूम पड़ेगा कि हलंत चिह्न लगाकर आप इनके संयुक्त वर्ण बना सकते हैं। जैसे, उच्छ्वास, नाट्यशास्त्र, पाठ्यक्रम, धनाढ्य, पद्म, चिह्न।

1.3.3 वर्तनी

अब हम सरलीकरण की ही प्रक्रिया के संदर्भ में वर्तनी की चर्चा करेंगे।

निम्नलिखित शब्द की वर्तनी के चार रूप हैं :

संबंध, सम्बन्ध, संबन्ध, सम्बंध।

आपको मुद्रण में ये चारों ही रूप मिलेंगे। इससे सीखने वालों को कठिनाई भी होती है। यहाँ एकरूपता लाने की आवश्यकता है।

हिंदी निदेशालय ने सलाह दी है कि पंचम वर्ण को उस वर्ग के पहले चार वर्णों से पहले अनुस्वार से दिखाया जाए। जैसे न को त, थ, द, ध से पहले यों लिखा जाए :

मानक रूप	अंत	पंथ	बंद	अंधा
पूर्व रूप	अन्त	पन्थ	बन्द	अन्धा

इस तरह के अन्य कुछ उदाहरण भी देखे जा सकते हैं जो अन्य नासिक्य व्यंजनों के साथ आते हैं :

संबंध	हिंदी	टंकण	चंचल	गंगा	मंत्री
झंडा	झंझा	संभव	पंछी	संघ	कंठी

इस पद्धति से भाषा में एकरूपता आएगी, लिखने में सरलता आएगी।

लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि नासिक्य व्यंजनों के बाद उस वर्ग के पहले चार वर्णों के अलावा और कोई वर्ण आएगा तो नासिक्य व्यंजन का आधा रूप लिखा जाएगा; अनुस्वार नहीं :

सही रूप		गलत रूप
पुण्य	ण + य	पुंय
गन्ना	न + न	गंना
साम्य	म + य	सांय
निम्न	म + न	निंन

बोध प्रश्न

3) पंचमाक्षरों के प्रयोग से बनने वाले कुछ शब्द लिखिए।

1)

2)

3)

4)

4) संयुक्ताक्षरों के प्रयोग से बनने वाले कुछ शब्द लिखिए।

1) 6)

2) 7)

3) 8)

4) 9)

5) 10)

5) आगे के शब्दों को सही वर्तनी में लिखिए :

1 पन्डित	4 सम्बंध
2 संमार्ग	5 संमान
3 कन्चन	6 अंनदाता

1.4 वर्तनी के कुछ नियम

शब्द का लिखित रूप उसकी 'वर्तनी' कहलाता है। इसी को हम 'हिज्जे' भी कहते हैं। जैसे 'किताब' सही वर्तनी है, 'कीताब' गलत वर्तनी। हमें शब्दों को सही वर्तनी में लिखना चाहिए, तभी वाक्य का सही अर्थ निकलेगा। जैसे 'मैं फल खा रहा हूँ' में 'फल' की जगह 'पल' लिखेंगे, तो वाक्य निरर्थक होगा। यहाँ हम वर्तनी की कुछ विशेष बातें देखेंगे, आगे की इकाइयों में वर्तनी के और अभ्यास करेंगे।

आपने देखा कि मानक वर्णमाला में हमने चंद्रबिंदु (ँ) को नहीं दिखाया। निम्नलिखित दोनों शब्दों में वर्तनी में अंतर है, उच्चारण में अंतर है और अर्थ में अंतर है :

हंस – एक पक्षी,

हँसना – एक क्रिया व्यापार

हमें दोनों के प्रयोगों को समझना होगा।

चंद्रबिंदु (अनुनासिकता) : इसे हम चिह्न (ँ) से दिखाते हैं। जैसे :

हँसना, आँख, पूँछ, बूँद, दाँत, ऊँट, दायाँ, बायाँ, लड़कियाँ। लेकिन जब अनुनासिकता को हम ऊपर मात्रा वाले वर्णों के साथ लिखेंगे, तो उसे अनुस्वार (ं) से लिखते हैं जैसे :

गेंद, ईंट, औंधा, गोंद, पैंसठ, कहीं।

आपको अनुस्वार (ं) अनुनासिक (ँ) के अंतर को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अनुस्वार वर्णमाला के पंचमाक्षर ङ, ञ, ण, न, म के लिए प्रयुक्त होते हैं। जबकि अनुनासिक नाक से निकलने वाली ध्वनि मात्र है। अनुस्वार के सभी रूपों के लिए मुद्रण टंकण में प्रायः (ं) चिह्न का प्रयोग होने लगा है– जैसे क्रांति (क्रान्ति), शांति (शान्ति)। लेकिन भाँति, को भान्ति, भी लोग लिख देते हैं, जो गलत है। अतः इसके समाधान के लिए आप स्वयं उच्चारण करके वर्तनी निर्धारित करें।

ऐसे स्थलों पर हमें वर्तनी और उच्चारण दोनों बातों को साथ लेकर चलना होगा। अगली इकाई में हम उच्चारण के बारे में और विचार करेंगे।

वर्णमाला में हमने 'ड़' और 'ढ़' को भी दिखाया है, अनुस्वार और अनुनासिक की तरह हिंदी में ड़ और ढ़ को लेकर भी काफी भ्रम है। हिंदी की ये नई ध्वनियाँ हैं जो 'ट' वर्ग के 'ड' और 'ढ' से मिलती हैं। 'डर' को 'ड़र' और 'गढ़' को 'गढ' लिख देने की गलती प्रायः देखी जाती है। इसे हम वर्तनी के स्तर पर कैसे दिखाएँ? 'ड' और 'ड़' के प्रयोग संबंधी कुछ नियमों के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं।

'ड' का प्रयोग देखिए :

ड–शब्द के आरंभ में –

डालना, डोली, डूबना

व्यंजन गुच्छ में –

खड्ग, कार्ड, गुड्डी

अनुस्वार के बाद –

पंडित, कांड

उपसर्ग के बाद –

नि + डर = निडर, बे + डौल = बेडौल

'ड़' का प्रयोग देखिए –

लड़का, पेड़, बड़बड़, लड़की, साँड़, जड़ता, सड़क।

आपने देखा कि 'ड' का प्रयोग शब्द के आरंभ में, व्यंजन गुच्छ (संयुक्ताक्षर), अनुस्वार के बाद और उपसर्ग के बाद होता है।

'ड़' का प्रयोग हमेशा स्वतंत्र रूप में होता है। इससे शब्द का आरंभ नहीं होता है।

इस नियम की जानकारी होने पर वर्तनी के दोष दूर किए जा सकते हैं।'ढ' और 'ढ़' के लेखन में भी 'ड' और 'ड़' के लेखन वाले नियम लागू होते हैं।

आप यह सवाल कर सकते हैं कि वर्तनी के सभी दोषों को दूर करने का क्या उपाय है? जैसे ह्रस्व, दीर्घ स्वरों के दोषों को कैसे दूर करें। दरअसल, वर्तनी के बहुत से दोषों का कारण उच्चारण है। उच्चारण सही हो, तो वर्तनी भी ठीक होगी। यह हिंदी भाषा की विशेषता है कि अधिकतर हम वही लिखते हैं, जो हम बोलते हैं। इसलिए ह्रस्व–दीर्घ स्वरों का उच्चारण सही करें, तो वर्तनी सही लिख सकते हैं। दिन, दीन में उच्चारण का अंतर है, जाति, जाती में उच्चारण का अंतर है। अतः यह स्पष्ट है कि सही उच्चारण से ही हम सही वर्तनी का प्रयोग कर सकते हैं।

यहाँ हम लिपि के आधार पर कुछ वर्णों की वर्तनी की चर्चा करेंगे। भाषा में शब्द कई स्रोतों से आते हैं, वे अपने उच्चारण के साथ आते हैं। अगर आप शब्द के स्रोत को पहचान सकें, तो वर्तनी को निश्चित कर सकेंगे। जैसे हिंदी में संस्कृत से आए शब्द हैं– कार्य, रक्षा, अध्ययन, वास्तविक, उद्योग आदि। अरबी–फ़ारसी स्रोत से आए (उर्दू के) शब्द हैं– मालूम, फ़ायदा, नकल, उम्र, मदरसा आदि। अंग्रेजी से आए शब्द हैं– साइकिल, रेल, डॉक्टर, टेलीफ़ोन, कंप्यूटर, माउस, की–पैड, मॉनिटर, स्क्रीन, बैट्री, मोबाइल आदि। हम यहाँ इन शब्दों की वर्तनी की कुछ विशेषताओं की चर्चा करेंगे।

1) केवल संस्कृत शब्दों में ऋ, ष, क्ष, ज्ञ, ण, विसर्ग (:) आदि वर्ण मिलते हैं। इसलिए उर्दू या अंग्रेज़ी शब्दों में 'क्ष' नहीं आएगा, बल्कि 'क्श' आएगा। जैसे रिक्शा, डिक्शनरी, नक्शा आदि। संस्कृत शब्दों में (जैसे रक्षा, शिक्षित आदि में) 'क्श' नहीं आ सकता।

2) केवल संस्कृत शब्दों में शब्द के अंत में ह्रस्व स्वर इ, उ आते हैं। जैसे, जाति, गति, तिथि, अस्थि, वायु, आयु आदि। किसी उर्दू या अंग्रेजी शब्द के अंत में ह्रस्व स्वर इ, उ नहीं आते।

3) क़, ख़, ज़, फ़, ग़ अरबी–फारसी शब्दों में आते हैं। इसलिए बाक़ी, राज़ी, बाग़ी, गुफ़्तगू आदि दीर्घ अंतिम स्वर से ही लिखे जाएँगे। अंग्रेजी से आए शब्दों में आप, ज़, फ़, को देख सकते हैं, जैसे :

   डॉक्टर, ज़ेबरा, ज़ीरो, ज़िप, जूम आदि।

4) संस्कृत के कुछ शब्दों में अंतिम स्थान पर 'म' के उच्चारण के लिए अनुस्वार लिखा जा सकता है। जैसे, एवं, स्वयं, अहं, अन्य शब्दों में हम 'म' के लिए अनुस्वार नहीं लिख सकते। जैसे :

   'मौसम' को 'मौसं' नहीं लिख सकते।

5) कुछ शब्दों के सही और गलत हिज्जे को देखिए :

   सही – उद्धार, प्रत्येक, निर्जन, अस्वस्थ, सम्राट, नागरिक, जागरण, नरक

   गलत – उदधार, प्रतयेक, निरजन, असवस्थ, समराट, नाग्रिक, जाग्रण, नर्क

ये शब्द संस्कृत के हैं। आम तौर पर संस्कृत शब्दों में शब्दों के दो रूप नहीं मिलते। इसके विपरीत उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों में कई जगह वर्तनी के दो रूप मिलते हैं और दोनों सही माने जा सकते हैं। जैसे, कुर्ता/कुरता, शर्बत/शरबत, पर्दा/परदा, शर्म/शरम, बिलकुल/बिल्कुल, बरतन/बर्तन, उमर/उम्र, खयाल/ख्याल, इनकार/इन्कार, आदि। यहाँ हमारे पास उच्चारण या शब्द रचना का कोई आधार नहीं है। इसलिए हमें दोनों शब्दों को सही मानना होगा।

यहाँ तक हमने अन्य स्रोतों से आये शब्दों की चर्चा की। हिंदी के अपने शब्दों में भी शब्द–निर्माण के आधार पर कुछ नियम बनाए जा सकते हैं। जैसे उलट (ना) से 'उलटा' बना, यहाँ 'उल्टा' लिखना गलत है। इसी तरह भर (ना) से 'भरती', इसलिए 'भर्ती' उचित नहीं है। हिंदी में 'चिठ्ठी' 'पथ्थर' जैसे शब्द गलत हैं, क्योंकि हिंदी में ठ्ठ, थ्थ जैसे संयुक्त वर्ण नहीं आते। ऐसे कुछ नियमों के अध्ययन से हम सही भाषा लिखने की ओर प्रवृत्त हो सकेंगे। लेकिन जहाँ नियम नहीं बन सकते, हमें अपने उच्चारण की शुद्धता पर बल देना होगा।

बोध प्रश्न

6. निम्नलिखित शब्दों को सही वर्तनी में लिखिए।

1)	पेड	6)	रिक्षा
2)	भठ्ठी	7)	सुरक्शा
3)	मछ्छर	8)	उददेश्य
4)	ढ़िठाई	9)	निरमल
5)	लडाई	10)	बुध्ध

7. नीचे शब्दों के दो–दो रूप दिए जा रहे हैं। इनमें से कुछ के दोनों रूप सही हैं और कुछ में एक सही है। सही शब्द/शब्दों पर (√) चिह्न लगाइए।

1)	तीवर/तीव्र	5)	अक्ल/अकल
2)	इन्सान/इनसान	6)	शिक्षण/शिक्शण
3)	पथ्थर/पत्थर	7)	घड़ीयाँ/घड़ियाँ
4)	मुर्गियाँ/मुर्गीया	8)	गरम/गर्म

1.5 हिंदी लिपि और वर्तनी का मानकीकरण

जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि हमारे उच्चारण में ध्वनियों की भिन्नता मिलती है उसी प्रकार देवनागरी लिपि के लेखन में लिपि–चिह्नों की भिन्नता दिखाई देती है। विभिन्नता में एकता लाने का प्रयास भारत सरकार ने मानक देवनागरी लिपि से किया है। लिपि के इस मानकीकरण के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1983 और 2006 में 'देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण' पुस्तिका प्रकाशित की थी। उक्त पुस्तिका में वर्तनी तथा विराम चिह्नों के मानक लेखन के बारे में कुछ नियम दिए गए हैं, जिन्हें हम आगे दे रहे हैं। इनका ध्यान से अध्ययन कीजिए।

वर्तनी संबंधी अद्यतन नियम इस प्रकार हैं :

1) संयुक्त वर्ण

क) खड़ी पाई वाले व्यंजन :

खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए, जैसेः

ख्याति,	लग्न,	विघ्न	व्यास
कच्चा,	छज्जा		श्लोक
नगण्य			राष्ट्रीय

कुत्ता,	पथ्य, ध्वनि, न्यास	स्वीकृति
प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य	यक्ष्मा	
शय्या	उल्लेख	त्र्यंबक

ख) अन्य व्यंजन

अ) 'क' और 'फ़' के संयुक्ताक्षर :

संयुक्त, पक्का, दफ़्तर आदि की तरह बनाए जाएँ।

आ) ङ, छ, ट, ठ, ढ, द और ह के संयुक्ताक्षर हल् चिह्न लगाकर ही बनाए जाएँ, जैसे :

लट्टू, बुड्ढा, विद्या, चिह्न, ब्रह्मा आदि।

(लट्टू, बुड्ढा, विद्या, चिह्न, ब्रह्मा नहीं)।

इ) संयुक्त 'र' के प्रचलित तीनों रूप यथावत् रहेंगे। जैसे :

प्रकार, धर्म, राष्ट्र।

ई) 'श्र' का प्रचलित रूप ही मान्य होगा। इसे 'श्र' के रूप में नहीं लिखा जाएगा। त्+र के संयुक्त रूप के लिए त्र का प्रयोग सही रहेगा और 'क्र' को 'क्र' के रूप में नहीं लिखा जाएगा।

उ) हल् चिह्न युक्त वर्ण बनाने वाले संयुक्ताक्षर के द्वितीय व्यंजन के साथ 'इ' की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाएगा, न कि पूरे युग्म से पूर्व, जैसेः कुट्टिम, द्वितीय, बुद्धिमान, चिह्नित आदि

(कुट्टिम, द्वितीय, बुद्धिमान, चिह्नित नहीं)

ऊ) संस्कृत में संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकेंगे :
संयुक्त, विद्या, विद्वान, वृद्ध, द्वितीय, बुद्धि आदि।

2) विभक्ति–चिह्न

क) हिंदी के विभक्ति–चिह्न सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रातिपदिक से पृथक् लिखे जाएँ, जैसे – राम ने, राम को, राम से आदि तथा स्त्री ने, स्त्री को, स्त्री से आदि। सर्वनाम शब्दों में ये चिह्न प्रातिपदिक के साथ मिलाकर लिखे जाएँ जैसे – उसने, उसको, उससे, उसपर आदि।

ख) सर्वनाम के साथ यदि दो विभक्ति–चिह्न हों तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक् लिखा जाए, जैसे – उसके लिए, इसमें से।

ग) सर्वनाम और विभक्ति के बीच 'ही', 'तक' आदि का निपात हो तो विभक्ति को पृथक् लिखा जाए, जैसे – आप ही के लिए, मुझ तक को।

3) क्रियापद

संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएँ पृथक्–पृथक् लिखी जाएँ, जैसे – पढ़ा करता है, आ सकता है, जाया करता है, खाया करता है, जा सकता है, कर सकता है, किया करता है, पढ़ा करता था, खेला करेगा, घूमता रहेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं आदि।

4) हाइफ़न

हाइफ़न का विधान स्पष्टता के लिए किया गया है।

क) द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफ़न रखा जाए, जैसे –

राम–लक्ष्मण शिव–पार्वती–संवाद, देख–रेख, चाल–चलन, हँसी–मज़ाक, लेन–देन, पढ़ना–लिखना, खाना–पीना, खेलना–कूदना आदि।

ख) सा, जैसा आदि से पूर्व हाइफ़न रखा जाए, जैसे

तुम–सा, राम–जैसा, चाकू–से तीखे।

ग) तत्पुरुष समास में हाइफ़न का प्रयोग केवल वहीं किया जाए, जहाँ उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं, जैसे भू–तत्व। सामान्यत : तत्पुरुष समासों में हाइफ़न लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे–रामराज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि।

इसी तरह यदि 'अ–नख' (बिना नख का) समस्त पद में हाइफ़न न लगाया जाए तो उसे 'अनख' पढ़े जाने से 'क्रोध' का अर्थ भी निकल सकता है। अ–नति (नम्रता का अभाव) : अनति (थोड़ा), अ–परस (जिसे किसी ने न छुआ हो) : अपरस (एक चर्म रोग), भू–तत्व (पृथ्वी–तत्व) : भूतत्व (भूत होने का भाव) आदि समस्त पदों की भी यही स्थिति है। ये सभी युग्म वर्तनी और अर्थ दोनों दृष्टियों से भिन्न–भिन्न शब्द हैं।

घ) कठिन संधियों से बचने के लिए भी हाइफ़न का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे द्वि–अक्षर, द्वि–अर्थक आदि।

5) अव्यय

'तक', 'साथ' आदि अव्यय सदा पृथक् लिखे जाएँ, जैसे–आपके साथ, यहाँ तक।

इस नियम को कुछ और उदाहरण देकर स्पष्ट करना आवश्यक है। हिंदी में आह, ओह, अहा, ऐ, ही, तो, सो, भी, न, जब, तब, कब, यहाँ, वहाँ, कहाँ, सदा, क्या, श्री, जी, तक, भर, मात्र, साथ, कि, किन्तु, मगर, लेकिन, चाहे, या, अथवा, तथा, यथा, और आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध कराने वाले अव्यय हैं। कुछ अव्ययों के आगे विभक्ति चिह्न भी आते हैं, जैसे– अब से, तब से, यहाँ से, वहाँ से, सदा से आदि। नियम के अनुसार अव्यय सदा पृथक् लिखे जाने चाहिए, जैसे–आप ही के लिए, मुझ तक को, आपके साथ, गज़ भर कपड़ा, देश भर, रात भर, दिन भर, वह इतना भर कर दे, मुझे जाने तो दो, काम भी नहीं बना, पचास रुपए मात्र आदि। सम्मानार्थक 'श्री' और 'जी' अव्यय भी पृथक् लिखे जाएँ, जैसे – श्री श्रीराम, कन्हैयालाल जी, महात्मा जी आदि।

समस्त पदों में प्रति, मात्र, यथा आदि अव्यय पृथक् नहीं लिखे जाएँगे, जैसे– प्रतिदिन, प्रतिशत, मानवमात्र, निमित्तमात्र, यथासमय, यथोचित आदि। यह सर्वविदित नियम है कि समास होने पर समस्त पद एक माना जाता है। अतः उसे विभक्त रूप में न लिखकर एक साथ लिखना ही संगत है।

6) श्रुतिमूलक 'य', 'व'

क) जहाँ श्रुतिमूलक **य, व** का प्रयोग विकल्प से होता है, वहाँ न किया जाए, अर्थात् किए–किये, नई–नयी, हुआ–हुवा आदि में से पहले (सकारात्मक) रूपों का ही

प्रयोग किया जाए। यह नियम क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि सभी रूपों और स्थितियों में लागू माना जाए, जैसे –दिखाए गए, राम के लिए, पुस्तक लिए हुए, नई दिल्ली आदि।

ख) जहाँ **'य'** श्रुतिमूलक व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द का ही मूल तत्व हो वहाँ वैकल्पिक श्रुतिमूलक स्वरात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, जैसे – स्थायी, अव्ययीभाव, दायित्व आदि। यहाँ स्थाई, अव्यईभाव, दाइत्व नहीं लिखा जाएगा।

7) अनुस्वार तथा अनुनासिकता–चिह्न (चंद्रबिंदु)

अनुस्वार (ं) और अनुनासिकता चिह्न (ँ) दोनों प्रचलित रहेंगे।

क) संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचमाक्षर के बाद सवर्गीय शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो तो एकरूपता और मुद्रण/लेखन की सुविधा के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे– गंगा, ठंडा, संध्या, संपादक आदि में पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का वर्ण आगे आता है, अतः पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा (गङ्गा, ठण्डा, सन्ध्या, सम्पादक का नहीं)। यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए अथवा वही पंचमाक्षर दुबारा आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, जैसे– वाङ्मय, अन्य, अन्न, सम्मेलन, सम्मति, चिन्मय, उन्मुख आदि।

ख) चंद्रबिंदु के बिना प्रायः अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है, जैसे– हंस : हँस, अंगना : अँगना आदि में। अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। किंतु जहाँ (विशेषकर शिरोरेखा के ऊपर जुड़ने वाली मात्रा के साथ) चंद्रबिंदु के प्रयोग से छपाई आदि में बहुत कठिनाई हो और चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु (अनुस्वार चिह्न) का प्रयोग किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न करे, वहाँ चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु के प्रयोग की छूट दी जा सकती है, जैसे– नहीं, में मैं। कविता आदि के प्रसंग में छंद की दृष्टि से चंद्रबिंदु का यथास्थान अवश्य प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार छोटे बच्चों की प्रवेशिकाओं में जहाँ चंद्रबिंदु का उच्चारण सिखाना अभीष्ट हो, वहाँ उसका यथास्थान सर्वत्र प्रयोग किया जाए, जैसे– कहाँ, हँसना, आँगन, सँवारना, आदि।

8) विदेशी ध्वनियाँ

क) अरबी–फ़ारसी या अंग्रेज़ी मूलक वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतर हो चुका है, हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं, जैसे – कलम, किला, दाग आदि (क़लम, क़िला, दाग़ नहीं)। पर जहाँ उनका शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग अभीष्ट हो अथवा उच्चारणगत भेद बताना आवश्यक हो वहाँ उनके हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते लगाए जाएँ, जैसे– खाना : ख़ाना, राज : राज़, हाइफन : हाइफ़न। सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि अरबी–फ़ारसी एवं अंग्रेज़ी की मुख्यतः पाँच ध्वनियाँ (क़, ग़, ख़, ज़ और फ़) हिंदी में आई हैं जिनमें से दो (क़ और ग़) तो हिंदी उच्चारण (क, ग) में परिवर्तित हो गई हैं, एक (ख़) लगभग हिंदी 'ख' में खपने की प्रक्रिया में है और शेष दो (ज़, फ़) धीरे–धीरे अपना अस्तित्व खोने/बनाए रखने के लिए संघर्षरत हैं।

ख) अंग्रेज़ी के जिन शब्दों में अर्धविवृत 'ओ' ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर 'आ' की मात्रा (ा) के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए (ऑ, ॅ)। जहाँ तक अंग्रेज़ी और अन्य विदेशी भाषाओं से नए शब्द ग्रहण करने और उनके देवनागरी लिप्यंतरण का संबंध है, अगस्त–सितंबर, 1962 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वैज्ञानिक शब्दावली पर आयोजित भाषाविदों की संगोष्ठी में अंतरराष्ट्रीय शब्दावली के देवनागरी लिप्यंतरण के संबंध में की गई सिफ़ारिश उल्लेखनीय है। उसमें यह कहा गया है कि अंगेज़ी शब्दों का देवनागरी लिप्यंतरण इतना क्लिष्ट नहीं होना चाहिए कि उसके लिए वर्तमान देवनागरी वर्णों में अनेक नए संकेत–चिह्न लगाने पड़ें। अंग्रेज़ी शब्दों का देवनागरी लिप्यंतरण मानक अंग्रेज़ी उच्चारण के अधिक से अधिक निकट होना चाहिए। उसमें भारतीय शिक्षित समाज में प्रचलित उच्चारण संबंधी थोड़े बहुत परिवर्तन किए जा सकते हैं। अन्य भाषाओं के शब्दों के संबंध में भी यही नियम लागू होना चाहिए।

ग) हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनके दो–दो रूप बराबर चल रहे हैं। विद्वत्समाज में दोनों रूपों की एक–सी मान्यता है। फ़िलहाल इनकी एकरूपता आवश्यक नहीं समझी गई है। कुछ उदाहरण हैं– गरदन/गर्दन, गरमी/गर्मी, बरफ/बर्फ, बिलकुल/बिल्कुल, सरदी/सर्दी, कुरसी/कुर्सी, भरती/भर्ती, फुरसत/फुर्सत, बरदाश्त/बर्दाश्त, वापिस/वापस, आखीर/आखिर, बरतन/बर्तन, दोबारा/दुबारा, दूकान/दुकान, बीमारी/बिमारी आदि।

9) हल् चिह्न

संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में सामान्यतः संस्कृत रूप ही रखा जाए, परंतु जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हल् चिह्न लुप्त हो चुका है, उनमें उसको फिर से लगाने का यत्न न किया जाए, जैसे – 'महान', 'विद्वान' आदि के 'न' में। इसी तरह भगवान, श्रीमान के /न/ में और जगत के /त/ में हल लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ यदि कहीं भगवन् श्रीमन् शब्दों का प्रयोग हो तो हल् अवश्य लगाना चाहिए।

10) स्वन–परिवर्तन

संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में सामान्यतः संस्कृत रूप ही रखा जाए; हिंदी में 'उऋण' को 'उरिण' में बदलना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार ग्रहीत, दृष्टव्य, प्रदर्शिनी, अत्याधिक, अनाधिकार आदि अशुद्ध प्रयोग ग्राह्य नहीं है। इनके स्थान पर क्रमशः गृहीत, द्रष्टव्य, प्रदर्शनी, अत्यधिक, अनधिकार ही लिखना चाहिए। जिन तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्वमूलक व्यंजन लुप्त हो गया है उसे न लिखने की छूट है, जैसे– अर्द्ध/अर्ध, तत्त्व/तत्व आदि।

11) विसर्ग

संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए, जैसे– 'दुःखानुभूति' में। यदि उस शब्द के तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा, जैसे– 'दुख–सुख के साथी'।

12) 'ऐ', 'औ' का प्रयोग

हिंदी में ऐ (ै), औ (ौ) का प्रयोग दो प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार की ध्वनियाँ 'है', 'और' आदि में हैं तथा दूसरे प्रकार की

'गवैया', 'कौवा' आदि में। इन दोनों ही प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिह्नों (ऐ, ै ; औ, ौ) का प्रयोग किया जाए। 'गवय्या', 'कव्वा' आदि संशोधनों की आवश्यकता नहीं है।

13) पूर्वकालिक प्रत्यय

पूर्वकालिक प्रत्यय 'कर' क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे – मिलाकर, आदि।

14) अन्य नियम

क) शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा।

ख) फुलस्टॉप को छोडकर शेष विराम आदि चिह्न वही ग्रहण कर लिए लाएं जो अंग्रेज़ी में प्रचलित हैं, यथा – (- – , ; ? ! : =)

(विसर्ग के चिह्न को ही कोलन का चिह्न मान लिया जाए)

ग) पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई (।) का प्रयोग किया जाए।

15) श्रीमति, बधु शब्द गलत है – श्रीमती, वधू शब्द सही है।

1.6 सारांश

- हिंदी लिपि और वर्तनी के मानकीकरण के संदर्भ में केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार ने कुछ विशेष नियम तैयार किए हैं। इन नियमों की जानकारी भी इस इकाई में आपको दी गई है।
- हमने इस इकाई में पढ़ा कि हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है। सभी भाषाओं में लिपि भाषा के उच्चरित रूप का प्रतिनिधित्व करती है। हम ध्वनियों को अलग–अलग चिह्नों से दिखाते हैं। ये चिह्न वर्ण कहलाते हैं। हमने हिंदी की वर्णमाला का परिचय प्राप्त किया।
- हिंदी लिपि में कई वर्ण अलग–अलग ढंग से लिखे जाते हैं। भारत सरकार की संस्था केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने देवनागरी लिपि को मानक रूप प्रदान किया। मानक रूप से सीखने–सिखाने में आसानी होगी, टंकण–मुद्रण का कार्य सरल होगा और भाषा में एकरूपता आएगी। अब आप हिंदी लिखते हुए मानक वर्णों का प्रयोग कर सकते हैं।
- भाषा के शब्दों को हम वर्णों के क्रम में लिखते हैं, तो वह वर्तनी कहलाती है। भाषा में उच्चारण तथा वर्तनी में तालमेल हो तो उसे वैज्ञानिक भाषा और उसकी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कह सकते हैं। हिंदी को इस दृष्टि से वैज्ञानिक भाषा माना जाता है क्योंकि अधिकतर हम उच्चारण और वर्तनी में तालमेल देखते हैं। इसलिए सही वर्तनी लिखने के लिए सही उच्चारण करना आवश्यक है। वर्तनी–दोषों को पहचानने और दूर करने के लिए कुछ शब्दों के संदर्भ में वर्तनी के नियम भी देखे जा सकते हैं। इस इकाई में ऐसे कुछ नियमों की चर्चा की गई है।

1.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण : केंद्रीय हिंदी निदेशालय, 2006, नई दिल्ली

1.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1) 1) सही 2) गलत 3) सही 4) गलत
   5) सही 6) सही 7) गलत 8) गलत
   9) गलत 10) सही

2) 1) वर्ण 2) देवनागरी लिपि 3) ऊपर से नीचे की ओर
   4) एकरूपता 5) चीनी भाषा से

3) 1) निबंध 2) झंडा 3) संध्या 4) कंगाल
   5) पंक्ति 6) निम्न 7) दैन्य 8) जंजीर

4) 1) दृश्य 2) शाश्वत 3) कृत्य 4) दिव्य
   5) चिह्न 6) शक्ति 7) भक्त 8) गल्ला
   9) गल्प 10) लक्ष्य

5) 1) पंडित 2) सन्मार्ग 3) कंचन 4) संबंध
   5) सम्मान 6) अन्नदाता

6) 1) पेड़ 2) भट्टी 3) मच्छर 4) ढिठाई
   5) लड़ाई 6) रिक्शा 7) सुरक्षा 8) उद्देश्य
   9) निर्मल 10) बुद्ध

7) 1) तीव्र 2) दोनों सही हैं 3) पत्थर 4) मुर्गियाँ
   5) दोनों सही हैं 6) शिक्षण 7) घड़ियाँ 8) दोनों सही हैं

इकाई 2 हिंदी की ध्वनियाँ

इकाई की रूपरेखा

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 ध्वनियाँ और शब्द

2.3 ध्वनियाँ और उच्चारण की विशेषताएँ

2.4 लहजा या अनुतान

2.5 ध्वनि और लेखन के विविध संबंध

2.6 उच्चारण भिन्नता के कारण वर्तनी की समस्याएँ

2.7 उच्चारण में अंतर, लिपि में अंतर

2.8 ध्वनि और लिपि में असामंजस्य

2.9 सारांश

2.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

2.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

2.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- हिंदी की ध्वनियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे और ध्वनियों में अंतर पहचान सकेंगे;
- ध्वनियों से शब्द बनाने की प्रक्रिया के बारे में बता सकेंगे;
- हिंदी में अन्य भाषाओं से आई हुई ध्वनियों को पहचान सकेंगे और इनके कारण उत्पन्न समस्याओं के बारे में चर्चा कर सकेंगे;
- हिंदी में किसी बात को कहने के ढंग, जिसे लहजा या अनुतान कहते हैं, के आधार पर उसका अर्थ निश्चित कर सकेंगे;
- ध्वनि और लेखन के बीच के संबंध को बता सकेंगे;
- वर्ण के उच्चारण की भिन्नता के कारण उसे लिखने में उत्पन्न कठिनाइयों का निराकरण कर सकेंगे; और
- उच्चारण–भेद के कारण लिपि में हुए अंतर को पहचान सकेंगे।

कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस इकाई के अध्ययन के बाद आप हिंदी भाषा का सही उच्चारण कर सकेंगे और सही लेखन के बारे में जान सकेंगे।

2.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में हमने हिंदी की लिपि का परिचय प्राप्त किया और हिंदी के वर्णों के बारे में और वर्णों से शब्द लिखने की व्यवस्था अर्थात् वर्तनी के बारे में चर्चा की। इस इकाई में हम हिंदी की ध्वनियों के बारे में चर्चा करेंगे।

ध्वनियाँ बोलचाल की भाषा के आधारभूत तत्व हैं। जब हम भाषा बोलते हैं तो वास्तव में क्रमशः विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण करते हैं और ध्वनियों से निर्मित शब्द बोलने वाले के विचारों को व्यक्त करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अगर ठीक ढंग से ध्वनियों का उच्चारण न किया जाए तो संभवतः बोलने वाला अपना आशय प्रकट नहीं कर पाएगा, सुनने वाला उसका तात्पर्य नहीं समझ पाएगा और इस तरह दोनों के बीच विचारों के आदान–प्रदान में व्यवधान पैदा हो जाएगा। हमने यह भी देखा है कि लिपियाँ वास्तव में उच्चरित ध्वनियों की प्रतिरूप होती हैं। इस कारण यदि सही उच्चारण न किया गया, तो सही लेखन भी नहीं होगा। इस तरह स्पष्ट बोलने और लिखने के लिए सही ध्वनियों के उच्चारण पर बल देना अति आवश्यक है।

हम सामान्यतः भाषा में लगभग 50 ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। कुछ भाषाओं में सिर्फ 30 ध्वनियाँ होती हैं और कुछ भाषाओं में 65 ध्वनियाँ तक होती हैं। लेकिन अधिकतर भाषाओं के शब्द करीब 50 ध्वनियों से निर्मित होते हैं। हिंदी वर्णमाला में भी लगभग 50 ध्वनियाँ हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इन 50 ध्वनियों से लाखों शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं? और सभी शब्दों के बीच अर्थ में अंतर कैसे होता है? कुछ उच्चरित ध्वनियों से शब्द निर्माण करने और शब्दों में अंतर करने की व्यवस्था मानव की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। इस इकाई में हम ध्वनियों से शब्द–निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे।

ध्वनि के उच्चारण के अलावा भाषा में एक और महत्वपूर्ण पक्ष है– लहजा या वाक्य बोलने का तरीका। इसी को पारिभाषिक शब्दावली में अनुतान कहते हैं। एक शब्द लीजिए 'अच्छा'। इस एक शब्द से हम कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं, कभी प्रश्न करते हैं, कभी दूसरे व्यक्ति के कथन के साथ सहमति प्रकट करते हैं या बोलने वाले के कथन के संदर्भ में व्यंग्य करते हैं। एक शब्द के उच्चारण से यह सब कैसे संभव होता है, कभी आपने सोचा है? यह अनुतान या लहजे के कारण संभव होता है। हम एक शब्द या एक वाक्य के उच्चारण में स्वर के उतार–चढ़ाव के कारण भिन्न–भिन्न प्रकार के अर्थ व्यक्त करते हैं। इस इकाई में हम अनुतान के बारे में भी चर्चा करेंगे।

हमने पिछली इकाई में देखा था कि हिंदी की लिपि वैज्ञानिक है क्योंकि हिंदी में प्रायः जैसे उच्चारण करते हैं वैसे ही लिखते हैं। उच्चारण एक ही है। उच्चारण और लेखन में असामंजस्य के कारण ही वर्तनी के दोष पैदा होते हैं। हम इस इकाई में ऐसी असामंजस्यपूर्ण स्थितियों के बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे, जिससे हिंदी का प्रयोग करने वाला उच्चारण और लेखन दोनों के बारे में सजग रह सके और सही भाषा का इस्तेमाल कर सके।

2.2 ध्वनियाँ और शब्द

आप जानते हैं कि हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर एवं 33 व्यंजन हैं। यह भी माना जाता है कि हिंदी में 3–4 लाख शब्द हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मात्र 40–50 ध्वनियों से 3 या 4 लाख शब्द कैसे बना पाते हैं, इसे जानने के लिए यह आवश्यक होगा कि हम यह देखें कि ध्वनियों से शब्द का निर्माण कैसे होता है। भाषा के शब्द ध्वनियों से निर्मित होते हैं। एक शब्द में एक ध्वनि हो सकती है, जैसे – आ, ए (संबोधन के लिए जैसे ए लड़के), या एक शब्द में कई ध्वनियाँ हो सकती हैं। दो शब्दों में हम अंतर कैसे करते हैं? जैसे हम 'बोलना' शब्द का प्रयोग करते हैं तो दूसरा व्यक्ति उसे 'खेलना' या 'डोलना' क्यों नहीं समझता? कारण तो स्पष्ट है ही। आप जानते हैं कि ब, ख, ड ये तीन अलग ध्वनियाँ हैं और हम इन तीनों के उच्चारण में अंतर पहचान सकते हैं और इसी कारण हम इन तीनों वर्णों को अलग–अलग पहचानते हैं इसका तात्पर्य यह है कि शब्दों के निर्माण में हम इन्हीं ध्वनियों के अंतर का उपयोग करते हैं। किसी शब्द में कम–से–कम एक ध्वनि को बदलकर उसके

स्थान पर दूसरी ध्वनि रखते हैं, तो अर्थ में अंतर आ जाता है और भिन्न शब्द बन जाता है। आगे के शब्द के जोड़ों को देखिए, हर जोड़े के दो शब्दों में एक ध्वनि बदलती है और उस कारण भिन्न शब्द दिखाई पड़ता है। क्या आप बता सकते हैं कि दोनों शब्दों में अर्थ–भेद पैदा करने वाली ध्वनि कौन–सी है?

कमल	कलम	जाग	दवात	लदान	जगत
कमर	कलमा	झाग	दावत	लगान	भगत
कूल	असर	खोलना	तेल	जाति	काल
कुल	असल	खौलना	तौल	जाती	कला

आपने खुद अनुभव किया होगा कि इन शब्द–युग्मों में (दो–दो शब्दों में) एक ध्वनि के बदलने के कारण शब्द का रूप बदल जाता है और उसका अर्थ बदल जाता है। हम कह सकते हैं कि शब्द भाषा के अर्थ को वहन करने वाला खंड है और इन खंडों का निर्माण एक या अधिक ध्वनियों से होता है। इस कारण हर दो शब्दों के बीच में कम–से–कम एक ध्वनि में परिवर्तन होना चाहिए, तभी हम दोनों शब्दों को अलग कर सकेंगे। ध्वनियों की शब्द–रचना में इस विशेषता को अर्थभेदकता कहते हैं, यानी अर्थ में भेद या अंतर करने का गुण। यहाँ हम ऐसे शब्दों की चर्चा नहीं करेंगे जिनके दो या तीन अर्थ होते हैं, जैसे–मगर एक प्राणी है, और 'मगर' का दूसरा अर्थ है 'लेकिन'। ऐसे शब्दों को बहुअर्थी या कई अर्थों वाला शब्द कहते हैं। यहाँ 'मगर' के दोनों उच्चारणों में कोई अंतर नहीं है, बल्कि एक ही शब्द दो अलग अर्थ देता है। हम ऐसे शब्दों की चर्चा और उनके उपयोग का अभ्यास बाद में करेंगे।

2.3 ध्वनियाँ और उच्चारण की विशेषताएँ

हमने ऊपर देखा कि ध्वनियाँ शब्द में अर्थ–भेद पैदा करती हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम दो ध्वनियों में उच्चारण के स्तर पर भी अंतर करें और सुनने वाला दो ध्वनियों के उच्चारण में अंतर को पहचाने। अगर 'क' और 'ख' दोनों का उच्चारण एक जैसा हो और सुनने वाला उन्हें एक ही तरह से सुनता हो, तो हम 'काना' और 'खाना', 'कोना' और 'खोना', 'सका' और 'सखा' आदि शब्दों में अंतर नहीं कर पाएंगे। फिर यह सवाल उठता है कि हम 'क' और 'ख' में उच्चारण में क्या अंतर करते हैं, हम उच्चारण के इस अंतर को कैसे पहचानते हैं, इस चर्चा से हम हिंदी की वर्णमाला पर फिर से प्रकाश डालना चाहेंगे। आगे हिंदी की वर्णमाला को हमने उच्चारण की विशेषताओं के हिसाब से प्रस्तुत किया है, उसका अध्ययन कीजिए।

हिंदी की ध्वनियों का उच्चारण

स्वर	जिह्वा के अगले भाग से ←			→ जिह्वा के पिछले भाग से	
मुँह कम खुला	ई	इ		उ	ऊ
↑		ए		ओ	
↓		ऐ	अ	औ	
मुँह अधिक खुला				(ऑ)	
				आ	

यहाँ हमने 'ऋ' को नहीं दिखाया है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से स्वर नहीं है। यह 'रि' के समान उच्चरित होता है।

व्यंजन

	अघोष अल्पप्राण	अघोष महाप्राण	घोष अल्पप्राण	घोष महाप्राण	नासिक्य
स्पर्श					
कंठ्य	क	ख	ग	घ	ङ
तालव्य	च	छ	ज	झ	ञ
मूर्धन्य	ट	ठ	ड	ढ	ण
दंत्य	त	थ	द	ध	न
ओष्ठ्य	प	फ	ब	भ	म

व्याकरण के अनुसार अंतस्थ : य र ल व

प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण :

अर्ध स्वर	य, व
लुंठित	र
पार्श्विक	ल
उत्क्षिप्त	ड़ (अल्पप्राण), ढ़ (महाप्राण)

व्याकरणिक शब्द–ऊष्म

प्रयत्न के आधार पर–संघर्षी	श	ष	स	ह
अन्य संघर्षी	ख़	ग़	ज़	फ़

नोट : हम जब 'क' की बात करते हैं, तो वह वर्ण भी है और ध्वनि भी। दोनों में अंतर करने के लिए आगे से हम ध्वनियों को / / के द्वारा दिखाएंगे। वर्ण या वर्तनी को ' ' से। जैसेः

ध्वनि– /क/ /च/ उच्चरित शब्द /जाना/

वर्ण – 'क' 'च' वर्तनी 'कमल' 'जाना'

इस वर्णमाला में हमने अरबी–फ़ारसी और अंग्रेज़ी से आए हुए कुछ उच्चारणों को भी दिखाया है। इन वर्णों को हमने ऊपर कोष्ठक में दिखाया है।

आपने देखा कि कवर्ग में 4 वर्ण हैं क, ख, ग, घ। इन चारों में अंतर का आधार क्या है ? हमने लिखा है कि /क/ अघोष है, अल्पप्राण है। /ग/ घोष, अल्पप्राण है। अर्थात् इन दोनों में प्राणत्व नहीं है। प्राणत्व की हम आगे चर्चा करेंगे। इन दोनों में अंतर का कारण है घोषत्व। घोषत्व क्या है, इसे हम कैसे पहचान सकते हैं ? इन दोनों का उच्चारण करते समय गले पर हाथ रखिए, /क/ बोलते समय गले में किसी प्रकार की हरकत नहीं होगी, /ग/ बोलते समय आप अनुभव करेंगे कि गले में कुछ कंपन हो रहा है। यही कंपन घोषत्व है और हम घोषत्व के आधार पर /क/ और /ग/ और इसी तरह /प/ /ब/, /त/ /द/ आदि में अंतर करते हैं। हम इस अंतर को सुनते समय पहचान पाते हैं/ इसी कारण हम /काना/, /गाना/, /ताना/, /दाना/ आदि शब्दों के अर्थ में अंतर करते हैं। अब हम प्राणत्व की चर्चा करेंगे। प्राणत्व का अभिप्राय है, मुँह से निकलने वाली हवा। यह कम या अधिक होती है, जिससे अल्पप्राण और महाप्राण के रूप में ध्वनियों के दो भेद हो जाते हैं। आपने देखा कि /ख/ और /घ/ महाप्राण ध्वनियाँ हैं। ये दोनों क्रमशः अघोष और घोष ध्वनियाँ हैं, जिस गुण की हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। प्राणत्व क्या है ? अगर आप प्राणत्व

को अपनी आँखों से देखना चाहें तो एक मोमबत्ती जला दीजिए। मुँह मोमबत्ती के पास ले जाकर पहले /ग/ बोलिए बाद में /घ/। आप देखेंगे कि /घ/ का उच्चारण करते समय मोमबत्ती बुझ जाती है या उसकी लौ हिलने लगती है। इसका कारण क्या हो सकता है ? वास्तव में, मुँह से निकलने वाली हवा ही इसका कारण है। जब हम /ग/बोलते हैं तो ज्यादा ज़ोर से हवा नहीं निकलती। /ख/या/घ/ बोलते हैं तो हवा का एक झोंका निकलता है, जिसके कारण मोमबत्ती बुझ जाती है या उसकी लौ हिलने लगती है। इसी विशेषता को हम प्राणत्व कहते हैं।

कवर्ग से लेकर पवर्ग के सारे व्यंजन स्पर्श कहलाते हैं। इसका एक उप–वर्ग भी है, जिसे हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं। अर्थात् नाक से बोले जाने वाले व्यजंन। जब हम /प/या/ब/का उच्चारण करते हैं, तो हवा नाक से नहीं निकलती। लेकिन जब /म/बोलते हैं तो हवा मुँह और नाक दोनों विवरों से निकलती है। नासिक्य व्यंजन भी स्पर्श हैं, अर्थात् पवर्ग के सारे व्यजंन एक ही जगह से बोले जाते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि /प/ब/अथवा /म/बोलते समय हम पहले दोनों होंठ बंद करते हैं और जब मुँह खुलता है, तब ध्वनि का उच्चारण होता है। इसलिए 'पवर्ग' को ओष्ठ्य व्यंजन कहा जाता है। इसी तरह से 'तवर्ग' को दंत्य व्यंजन कहते हैं, क्योंकि दाँत से जीभ लगती है और हवा बंद हो जाती है। इसी तरह से पाँचों वर्गों के उच्चारण के स्थान के आधार पर इनका अलग–अलग नाम है। इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहें तो भाषा विज्ञान की कोई पुस्तक पढ़ें।

स्पर्श व्यंजन में जीभ के ऊपर तालु से स्पर्श के कारण हवा का रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आप स्पर्श व्यंजन ज्यादा देर तक नहीं बोल सकते। या तो मुँह बंद रखेंगे और उच्चारण नहीं होगा या मुँह खोलेंगे तो उच्चारण खत्म हो जाएगा। स्पर्श की तुलना में कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं, जिनका उच्चारण आप बहुत देर तक कर सकते हैं। जैसे आप साँप की तरह स् स् स् स् करने की कोशिश कीजिए। जब तक साँस है, आप उच्चारण कर सकते हैं। ऐसी ध्वनियों के उच्चारण में हवा का मार्ग बहुत छोटा होता है। इसलिए हवा संघर्ष करते हुए जाती है। इसीलिए इन ध्वनियों को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इन ध्वनियों को व्याकरण में ऊष्म ध्वनियाँ कहा गया है। हिंदी में ऊष्म ध्वनियाँ हैं : स, श, ष, ह : स्पर्श, नासिक्य या संघर्षी व्यंजन उच्चारण के विभिन्न प्रयत्नों या तरीकों से अलग किए जाते हैं। हमने ऊपर ध्वनियों की तालिका में अर्ध स्वर, लुंठित, उत्क्षिप्त आदि अन्य प्रयत्नों के नाम गिनाए हैं।

व्यंजनों की तुलना में ध्वनियों का एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है स्वर। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके बोलने में मुँह ज्यादा खुलता है। आप/आ/बोलकर देखिए। स्वरों में भी हम बोलने के तरीके से उच्चारण में अंतर करते हैं। /आ/ के उच्चारण में मुँह ज्यादा खुलता है, /ऊ/ के उच्चारण में मुँह कम खुलता है। इसी तरह से /ऊ/ स्वर का उच्चारण हम मुँह में आगे से करते हैं, /ई/स्वर का उच्चारण हम मुँह में पीछे से करते हैं। उच्चारण की इस प्रक्रिया से ही हम विभिन्न स्वरों में अंतर करते हैं और इन स्वरों से विभिन्न शब्दों का निर्माण करते हैं। हम यहाँ स्वर संबंधी एक प्रमुख बात की चर्चा करेंगे जिसे स्वर की मात्रा कहा जाता है। /इ/ और /ई/, /उ/और /ऊ/, /अ/ और/आ/ क्रमशः ह्रस्व और दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर हम कम समय में बोलते हैं दीर्घ स्वर बोलने में ज्यादा समय लगता है।

आप यह जानना चाहेंगे कि हमने जिन विदेशी ध्वनियों का जिक्र किया है उनकी क्या स्थिति है, उनका उच्चारण कैसे किया जाए। /क़/स्पर्श ध्वनि है जो हिंदी /क/से भी पीछे के स्थान से बोली जाती है। /ख़, ग़, ज़, फ़/ चारों संघर्षी व्यंजन हैं। इनमें दो संघर्षी

व्यंजन /ज़/, फ़/ अंग्रेजी भाषा से भी लिए गए हैं। अंग्रेज़ी से आए हुए एक विशिष्ट स्वर /ऑ/ को निम्नलिखित शब्दों में लिपि–संकेत के साथ देख सकते हैं। जैसे : डॉक्टर, कॉलेज, लॉ।

2.4 लहजा या अनुतान

ऊपर हमने लहजा या अनुतानों का संकेतभर किया है। यहाँ हम आपका अनुतानों से कुछ विस्तृत परिचय करवाएंगे। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उस वाक्य को बोलने का ढंग या भाव ही अनुतान अथवा लहजा कहलाता है। 'अनुतान को सुरलहर कहते हैं। सुरों के आरोह–अवरोह क्रम को सुर लहर की संज्ञा दी गयी है। सुर एक व्यापक शब्द है, जो सभी घोष–ध्वनियों में वर्तमान है। इसी का समानार्थी शब्द 'तान' है। इसे हम शब्द का अर्थपरिवर्तक सुर कह सकते हैं। जब हम बोलते हैं तब वाक्य में सुरलहर रहती है। यही कारण है कि पूरे शब्द या वाक्य में सुरलहर का निर्देश किया जाता है। अनुतान वस्तुतः उस सुर को कहते हैं, जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है।

लिखित भाषा में अनुतान को विराम चिह्नों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे, प्रश्न चिह्न, प्रश्न वाचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जिस वाक्य में आश्चर्य या विस्मय प्रकट किया जाता है, उसके अन्त में विस्मयादि बोधक चिह्न लगता है। सामान्य रूप से सूचना देने वाले वाक्यों या निश्चयार्थक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का चिह्न (यानी खड़ी पाई) लगाया जाता है। एक ही वाक्य इन तीनों चिह्नों के साथ अलग–अलग लिखने पर तीन अनुतानों का बोध कराते हैं, जैसे :

यह बहुत अच्छा उपन्यास है ?

यह बहुत अच्छा उपन्यास है!

यह बहुत अच्छा उपन्यास है।

अनुतान स्वयं में एक विस्तृत विषय है। इसके एकाधिक भेद हैं। आइए दो उदाहरणों द्वारा इसे और समझने का प्रयास करते हैं, जैसे :

क्रिया–	कौन जाएगा	और	जाएगा कौन ?
विशेषण–	अच्छी चाय है	और	चाय अच्छी है

यहाँ हम देखें तो पहले वाक्य 'कौन जाएगा' का अर्थ होगा 'कोई जाएगा' लेकिन 'जाएगा कौन' का अर्थ होगा– कोई नहीं जाएगा; अर्थात् इससे निषेध अर्थ का बोध होता है। इसी तरह 'अच्छी चाय है' का अर्थ होगा– चाय सामान्यतः स्वादिष्ट है जबकि 'चाय अच्छी है' का अर्थ होगा चाय बहुत अच्छी है।

रोको मत, जाने दो!

रोको, मत जाने दो!

ये दोनों उदाहरण अनुतान को स्पष्ट करने के लिए प्रायः प्रयोग में लाए जाते हैं। यहाँ अर्द्धविराम के अलग–अलग स्थानों पर प्रयोग से अर्थ–बोध में बदलाव उत्पन्न किया गया है। रोको मत, जाने दो! से सकारात्मक अर्थ ध्वनित हो रहा है कि अमुक व्यक्ति या वस्तु को जाने दिया जाए, रोका न जाए! जबकि दूसरे वाक्य 'रोको, मत जाने दो! से नकारात्मक अर्थ ध्वनित हो रहा है कि अमुक व्यक्ति या वस्तु को नहीं जाने दिया जाए अर्थात् रोक लिया जाए।

बोध प्रश्न

1) नीचे लिखे वाक्यों में से कुछ सही हैं और कुछ गलत। उचित उत्तर पर (√) चिह्न लगाएं।

   1) जिन ध्वनियों के उच्चारण में गले में कंपन उत्पन्न हो उन्हें अघोष ध्वनियाँ कहते हैं। ( ) सही ( ) गलत

   2) जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा संघर्ष करते हुए निकलती है उन्हें ऊष्म ध्वनियाँ कहते हैं ( ) सही ( ) गलत

   3) पवर्ग के व्यंजनों को ओष्ठ्य व्यंजन कहा जाता है। ( ) सही ( ) गलत

   4) नाक से बोले जाने वाले व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ( ) सही ( ) गलत

   5) ह्रस्व स्वर के उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकलती है। ( ) सही ( ) गलत

2) रिक्त स्थानों की पूति कीजिए।

   1) ..... बोलचाल की भाषा के आधारभूत तत्व हैं।

   2) वाक्य बोलने के ढंग को पारिभाषिक शब्दावली में ..... या . ..... कहते हैं।

   3) किसी शब्द में एक ध्वनि बदल लेने से उसके ..... में .. .. आ जाता है।

   4) भाषा में अनुतान को हम ..... चिह्नों से देखते हैं।

   5) कवर्ग के 'क' और 'ग' अल्पप्राण वर्णों में उच्चारणगत अंतर का कारण .... है।

3) नीचे लिखे शब्दों में कुछ ध्वनियों के बदल जाने के कारण अर्थ–भेद है। बताइए इनमें कौन–कौन सी ध्वनियाँ भिन्न हैं? भिन्न ध्वनियों को अलग करके लिखिए।

   1) कान / मान
   2) दिन / दीन
   3) खेल / खोल
   4) मूँछ / पूँछ
   5) सरपट / खटपट
   6) काका / खाका
   7) सच्चा / अच्छा
   8) खाना / खान
   9) कली / काली
   10) घटा / घाटा
   11) लाभ / लोभी
   12) ग्रह / गृह
   13) अम्मा / अम्मी
   14) निर्माण / निर्वाण

2.5 ध्वनि और लेखन के विविध संबंध

भाषा का उच्चरित रूप भाषा का वास्तविक रूप है, लेखन इसका प्रतिरूप है। लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को नहीं दिखा पाती। लेकिन लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक हो जाता है, जिससे हम भाषा का सही उच्चारण कर सकें। लिपि की सहायता से हम ऐसे स्थलों को निर्दिष्ट कर सकते हैं।

हिंदी में 'ऐ' और 'औ' मूल स्वर हैं। लेकिन गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाओं में हम इसका भिन्न उच्चारण देखते हैं। वहाँ उच्चारण क्रमशः अइ

(या अय्) और अउ (या अव्) के समान होता है। हिंदी लिपि में दिखाया जाए, तो तमिल भाषी 'औरत' को /अउरत/ और 'पैसा' को /पइसा/ बोलता है। हिंदी में भी यह उच्चारण है। लेकिन सीमित संदर्भों में।

उदाहरण देखिए :

वर्ण 'ऐ', उच्चारण /अइ/– मैया, सैयद, तैयार रैयत, ऐयाशी, मैयत

वर्ण 'औ' उच्चारण /अउ/– कौवा, यौवन, चौवन, मनौवल

क्या आप पहचान पाए हैं कि यह विशिष्ट उच्चारण क्यों और कहाँ होता है ? 'य' से पहले 'ऐ' तथा 'व' से पहले 'औ' का उच्चारण बदल जाता है। लिपि /ऐ/ तथा /अइ/ स्वर के दोनों उच्चारणों में अंतर नहीं दिखाती। लेकिन हम ऊपर बताए नियम से उच्चारण के अंतर को समझ सकते हैं।

इसी तरह 'अ' का उच्चारण निम्नलिखित शब्दों में कुछ ऊपर का उच्चारण हो जाता है, कुछ–कुछ ह्रस्व /ए/ के समान। आप गौर करेंगे तो उच्चारण के इस अंतर को स्वयं ही समझ जाएंगे।

कहना पहला रहमान अहमद पहचान शहरी पहलू

शहर नहर ठहरो ठहरना लहर चहकना चहल–पहल

इन शब्दों का उच्चारण करके आपने अनुभव किया होगा कि 'ह' से पहले /अ/ का उच्चारण कुछ अलग हो जाता है। अब आप आगे से रेडियो सुनें या टी.वी. देखें तो ऐसे शब्दों की विस्तृत सूची बनाने का प्रयास करें। अब आप यह भी जानने की कोशिश कीजिए कि निम्नलिखित शब्दों में शुरू में कौन–सा उच्चारण है :

महा कहावत सहारा नहाना पहाड़ कहानी

महिमा अहीर सहूलियत सहोदर बहू बहुत

फिर इन शब्दों के उच्चारण के लिए अपना नियम दीजिए।

2.6 उच्चारण भिन्नता के कारण वर्तनी की समस्याएँ

क्या हम उच्चारण की इस विशेषता को वर्तनी में भी देखते हैं ? हाँ। 'तैयार' को कुछ लोग (तय्यार) लिखते हैं, कुछ तैय्यार। 'अय्याशी' और 'ऐयाशी' दोनों रूप प्रचलित हैं। आप हमेशा 'तैयार', 'ऐयाशी', लिखें तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी।

'कहना' जैसे शब्दों के संदर्भ में हमें वर्तनी के विविध रूप मिलते हैं। जैसे सिर्फ 'अ'– कहना, लहर, शहर, रहन–सहन, पहलू, ठहरना, लहँगा।

सिर्फ 'ए' – 'मेहमान', 'रेहन', 'सेहत', 'चेहरा', 'बेहतर', 'तेहरान',

'अ' या 'ए' – अहसान/एहसान, रहन/रेहन, ज़हन/ज़ेहन

इनके अलावा 'बहन', 'पहला', 'पहचान' आदि मानक शब्दों के लिए हिंदी के कुछ क्षेत्रों में 'बहिन', 'पहिला', 'पहिचान' आदि रूप भी मिलते हैं।

ध्वनि और लिपि के इस सूक्ष्म संबंध को जानना भाषा के सही प्रयोग के लिए आवश्यक है।

2.7 उच्चारण में अंतर, लिपि में अंतर

हम यह कहते आए हैं कि लिपि उच्चारण की विशेषताओं को प्रकट करती है। शब्दों का उच्चारण सब जगह एक जैसा नहीं होता। शब्द–निर्माण की प्रक्रिया में कभी–कभी आस–पास की ध्वनियों के कारण उच्चारण बदल जाता है और लिपि इन्हें प्रस्तुत करती है। हम आगे हिंदी के दो उपसर्गों से बने कुछ शब्दों को देखेंगे, जिनमें उच्चारण–परिवर्तन को आप देख सकते हैं और साथ–साथ लिपि के माध्यम से इन्हें प्रकट करने के तरीके को भी देख सकते हैं।

उपसर्ग उत् (ऊपर)	**उपसर्ग सत् (अच्छा)**
उत् + योग = उद्योग	सत् + चित् = सच्चित्
उत् + हत = उद्धत	सत् + वाणी = सद्वाणी
उत् + लास = उल्लास	सत् + गुरु = सद्गुरु
उत् + मत्त = उन्मत्त	सत् + जन = सज्जन
उत् + घाटन = उद्घाटन	सत् + शास्त्र = सच्छास्त्र

शब्द–रचना की इस विशेषता को संधि का नाम दिया जाता है। भाषा विज्ञान में इसे समीकरण कहते हैं, अर्थात् कुछ दृष्टियों से दोनों ध्वनियों का समान हो जाना। ऐसे स्थलों को पहचानने से हम शब्द रचना से परिचित हो सकेंगे और शब्द के सही अर्थ को पहचान सकेंगे। रचना के नियम जानने पर हमें वर्तनी और उच्चारण का भी सही ज्ञान होगा।

2.8 ध्वनि और लिपि में असामंजस्य

हमने ऊपर कहा था कि हिंदी को वैज्ञानिक भाषा माना जाता है क्योंकि उसमें प्रायः जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा भी जाता है। हमने 'प्रायः' कहा है। इसका मतलब यह है कि इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। इन अपवादों के कई कारण हैं, जैसे संस्कृत भाषा से /ष/ध्वनि हिंदी में आई थी, लेकिन उच्चारण–परिवर्तन के कारण यह ध्वनि अब समाप्त–सी हो गई है। आज कुछ लोग हिंदी में 'श', 'ष' दोनों का एक जैसा उच्चारण करते हैं। आज यदि चाहें तो इनके उच्चारण में भेद भी किया जा सकता है। 'श' तालव्य है, जिसे बोलने में जीभ तालु से लगती है और 'ष' मूर्धन्य ध्वनि है जिसे बोलने में जीभ तालु से पीछे मूर्धा से लगती है। उच्चारण में अंतर न कर सकने के कारण ज्यादातर सीखने वाले छात्र इन दोनों वर्णों के सही प्रयोग को समझ नहीं सकते और इस कारण गलतियाँ करते हैं। इस तरह संस्कृत से आए दो और वर्ण हैं– 'ऋ', 'ज्ञ', जिनके मूल उच्चारण को हम आज नहीं जानते। हम क्रमशः इन्हें /रि/, /ग्य/के रूप में उच्चरित करते हैं। इसीलिए बहुत से छात्र विज्ञान को 'विग्यान' लिखते हैं। इसी तरह संस्कृत से आया हुआ एक और वर्ण है 'क्ष' जिसके उच्चारण की एक विशेषता है। यह एक वर्ण है, लेकिन उच्चारण के स्तर पर दो ध्वनियाँ हैं– /क/ + /ष/। हमें ऐसे स्थानों पर ध्यान देना चाहिए, जहाँ उच्चारण और लेखन में सामंजस्य नहीं है और इन स्थलों पर होने वाले वर्तनी–दोषों को दूर करने के लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

उच्चारण के संदर्भ में एक और कठिनाई है। हिंदी भाषी क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसलिए क्षेत्र विशेष के अनुसार भी उच्चारण के विविध रूप दिखाई पड़ते हैं, जैसे कुछ जगहों में लोग 'श' 'ष' को /स/बोलते हैं और कुछ जगहों में लोग /व/ के स्थान पर /ब/ बोलते हैं। उच्चारण की इस क्षेत्रीय विशेषता के कारण उनकी भाषा में अर्थ भेदकता आ जाती है। ऐसे

लोग /साम/, /शाम/या/साल/,/शाल/ में अंतर नहीं करते। ऐसी क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण भी छात्रों में वर्तनी–दोष दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह से हिंदी की लिपि के मानक स्वरूप की कल्पना की गई और मानक रूप देने का यत्न किया गया, उसी तरह यह भी आवश्यक है कि हम हिंदी के मानक उच्चारण का स्वरूप निर्धारित करें। अंग्रेजी में इस प्रकार का प्रयत्न हो चुका है। रिसीव्ड प्रोननसिएशन (Received Pronunciation) नामक मानक उच्चारण स्वीकृत है। शायद वह दिन दूर नहीं जब हम हिंदी के उच्चारण को मानक रूप दे दें और स्कूल–कॉलेजों में शिक्षार्थियों को भाषा के मानक उच्चरित रूप से परिचित करा दें।

बोध प्रश्न

4) नीचे लिखे प्रश्नों का 'हाँ' या 'नहीं' में उत्तर दीजिए।

   1) भाषा का लिखित रूप उसका मूल या वास्तविक रूप है (हाँ/नहीं)

   2) शब्द निर्माण में सबसे अधिक जरूरत ध्वनियों की पड़ती है। (हाँ/नहीं)

   3) भाषा के उच्चारण तत्वों को लिपि के माध्यम से पूर्ण रूप से समझा जा सकता है (हाँ/नहीं)

   4) हिंदी की लिपि के मानक स्वरूप की भांति हिंदी के मानक उच्चारण का स्वरूप भी निर्धारित होना चाहिए। (हाँ/नहीं)

   5) दो ध्वनियों के साथ में आने पर कुछ हद तक समरूप हो जाने को भाषा विज्ञान में समीकरण कहते है। (हाँ/नहीं)

   6) उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बीच में लगकर उसे नया अर्थ प्रदान करते हैं। (हाँ/नहीं)

5) नीचे लिखे शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द लिखिए।

1)	उत् + मीलित	9)	सत् + आचार
2)	उत् + डयन	10)	सत् + चरित्र
3)	उत् + शिष्ट	11)	सत् + भावना
4)	उत् + नयन	12)	सत् + विचार
5)	उत् + मूलित	13)	सम् + चय
6)	उत् + नति	14)	सम् + सार
7)	उत् + लेख	15)	सम् + धि
8)	सत् + निहित	16)	दिक् + विजय

2.9 सारांश

इस इकाई में आपने हिंदी की ध्वनियों के विषय में पढ़ा। आपने जाना कि भाषा में ध्वनियों का महत्व बहुत अधिक है। हम जब बोलते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का ही प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमें शब्द–निर्माण में सबसे ज्यादा ज़रूरत ध्वनियों की ही पड़ती है। इस दृष्टि से प्रस्तुत इकाई में आपने ध्वनि के संबंध–सूत्रों में निम्नलिखित जानकारी हासिल की।

- हिंदी प्रायः जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। उच्चारण और लेखन की अनुरूपता के कारण हिंदी को वैज्ञानिक भाषा माना जाता है।
- यदि किसी भी शब्द में एक ध्वनि भी बदल दी जाए तो उसका अर्थ भी बदल जाता है।
- ध्वनियों का महत्व उनके उच्चारण के कारण है। कहने वाला जो बात कहता है, सुनने वाला वही बात सुनता है। ऐसा न होने पर भ्रम उत्पन्न हो जाता है और संप्रेषण नहीं होता। इससे हम उच्चारण के अंतर को पहचानने में समर्थ होते हैं।
- हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है इसलिए अलग–अलग स्थानों पर कुछ ध्वनियों के उच्चारण में अन्तर आ जाता है।

आपने इकाई में विभिन्न स्वरों तथा व्यंजनों के उच्चारण संबंधी नियमों का अध्ययन किया। इसके साथ–साथ ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण के अंतर और घोष–अघोष, अल्पप्राण–महाप्राण, नासिक्य, कंठ्य, तालव्य आदि व्यंजनों के उच्चारण संबंधी विशिष्टताओं को पहचाना। आपने उच्चारण के आधार पर वर्तनी की कुछ विशेषताओं का भी अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त आपने हिंदी में अन्य भाषाओं से आई ध्वनियों का परिचय भी प्राप्त किया। अनुतान या लहजा अर्थात् बोलने के ढंग की संक्षिप्त जानकारी के साथ ही आपने ध्वनि और लेखन के संबंधों तथा शब्द–रचना के नियमों की जानकारी भी प्राप्त की।

2.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

डॉ. भोलानाथ तिवारी (सं) : हिंदी की ध्वनि–संरचना, साहित्य सहकार, ई–10/4, कृष्णानगर, दिल्ली।

2.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1) 1) गलत 2) सही 3) सही 4) गलत
   5) गलत

2) 1) ध्वनियाँ 2) अनुतान/लहजा 3) अर्थ/अंतर 4) विराम
   5) घोषत्व

3) 1) क्/म् 2) इ/ई 3) ए/ओ 4) म्/प्
   5) स्, र्/ख् ट् 6) क्/ख् 7) स्, च्/अ्, छ, 8) आ/अ
   9) अ/आ 10) अ/आ 11) आ, अ/ओ, ई 12) र्, अ/ऋ
   13) आ/ई 14) म्/व्

4) 1) नहीं 2) हाँ 3) नहीं 4) हाँ 5) हाँ 6) नहीं

5) 1) उन्मीलित 2) उड्डयन 3) उच्छिष्ट 4) उन्नयन
   5) उन्मूलित 6) उन्नति 7) उल्लेख 8) सन्निहित
   9) सदाचार 10) सच्चरित्र 11) सद्भावना 12) सद्विचार
   13) संचय 14) संसार 15) संधि 16) दिग्विजय

इकाई 3 हिंदी का प्रयोजनमूलक स्वरूप

इकाई की रूपरेखा

3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 प्रयोजनमूलक भाषा से तात्पर्य

3.3 प्रयुक्ति की संकल्पना

3.4 प्रयुक्ति का आधार

- 3.4.1 विषय क्षेत्र
- 3.4.2 संप्रेषण का तरीका
- 3.4.3 वक्ता और श्रोता अथवा लेखक और पाठक की स्थिति
- 3.4.4 भाषा प्रयोग की औपचारिक तथा अनौपचारिक स्थिति

3.5 हिंदी की प्रयुक्तियाँ और प्रयोजनमूलक हिंदी

3.6 प्रयोजनमूलक हिंदी जानने की आवश्यकता क्यों?

3.7 प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप

- 3.7.1 वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में हिंदी
- 3.7.2 वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी
- 3.7.3 कार्यालयी हिंदी
- 3.7.4 विधि के क्षेत्र में हिंदी
- 3.7.5 सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी
- 3.7.6 संचार माध्यमों में हिंदी
- 3.7.7 विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी

3.8 प्रयोजनमूलक हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर

3.9 प्रयोजनमूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में अंतर

3.10 सारांश

3.11 शब्दावली

3.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

3.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

3.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप बता सकेंगे कि:

- प्रयोजनमूलक हिंदी क्या है;
- प्रयुक्ति क्या है और यह किस आधार पर निर्मित होती है;
- हिंदी की प्रयुक्तियाँ कौन–सी हैं; तथा
- हिंदी के प्रयोजनमूलक स्वरूप कौन से हैं और वे हिंदी की अन्य प्रयुक्तियों से किस प्रकार भिन्न हैं।

3.1 प्रस्तावना

इस इकाई में आप हिंदी के प्रयोजनपरक प्रकार्य के बारे में पढ़ेंगे। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि प्रयोजनपरक या प्रयोजनमूलक भाषा से क्या तात्पर्य है। आपके इस सवाल का जबाव हम इस इकाई में देंगे। इसके साथ ही, यह भी बताएँगे कि प्रयोजनमूलक भाषा की ज़रूरत क्यों होती है, उसके प्रयोजन कौन–कौन से होते हैं, यह प्रयोजनपरकता किन आधारों पर निर्धारित होती है। एक प्रयोजन दूसरे प्रयोजन से किस प्रकार भिन्न होता है। इस तरह की जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हुए हम प्रयोजनूलक हिंदी के स्वरूप और उसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे।

3.2 प्रयोजनमूलक भाषा से तात्पर्य

'प्रयोजन' शब्द से तात्पर्य है कोई उद्देश्य अथवा लक्ष्य। अतः प्रयोजनमूलक भाषा वह भाषा होगी जो किसी उद्देश्य विशेष से संबंधित हो। यों तो भाषा का प्रयोजन सदैव ही विचारों की अभिव्यक्ति होता है, चाहे वह अभिव्यक्ति मौखिक रूप में हो या लिखित रूप में। लेकिन जब हम 'प्रयोजनमूलक भाषा' कहते हैं तो तात्पर्य किसी प्रयोजन विशेष के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा होता है। प्रश्न उठता है कि वह प्रयोजन क्या है? उत्तर होगा, जीवन के विविध कार्य क्षेत्रों से संबंधित प्रयोजन। आप जानते हैं कि दैनंदिन जीवन में हमारी विभिन्न भूमिकाएँ होती हैं, जैसे पारिवारिक जीवन की भूमिका, व्यावसायिक जीवन की भूमिका। हमारा भाषा–व्यवहार इस भूमिका के आधार पर निर्धारित होता है। अपने माता–पिता के रूप में या संतान के रूप में या फिर पति–पत्नी के रूप में जो हमारा भाषा–व्यवहार होता है वह व्यवसाय के क्षेत्र में हमारे भाषा–व्यवहार से भिन्न होता है यानी जिस तरह की भाषा में हम अपने माता–पिता से बात करते हैं, उस तरह की भाषा में अपने अध्यापक से अथवा सहयोगी–कर्मचारी से बातचीत नहीं करते। पहले व्यवहार में अनौपचारिकता होती है, जबकि दूसरे व्यवहार में औपचारिकता। इसके अलावा, आपने यह भी गौर किया होगा कि जब हम डॉक्टर से दवा लेने जाते हैं। या बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं या फिर राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहाँ हम जो बातचीत करते हैं उसकी भाषा में और अपने मित्र अथवा परिवारीजनों से मिलकर जो बातचीत करते हैं उस भाषा में काफ़ी अंतर होता है। चिकित्सालय, बैंक अथवा राशन कार्ड कार्यालय या ऐसे ही किसी अन्य कार्यालय में जिन लोगों से हमारा संपर्क होता है, उनकी बातचीत में औपचारिकता के अलावा भी कोई खास बात होती है और वह खास बात होती है, उनकी विशिष्ट शब्दावली। उस स्थान अथवा कार्यालय विशेष में कार्यरत सभी लोग जिस शब्दावली का व्यवहार करते हैं, वह उसके बाहर आम जीवन में अक्सर प्रयुक्त नहीं होती। इस तरह, किसी व्यवसाय अथवा कार्य क्षेत्र के लोगों द्वारा उस व्यवसाय अथवा कार्य क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा प्रयोजनमूलक भाषा कहलाती है। डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, पत्रकार, व्यापारी आदि के कार्य क्षेत्रों से संबंधित भाषा के विशिष्ट स्वरूप को प्रयोजनमूलक भाषा कहा जाता है क्योंकि यह उनके व्यवसाय अथवा कार्यों के विशिष्ट प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल होती है।

अतः यह नहीं समझना चाहिए कि किसी भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरूप उस भाषा के मूल रूप यानी शब्द–संरचना, पदावली अथवा अन्य व्याकरणिक रूपों से भिन्न होता है, बल्कि भाषा के इस व्यापक रूप के भीतर ही विद्यमान रहता है और उसके विविध क्षेत्रों में प्रयोग के आधार पर निर्मित होता है। जैसे कानून और न्याय के क्षेत्र में कार्यरत लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा रूप विज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त भाषा रूप से अलग होगी। इस तरह जब हम

प्रयोजनमूलक हिंदी की बात करेंगे तो मूल भाषा होगी हिंदी और विविध प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त उसके रूप प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत आएँगे। हम प्रयोजनमूलक अंग्रेज़ी या बंगला या जापानी की बात करेंगे, तब भी यही बात लागू होगी।

जीवन के विविध क्षेत्रों में व्यवहार में लाए जाने वाले भाषा रूप के कारण प्रयोजनमूलक भाषा को व्यावहारिक भाषा भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी में यह functional language कहलाती है। अतः ध्यान रखना चाहिए कि प्रयोजनमूलक हिंदी अथवा व्यावहारिक हिंदी एक–दूसरे का पर्याय हैं।

हिंदी के संदर्भ में व्यावहारिक अथवा प्रयोजनमूलक विशेषण का प्रयोग अपेक्षाकृत नया है। इसका ऐतिहासिक कारण है और वह कारण यह है कि इसका विविध प्रयोजनों के लिए सामान्य प्रयोग अपेक्षाकृत नई घटना है। हिंदी भाषा और उसकी बोलियाँ या साहित्यपरक और बोलचाल का रूप जितना पुराना है, उतना अन्य प्रयोजनपरक रूप नहीं है। हालाँकि अंतर्देशीय वाणिज्य और व्यापार की भाषा के रूप में हिंदी बहुत समय से देश की संपर्क भाषा बनी हुई थी, लेकिन आधुनिक काल में आकर उसने कई नए दायित्वों का वहन किया है। उन्नीसवीं शताब्दी में पश्चिमी ज्ञान–विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संपर्क, आधुनिक शिक्षा की शुरुआत के साथ शिक्षा के माध्यम के रूप में उसके प्रयोग, भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता के विकास और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् संघ की राजभाषा के रूप में उसकी स्वीकृति, देश में औद्योगिक विकास आदि कारणों से या हिंदी भाषा को नए दायित्वों से गुज़रना पड़ा और उनके विभिन्न प्रयोजनमूलक क्षेत्र विकसित हुए और हो रहे हैं।

जैसे–जैसे नए–नए क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग बढ़ता है, वैसे–वैसे भाषा में उन क्षेत्रों के अनुरूप प्रयुक्तियाँ विकसित होती हैं। इन प्रयुक्तियों से ही भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरूप निर्धारित होता है।

आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि 'प्रयुक्ति' क्या है? उसकी चर्चा हम आगे करेंगे।

बोध प्रश्न 1

i) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएः

क) जीवन के विविध कार्य क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को .... कहते हैं।

ख) जीवन में विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं के आधार पर हमारा .... व्यवहार निर्धारित होता है।

ग) प्रयोजनमूलक हिंदी और ..... एक दूसरे की प्रर्याय है।

ii) 'हाँ' या 'नहीं' पर (√) निशान लगाकर उत्तर दीजिएः

क) हिंदी का प्रयोजनमूलक रूप भी उतना ही पुराना है, जितना उसका साहित्यिक रूप। हाँ/नहीं

ख) किसी भाषा का प्रयोजनमूलक रूप उसके मूल रूप–शब्द संरचना व्याकरण आदि–से भिन्न होती है। हाँ/नहीं

ग) जैसे–जैसे भाषा नए–नए कार्य क्षेत्रों में प्रयुक्त होती जाती है, वैसे–वैसे उसकी नई–नई प्रयुक्तियाँ विकसित होती जाती हैं। हाँ/नहीं

3.3 प्रयुक्ति की संकल्पना

'प्रयुक्ति' शब्द 'प्रयुक्त' से बना है। प्रयुक्त का अर्थ है बार–बार प्रयोग में लाया हुआ यानी लगातार प्रयोग किया जाने वाला भाषा का जो रूप जिस क्षेत्र में लगातार प्रयुक्त होता है, उसे क्षेत्र विशेष की प्रयुक्ति कहा जाता है। हिंदी में वस्तुतः यह शब्द अंग्रेज़ी के 'Register' शब्द के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। सामाजिक जीवन व्यवहार में हर क्षेत्र की भाषा की अपनी विशिष्टताओं को देखते हुए भाषाविदों ने 'रजिस्टर' यानी प्रयुक्ति की संकल्पना निर्धारित की है। सामाजिक स्तर भेद के कारण भाषा में जो अंतर आता है, वही प्रयुक्ति का रूप निर्धारण करता है जैसे व्यापारियों की भाषा और कचहरी की भाषा का अपना–अपना अलग मुहावरा और शब्दावली होती है। इस तरह विविध स्थितियों और विषय क्षेत्रों में भाषा व्यवहार की एक निश्चित पद्धति बन जाती है, जो उस क्षेत्र विशेष के समाज द्वारा सामान्य रूप से स्वीकृत होती है। प्रयोजनमूलक भाषा के विविध रूप इन प्रयुक्तियों पर निर्धारित होते हैं। सामाजिक स्तर की भूमिका के भेद के कारण भाषा का अंतर यद्यपि काफ़ी छोटे या सीमित स्तर पर देखा जाता है जैसे बच्चों की भाषा या स्त्रियों की भाषा या पुरुषों की भाषा, नौकरीपेशा लोगों की भाषा, श्रमिकों की भाषा, मिल–मालिकों की भाषा आदि। लेकिन यह भेद प्रयुक्ति का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि प्रयुक्ति का संबंध एक स्तर पर व्यवसाय अथवा आजीविका विशेष से भी होता है और उस व्यवसाय क्षेत्र से संबंधित सभी लोगों की भाषागत समानता के आधार पर प्रयुक्ति का निर्धारण होता है। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक हिंदी को लें तो प्रयोगशाला में कार्यरत वैज्ञानिक और उसके तकनीकी सहायक से लेकर विज्ञान के क्षेत्र में लेखक, अध्यापक, विद्यार्थी तक विभिन्न स्तरों के व्यक्ति उस क्षेत्र की भाषा से परिचित होंगे।

3.4 प्रयुक्ति का आधार

हम चर्चा कर चुके हैं कि प्रयोग की विशेषताओं के आधार पर किसी भाषा के अंतर्गत प्रयुक्तियाँ अथवा 'रजिस्टर' बन जाते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या एक प्रयुक्ति दूसरी से सर्वथा भिन्न होती है तथा इन प्रयुक्तियों को किस आधार पर निश्चित अथवा निर्धारित किया जाता है। प्रयुक्ति चूँकि भाषा के भीतर ही विशिष्ट भाषा रूप होता है, अतः उस भाषा की व्यापक विशेषताएँ तो उसमें होती ही हैं। यानी विभिन्न प्रयुक्तियों की शब्दावली मिलकर उस भाषा की शब्दावली बनती है तथा भाषा की संरचना और उसका सामान्य मुहावरा प्रयुक्तियों में मौजूद रहता है। इसलिए एक प्रयुक्ति का दूसरी प्रयुक्ति में अंतः प्रवेश बराबर होता रहता है। उदाहरण के लिए, हमें साहित्यिक लेखन में विज्ञान, दर्शन अथवा गणित की शब्दावली का समावेश आम तौर पर देखने को मिलता है। लेकिन इसके बावजूद शब्दावली प्रयुक्ति का महत्वपूर्ण आधार होती है। प्रयुक्ति के निर्धारण में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह निर्वाह दो प्रकार से होता है:

1) क्षेत्र विशेष की विशिष्ट शब्दावली होती है। जैसे, ऑक्सीज़न, हाइड्रोज़न आदि विज्ञान के शब्द हैं।

2) शब्दों के अर्थ विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न होते हैं जैसे 'पद' शब्द कविता में छंद विशेष के लिए प्रयुक्त होता है, आम बोलचाल में इसका अर्थ पैर से है, व्याकरण में इसका अर्थ अभिव्यक्ति से संबंधित है और प्रशासनिक क्षेत्र में इसका अर्थ ओहदे से है।

शब्दावली के अतिरिक्त और भी कई महत्वपूर्ण आधार हैं जिनसे प्रयुक्ति को पहचाना या निर्धारित किया जा सकता है। इनकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं:

3.4.1 विषय क्षेत्र

भाषा का प्रयोग जिस विषय क्षेत्र में किया जाए वह विषय विशेष या संदर्भ विशेष भाषा के स्वरूप को निर्धारित करता है उस क्षेत्र विशेष की शब्दावली और वाक्य संरचना अपने ढंग की होती है, जो अपने क्षेत्र विशेष में काफी सार्थक और परिपाटीबद्ध होती है जैसे कचहरी (न्यायालय) की भाषा को ही लें। कचहरियों में इस्तेमाल होने वाली हिंदी में अधिकतर उर्दू शब्दों की बहुलता होती है और वाक्य विन्यास भी अपने ढंग का होता है, भाषा औपचारिक होने के साथ ही अर्थ की एक निश्चितता होती है। उदाहरण के लिए 'बनाम' शब्द सुनते ही हमें दो ऐसे पक्षों का ध्यान आ जाएगा जिनके बीच कोई मुकदमा चल रहा हो लेकिन 'बनाम' के स्थान पर कोई अन्य शब्द नहीं रखा जा सकेगा। यानी 'रामसिंह बनाम केसरी सिंह' शब्दों के विवादाधीन मामले की जो ध्वनि निकली है, वह 'रामसिंह और केसरी सिंह के बीच' कहने से नहीं निकलेगी। इसी भाँति, न्यायालय में जब वादी या प्रतिवादी पक्ष को प्रस्तुत होने के लिए आदेश दिया जाता है तो कहा जाता है ".....हाज़िर हों" लेकिन कोई सार्वजनिक सभा चल रही हो तब मंच पर किसी व्यक्ति को बुलाया जाएगा तो "..... हाज़िर हों" न कहकर कहा जाएगा, "..... मंच पर आएँ या आने का कष्ट करें"।

3.4.2 संप्रेषण का तरीका

संप्रेषण का तरीका भी प्रयुक्ति का स्वरूप निर्धारित करने का महत्वपूर्ण घटक होता है। मौखिक और लिखित संप्रेषण के अनुसार हमारी शब्दावली, लहजा, वाक्य विन्यास आदि में बड़ा परिवर्तन आता है। लिखित रूप में औपचारिकता और सतर्कता, दोनों ही बढ़ जाते हैं।

3.4.3 वक्ता और श्रोता अथवा लेखक और पाठक की स्थिति

संप्रेक्षण लिखित हो अथवा मौखिक, इस बात का बहुत असर पड़ता है कि कौन किससे किस समय बात कर रहा है जैसे आयुर्विज्ञान संस्थान का एक डॉक्टर मरीज़ की नाजुक हालत और उसके उपचार के संबंध में अपने सहयोगियों से राय–मशविरा कर रहा हो तब और अपने अनुसंधान आलेख को विद्वान मंडली में पढ़ रहा हो तब उसकी भाषा के वाक्य–विन्यास, लहजे आदि में काफ़ी अंतर होता है। वही डॉक्टर जब उस बात को आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष के छात्रों को समझा रहा हो तो फिर एक खास तरह का अंतर दिखाई देता है।

3.4.4 भाषा प्रयोग की औपचारिक तथा अनौपचारिक स्थिति

ऊपर जिस डॉक्टर का उदाहरण दिया गया है, वही जब अपने डॉक्टर मित्रों से चाय पार्टी में बात कर रहा हो तब उसका भाषा व्यवहार ऑपरेशन की मेज पर उन्हीं डॉक्टर मित्रों के भाषा व्यवहार से भिन्न होगा। कहने का आशय यह है कि पहली स्थिति में वह अनौपचारिक भाषा का इस्तेमाल करेगा, जबकि दूसरी स्थिति में वह पूरी तरह औपचारिक और सचेत होगा। दूसरी स्थिति में उसकी भाषा चिकित्साविज्ञान की प्रयुक्ति के भीतर आएगी, जबकि पहली स्थिति में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है।

उपर्युक्त आधारों को हम प्रयुक्ति के निर्धारण में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि ये चारों आधार हर प्रयुक्ति के संबंध में बराबर मात्रा में लागू हों। ये आधार वस्तुतः मोटे तौर पर निर्धारित किए गए हैं और दो प्रयुक्तियों के बीच अंतर में कभी किसी एक या दो आधारों पर बल रहता है तो कभी अन्य आधारों पर।

सामान्य या समाज और जीवन के विविध कार्य क्षेत्रों के आधार पर किसी भाषा की निम्नलिखित प्रयुक्तियाँ हो सकती हैं:

- सामान्य व्यवहार की प्रयुक्ति
- साहित्यिक प्रयुक्ति
- वाणिज्य व्यापार की प्रयुक्ति
- प्रशासनिक प्रयुक्ति
- विधिक प्रयुक्ति
- वैज्ञानिक प्रयुक्त
- मीडिया अथवा पत्रकारिता (संचार माध्यमों) से संबंधित प्रयुक्ति
- विज्ञापनी प्रयुक्ति

इन प्रयुक्तियों के अलावा भी और तरह की प्रयुक्तियाँ आवश्यकतानुसार विकसित हो सकती हैं।

3.5 हिंदी की प्रयुक्तियाँ और प्रयोजनमूलक हिंदी

ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कि भाषा की मौजूदा प्रयुक्तियाँ अथवा रजिस्टर वर्तमान जीवन संदर्भो को दृष्टि में रखकर निर्धारित हुए हैं। यदि किसी समाज का विकास अन्य किन्हीं क्षेत्रों में होगा तो उसमें संबंधित भाषा की नई प्रयुक्तियों का विकास होगा। हम पहले कह चुके हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी का तेज़ी से विकास आधुनिक युग में आकर हुआ है। इस कारण बदलती हुई जीवन स्थितियों में भाषा को नए दायित्वों से होकर गुज़रना पड़ा है और उसने नई अर्थच्छवियाँ और नए रूप विकसित किए हैं। आधुनिक काल से पूर्व हमारी सामाजिक व्यवस्था कृषि एवं शिल्प पर आधारित व्यवस्था है। अतः कृषि, हस्तशिल्प, और व्यापार संबंधी प्रयुक्तियाँ हमारी बोलियों में मौजूद थीं। आधुनिक औद्योगीकरण और वैज्ञानिक विकास के साथ हिंदी भाषा नई प्रयुक्तियों में ढली है और ढल रही है। इस तरह समाज का विकास जिन–जिन क्षेत्रों में जाएगा जिन–जिन क्षेत्रों में हिंदी भाषा का प्रयोग हम करते रहेंगे उन–उन क्षेत्रों से संबंधित प्रयुक्यिाँ इस भाषा में विकसित होती रहेंगी।

हिंदी भाषा की प्रमुख वर्तमान प्रयुक्तियाँ निम्नलिखित हैं :

1) सामान्य व्यवहार या बोलचाल की हिंदी
2) साहित्यिक हिंदी
3) वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में हिंदी
4) वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी
5) कार्यालयी हिंदी
6) विधि के क्षेत्र में हिंदी
7) सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी
8) संचार माध्यमों में हिंदी
9) विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी

इन नौ प्रयुक्तियों में से पहली दो को छोड़कर शेष सात प्रयुक्तियों का संबंध प्रयोजनमूलक हिंदी से है। पहली प्रयुक्ति यानी सामान्य बोलचाल की भाषा अनौपचारिक होती है। साथ ही, इसमें बड़ी व्यापक छूट होती है, जरूरत पड़ने पर किसी भी क्षेत्र विशेष की प्रयुक्ति का समावेश इसमें किया जा सकता है। दूसरी यानी साहित्यिक भाषा में भी इस तरह की छूट होती है। साथ ही, साहित्य के अपने बंधनों और अनुशासनों को भी अवसरानुकूल अपनाया जा सकता है। अन्य सभी प्रयुक्तियाँ व्यवसाय विशेष अथवा ज्ञान विशेष से संबंधित हैं। उनसे परिचय के लिए संबद्ध विषय का ज्ञान तथा व्यवसाय में सक्रिय होने की ज़रूरत होती है।

3.6 प्रयोजनमूलक हिंदी जानने की आवश्यकता क्यों?

आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि प्रयोजनमूलक हिंदी को जानने की जरूरत क्या है। जब हम हिंदी भाषा को पढ़ना–लिखना जानते हैं, उसमें रचित साहित्य रुचि से पढ़ते हैं तो फिर हमारा भाषा ज्ञान पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में प्रयोजनमूलक हिंदी हमारे लिए क्यों प्रासंगिक है? हाँ, यह सही है कि किसी भाषा को लिखना–बोलना जानने पर आप उसके जानकार कहे जा सकते हैं, और उसका साहित्य पढ़कर आप उस भाषा की विविध भाव–भंगिमाओं से परिचित भी हो सकते हैं। किंतु साहित्य भाषा का एक पक्ष होता है। उसमें उस भाषा को बोलने वालों के जीवनानुभव, आशाएँ और आकांक्षाएँ निहित होती हैं। पर यह उनके जीवन का एक पक्ष होता है। उनके जीवन का दूसरा पक्ष होता है उनका सामाजिक व्यवहार, उनके सामाजिक कार्यकलाप और इस व्यवहार और कार्यकलापों का माध्यम प्रयोजनमूलक भाषा होती है। इसलिए भाषा का प्रयोजनमूलक पक्ष भी उसके साहित्यिक पक्ष से कम महत्वपूर्ण नहीं होता। इस बात को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। बी.ए. के विद्यार्थी के रूप में आप हिंदी, अंग्रेज़ी या कोई अन्य भाषा पढ़ते हैं। भाषा के पर्चे में पूछे गए व्याकरण संबंधी या साहित्य संबंधी सवालों के सही उत्तर देना आपके लिए जरूरी है। लेकिन आपकी भाषा की ज़रूरत यहीं खत्म नहीं हो जाती। इतिहास, राजनीतिविज्ञान, वाणिज्य, विज्ञान अथवा अर्थशास्त्र के प्रश्नपत्रों में पूछे गए सवालों का उत्तर देने के लिए भी आपको एक माध्यम भाषा की जरूरत पड़ती है। यह माध्यम भाषा – चाहे वह अंग्रेज़ी हो या हिंदी – आपको इतनी अच्छी तरह से आनी चाहिए कि आपने जो कुछ पढ़ा है, उसे समझ सकें और परीक्षा में सही ढंग से उत्तर लिख सकें। यदि आप वाणिज्य के विद्यार्थी हैं तो आपको जानना होगा कि प्राप्त होने वाली और अदा की जाने वाली धनराशियों के हिसाब–किताब को 'लेखाकरण' कहा जाता है। इसी तरह, जिस चैक को बैंक भुगतान करने के इंकार करता है उसे 'अस्वीकृत चैक' कहा जाता है। आप यदि सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो भी यदि आपके सामने दो शब्द हैं 'राष्ट्रीयता' और 'राष्ट्रवाद'। ये दोनों ही शब्द 'राष्ट्र' शब्द से बने हैं, लेकिन दोनों के बीच का अंतर आपको पता होगा, तभी आप विषय को भली–भाँति समझ सकेंगे।

एक और उदाहरण लें। यदि आपको क्रिकेट मैच का आँखों देखा हाल सुनाने का कार्य सौंपा जाता है तो जैसे ही आप इस ज़िम्मेदारी को सँभालेंगे तुरंत ही आपको जरूरत होगी कि क्रिकेट खेल की तकनीकी शब्दावली और इस विषय की बातचीत का मुहावरा आपको पता हो। इस तरह जो भाषा आपकी माध्यम भाषा है उसमें विषय–विशेष की शब्दावली और बातचीत कहने का तरीका आपको पता होना चाहिए। यह जानकारी भी भाषा के प्रयोजनमूलक स्वरूप की जानकारी है। इस तरह प्रयोजनमूलक भाषा की ज़रूरत हम सबको जीवन के सभी क्षेत्रों में पड़ती है।

बोध प्रश्न 2

1) प्रयुक्ति क्या होती है? यह किस प्रकार बनती है? लगभग सात पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) प्रयुक्ति के चार आधार कौन से हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) हिंदी भाषा की प्रयुक्तियाँ कौन सी है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4) प्रयोजनमूलक हिंदी जानने की जरूरत क्यों है? पाँच पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.7 प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप

हिंदी की प्रयुक्तियों की चर्चा के दौरान हम बता चुके हैं कि हिंदी के प्रयोजनमूलक रूप उसकी सात प्रयुक्तियों पर आधारित हैं। इनकी विस्तृत चर्चा हम यहाँ करेंगे।

3.7.1 वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में हिंदी

वाणिज्य और व्यापार का क्षेत्र जीवन का बड़ा ही व्यापक और महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। इसका संबंध समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों से होता है। दूसरी ओर, इसका विस्तार किसी भाषा–भाषी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित न होकर अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भी होता है। हिंदी काफ़ी समय से देश की संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही है और इस संपर्क की सर्वाधिक जरूरत व्यापार के क्षेत्र में रही है। इसलिए इस क्षेत्र की शब्दावली और बात कहने का ढंग काफ़ी हद तक परंपरागत है। साथ ही औद्योगिक प्रगति के युग में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार की भाषा अंग्रेज़ी होने के कारण आज इस क्षेत्र में हिंदी में भी अंग्रेज़ी शब्दावली का भरपूर समावेश हुआ है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए:

> 'लेखाकरण प्रणाली द्वारा समस्त वित्तीय कार्य व्यापारों को लेखा बहियों में रिकार्ड कर लिया जाता है। लेखाकरण में दर्ज सारे लेन–देन के बिल बीजक, रसीद, कैश मैमो आदि के रूप में लिखित प्रमाण उपलब्ध होने चाहिए।'

यहाँ 'बहियाँ, लेन–देन', 'बीजक' आदि परंपरागत हिसाब–किताब की शब्दावली के साथ ही रिकार्ड', 'बिल', 'कैश मैमो' जैसे अंग्रेज़ी से लिए गए शब्द प्रयुक्त हुए हैं। लेकिन जब हम अखबार का बाजार से संबंधित कालम पढ़ते हैं तो उनमें व्यापार की खास परंपरागत भाषा शैली भी दिखाई देती है उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिए:,

सोने की कीमतों में भारी उछाल

> नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (अमर उजाला)। शेयरों में गिरावट और रूपये में कमजोरी के बीच स्थानीय आभूषण निर्माताओं की ओर से सोने की माँग बढ़ने से सराफा बाजार में सोना 555 रूपये महँगा होकर प्रति 10 ग्राम 32,030 रूपये पर पहुँच गया। औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की ओर से लिवाली बढ़ाए जाने से चाँदी 450 रूपये महँगी होकर 39,400 रूपये प्रति किलोग्राम की हो गई।

3.7.2 वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी

भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और चिंतन की परंपरा प्राचीन काल में तो काफ़ी विकसित थी, किंतु मध्यकाल में इसमें कोई नया विकास नहीं हुआ। फलतः संस्कृत भाषा में तो विज्ञान संबंधी लेखन हुआ था, किंतु हिंदी में इसकी वैसी परंपरा नहीं रही। आधुनिक युग में आकर पश्चिम के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के परिचय के बाद हिंदी में वैज्ञानिक लेखन शुरू हुआ। परिणामस्वरूप हिंदी में विज्ञान की शब्दावली में प्राचीन संस्कृत शब्दों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली को ग्रहण किया गया है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैलोरी आदि ऐसे ही शब्द हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित वाक्यों को देखिए:

i) रसायनशास्त्र का एक मूलभूत नियम कहता है किसी, 'रासायनिक पदार्थ की, उसके शुद्ध रूप में रासायनिक संरचना सदैव एक ही रहती है।' उदाहरण के लिए, पानी सदैव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है जो 2:1 के अनुपात में संयुक्त होते

हैं। पानी का अणु बनाने के लिए भार के अनुसार दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन संयुक्त होते हैं। यह 'स्थिर रासायनिक संरचना का नियम' कहलाता है।

ii) ऊष्मा अपने आप किसी ठंडे पदार्थ से गर्म पदार्थ की ओर नहीं बहती यह ऊष्मा की गति का दूसरा नियम है।

यहाँ आपने शब्दावली की इस विशेषता के अतिरिक्त एक और बात पर गौर किया होगा कि भाषा में अर्थ की एक खास तरह की सुनिश्चतता है जैसे 'संयुक्त' शब्द यहाँ मिलने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। विज्ञान में वह केवल इसी अर्थ में प्रयुक्त होगा। इससे भिन्न प्रयोग आप प्रशासनिक क्षेत्र में देखेंगे, जहाँ 'संयुक्त निदेशक' या 'संयुक्त सचिव' जैसे प्रयोग मिलेंगे। इसी तरह यहाँ ऊष्मा का बहना आम बोलचाल में जल के बहने या किसी अन्य तरल पदार्थ के बहने की तुलना में विशिष्ट और सुनिश्चित अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

3.7.3 कार्यालयी हिंदी

कार्यालयी हिंदी से तात्पर्य प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी से है। प्रशासन का क्षेत्र चूँकि सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों के कामकाज से संबंधित है, अतः इस क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी को कार्यालयी हिंदी कहा जाता है। हिंदी का यह रूप वस्तुतः आज़ादी के बाद ही विकसित हुआ है। आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेज़ी को राजभाषा बनाया था। इससे पहले मुगलों की शासन व्यवस्था के दौरान फ़ारसी राजभाषा थी। प्रशासनिक कार्य व्यवस्था में हिंदी के प्रयोग की शुरुआत तब हुई, जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह महसूस किया गया कि स्वाधीन देश की राजभाषा उसकी अपनी भाषा होनी चाहिए। परिणामस्वरूप हिंदी को संघ की राजभाषा बनाया गया। इस तरह, हिंदी भाषा को जो नए दायित्व सौंपे गए उसके अनुरूप शब्दावली तथा भाषायी मुहावरे का विकास उसमें किया गया।

स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद सरकारी कार्यालयों में कामकाज की पद्धति वही अपनायी गई थी, जो अंग्रेज़ी शासन व्यवस्था के दौरान थी, अतः इस कार्य में हिंदी का प्रयोग करने के लिए अनुवाद की व्यापक मात्रा में ज़रूरत हुई। संपूर्ण कार्यविधि साहित्य अंग्रेज़ी में था। अब जब कार्य हिंदी में होने की बात शुरु हुई तो उस कार्यविधि साहित्य को हिंदी में प्रस्तुत किया जाना ज़रूरी था। इस तरह कार्यालयी हिंदी के विकास में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कार्यालयी हिंदी के स्वरूप को देखने पर हम पाते हैं कि इसमें सरलता, स्पष्टता और सुबोधगम्यता होना नितांत आवश्यक है। इसका कारण यह है कि यह भाषा उन लोगों की समझ में आनी ज़रूरी होती है जिनके लिए प्रशासन किया जा रहा है और ये लोग हैं आम जनता।

कार्यालय की भाषा औपचारिक भाषा होती है। यों तो विज्ञान की भाषा भी औपचारिक होती है, लेकिन कार्यालयी भाषा की औपचारिकता अधिकारी तंत्र के पदानुक्रम पर भी आधारित होती है। अपने से उच्चतर अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी से एक खास तरह की औपचारिकता का निर्वाह किया जाता है। इसके साथ ही पारिभाषिक शब्दावली का सुनिश्चित अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, इस पत्र को पढ़िए:

सं०.....

भारत सरकार

मुख्य आयात–निर्यात नियंत्रक का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांकः.....

सेवा में

अवर सचिव

विदेश व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली

विषयः .....

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपके पत्र सं ..... दिनांक ..... की पावती भेजने तथा यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि मामला अभी विचाराधीन है। आवश्यक निर्णय ले लिए जाने पर आपको शीघ्र ही सूचित किया जाएगा।

भवदीय

(एस.एन. मिश्र)

सहायक नियंत्रक, आयात तथा निर्यात

कार्यालय का नाम, पत्र संख्या आदि लिखकर तथा संबद्ध अधिकारी को पदनाम से संबोधित करते हुए पूरे पत्र में पर्याप्त औपचारिकता अपनाई गई है। मूल सूचना देने के पश्चात स्व–निर्देश के रूप में 'भवदीय' लिखते हुए हस्ताक्षर और पदनाम लिखा गया है। इस ढाँचेगत औपचारिकता के अतिरिक्त वाक्य–विन्यास भी औपचारिक है। जैसे 'पावती भेजने तथा यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि मामला विचाराधीन है।' इस वाक्य में स्पष्ट है कि पत्र लिखने वाला अधिकारी तो सूचना मात्र दे रहा है, निदेश देने वाला अधिकारी कोई अन्य व्यक्ति है जो मामले पर विचार करने और निर्णय लेने में सक्षम है। यहाँ 'विचाराधीन' के स्थान पर 'विचार किया जा रहा है' शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यद्यपि शब्दावली की दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कार्यालयी कार्यविधि की परिपाटी के अनुसार 'विचाराधीन' लिखने की औपचारिकता अपनाई गई है।

आपने गौर किया होगा कि यहाँ 'पावती' 'निदेश' 'अवर सचिव' आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में सामान्यतया प्रयुक्त नहीं करते। ये प्रशासन की तकनीकी शब्दावली के शब्द हैं। इसलिए 'पावती' के स्थान पर 'प्राप्ति की सूचना देना' नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह सामान्य बोलचाल में कोई हिदायत दी जाए तो उसके लिए 'निर्देश' शब्द प्रयुक्त होता है, किंतु प्रशासनिक भाषा में 'निदेश' शब्द का इस्तेमाल ही सही है।

इसके अतिरिक्त, आपने यह भी गौर किया होगा कि यहाँ वाक्य विन्यास में कर्तृवाच्य के स्थान पर कर्मवाच्य का प्रयोग है –'निदेश हुआ है', 'विचाराधीन है', 'सूचित किया जाएगा'। ध्यान देने की बात है कि हिंदी भाषा की सामान्य प्रवृत्ति कर्तृवाच्य प्रधान है लेकिन औपचारिक पत्र लेखन में कर्मवाच्य का प्रयोग ही अधिक होता है। इस प्रकार कार्यालयी हिंदी की एक विशेषता इसका कार्मवाच्य प्रधान होना भी है।

3.7.4 विधि के क्षेत्र में हिंदी

यद्यपि ब्रिटिश शासन काल के दौरान पश्चिमोत्तर प्रदेश में अदालती कामकाज में फारसी के स्थान पर हिंदी के प्रयोग के आदेश दिए गए थे, लेकिन व्यवहार रूप में कचहरियों की

भाषा उर्दू ही थी। कालांतर में अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रसार और उच्च शिक्षा की भाषा अंग्रेज़ी होने से हिंदी का महत्व केंद्रीय न रहकर हाशिए पर चला गया। आज़ादी के बाद जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तो इसे विधि एवं न्याय व्यवस्था में भी अपनाने का प्रश्न उठा। इसके लिए विधि शब्दावली निर्धारित की गई। विधिक भाषा की शब्दावली में अंग्रेज़ी के शब्दों के हिंदी पर्याय निर्धारित करते समय संस्कृत तथा अरबी–फ़ारसी शब्दों को आधार स्वरूप ग्रहण किया गया है।

विधि की भाषा बहुत ही सतर्क और सुनिश्चित भाषा होती है, क्योंकि उसमें जो कुछ कहा जा रहा है उसका सीधा और उतना ही अर्थ निकलना अपेक्षित है जितना कहने वाले या लिखने वाले का आशय है। इसलिए विधि के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली हिंदी में स्पष्टता और एकार्थकता नितांत रूप से आवश्यक होती है। यही कारण है कि संदर्भ–विशेष के लिए निश्चित शब्द ही प्रयुक्त होता है, उसके लिए पर्याय रखने की छूट नहीं होती। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए:

> (3) खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राज्य के विधान मंडल ने, उस विधान मंडल में पुनः स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iii) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेज़ी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहाँ उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेज़ी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेज़ी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

यहाँ 'उपखंड', 'पुनः स्थापित', 'पारित', 'प्रख्यापित', 'उपविधि' आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो विधि के क्षेत्र के अलावा अन्य किसी क्षेत्र में सामान्यतया प्रयुक्त नहीं होते। ये वस्तुतः विधि की तकनीकी शब्दावली है और यहाँ इन शब्दों के स्थान पर इनका कोई और पर्याय रखना उपयुक्त न होगा, क्योंकि जो बात कही जा रही है उसका निर्दिष्ट अर्थ के अतिरिक्त कोई भी और अन्य अर्थ निकलना अभीष्ट नहीं है।

शब्दावली के अतिरिक्त आपने वाक्य रचना पर भी गौर किया होगा। यहाँ भी कार्यालयी हिंदी की तरह कर्मवाच्य के प्रयोग की प्रवृत्ति दिखाई देती है। वाक्य भी सामान्य वाक्य प्रयोग की तुलना में काफ़ी लंबा है। पूरा पैरा ही एक वाक्य है जिसमें कई खंडों और उपवाक्यों को शामिल किया गया है। ऐसी वाक्य रचना हिंदी की सामान्य प्रवृत्ति नहीं है। किंतु हमारा विधिक लेखन अक्सर पहले अंग्रेज़ी में किया जाता है, फिर उसका हिंदी रूपांतरण होता है। अतः अंग्रेज़ी वाक्य के निहितार्थ को पूर्णतया ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए ऐसी वाक्य रचना की ज़रूरत पड़ जाती है।

3.7.5 सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी

सामाजिक विज्ञान की भाषा की विशेषता उस क्षेत्र की विशिष्ट शब्दावली होती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास आदि विषय आते हैं। इनकी शब्दावली संकल्पनाओं और विचारधाराओं पर आधारित होती है और अपने भीतर विशिष्ट अर्थ समाहित किए होती है। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित पैराग्राफ़ को पढ़िए:

> राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने स्वतंत्रता संघर्ष को वैचारिक आधार प्रदान करने और साम्राज्यवाद के आर्थिक नतीजों का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। हालाँकि राष्ट्रवाद ने अपना ध्यान बाह्य पक्ष अर्थात् भारत के साम्राज्यवादी शोषण पर ही केंद्रित किया और आतंरिक पक्ष अर्थात् भारतीय समाज में विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संघर्ष और वर्ग शोषण पर कम ध्यान दिया। इस दूसरे पक्ष पर अपनी

दृष्टि को केंद्रित करने का कार्य मार्क्सवादी दृष्टि के प्रभाव के परिणामस्वरूप हुआ और यह 1940 के दशक के बाद लगातार बढ़ता गया। इस नयी दृष्टि ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक राष्ट्रीय समीक्षा को ही शामिल नहीं किया बल्कि इस समीक्षा को भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा विश्व पूँजीवादी व्यवस्था के ढाँचेगत विश्लेषण के अंतर्गत रखकर विकसित भी किया गया।

यहाँ 'राष्ट्रवादी', 'राष्ट्रवाद', 'साम्राज्यवादी', 'पूँजीवाद', 'मार्क्सवाद', वर्ग शोषण आदि शब्दों पर गौर कीजिए। ये सभी पारिभाषिक शब्द हैं। इनका प्रयोग विशिष्ट अर्थों में होता है और जरूरी नहीं कि यह विशिष्ट अर्थ अपने मूल शब्द के अर्थ से सकारात्मक संगति ही रखे। 'राष्ट्र' से बना 'राष्ट्रवाद' शब्द और 'पूँजी' से बना 'पूँजीवाद' इसी प्रकार के शब्द हैं। राष्ट्र से ही बना राष्ट्रीय शब्द अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका तात्पर्य होता है देश–प्रेम, अपने राष्ट्र के प्रति निर्माणकारी, विकासपरक भूमिका अदा करने की इच्छा । लेकिन राष्ट्र से ही बने 'राष्ट्रवाद' में यह पूरी तरह सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ नहीं रखता। राष्ट्रवाद किन्हीं संदर्भो में अंधराष्ट्रभक्ति यानी अन्य राष्ट्रों को अपने राष्ट्र से नीचे मानने की प्रवृत्ति का भी सूचक होता है।

इस शब्दावलीगत वैशिष्ट्य के अतिरिक्त सामाजिक विज्ञानों की भाषा में वाक्य संरचना का स्वरूप सामान्य भाषा जैसा ही होता है। हाँ, अर्थशास्त्र में ज़रूर अपेक्षित संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है।

3.7.6 संचार माध्यमों में हिंदी

संचार माध्यमों के दो रूप हैं: (1) पत्र–पत्रिकाएँ (2) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। पहले माध्यम के अंतर्गत समाचार–पत्र – दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएँ आती हैं और दूसरे माध्यम के अंतर्गत रेडियो और टेलीविजन। अतः भाषा की संचार माध्यमों संबंधी प्रयुक्ति में उसके मौखिक और लिखित, दोनों रूप शामिल होते हैं। ये दोनों रूप समान होते हुए भी एक–दूसरे से काफी भिन्न होते हैं। दोनों रूपों में अभीष्ट तो संप्रेषण ही होता है, किंतु संप्रेषण व्यापार की प्रक्रिया, दोनों में समान ढंग की नहीं होती है। मौखिक रूप से कही गई बात को यदि हम ज्यों का त्यों लिपिबद्ध कर दें, तो जरूरी नहीं कि वह उतनी ही संप्रेषणीय हो जितनी मौखिक रूप में थी। इसी प्रकार यह भी हो सकता है कि कोई कथन लिखित रूप में पढ़ने में जितना प्रभावपूर्ण लग रहा हो, उतना सुनने में न लगे। इसका एक आधार यह भी होता है कि लिखी हुई बात को हम एक से अधिक बार पढ़ सकते हैं यानी पहली बार में न समझ में आए तो दूसरी बार या तीसरी बार पढ़ सकते हैं। लेकिन उच्चारित शब्दों का तुरंत संप्रेषणीय होना अनिवार्य है अन्यथा वक्ता का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

मुद्रित सामग्री के रूप में उपलब्ध समाचार–पत्र, पत्रिकाएँ तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के साथ संप्रेषण होता है। समाचार पढ़े जा रहे हैं या छापे जा रहे हैं तो वे वर्ग विशेष के लिए न होकर समाज के सभी वर्गों के लिए यानी बुद्धिजीवियों, व्यवसायियों आदि से लेकर किसान और श्रमिक वर्ग तक के लिए हैं। ऐसी स्थिति में भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सहज, सरल, स्पष्ट और बोधगम्य हो। लेकिन इसके साथ ही, संचार माध्यमों में विषयगत सीमा कोई नहीं होती। तकनीकी और विशिष्ट विषय या कला और साहित्य से लेकर खेल–कूद और बाजार भाव तक की सामग्री उनमें प्रस्तुत की जाती है। ऐसे में विभिन्न विषयों की अपेक्षित शब्दावली भी उनमें अवश्य ही समाविष्ट होती है और इस समावेश के बावजूद भाषा में बोलचाल की सरलता और लय बनाए रखनी पड़ती है।

इस तरह संचार माध्यमों में प्रयुक्त हिंदी जीवन के सभी क्षेत्रों से शब्दावली ग्रहण करते हुए उसे सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करने का प्रयास करती है। अंग्रेज़ी शब्दों के हिंदी

पर्याय इस्तेमाल करने के साथ ही यह उनके अंग्रेज़ी रूप को भी ग्रहण करती है और लिप्यंतरण भी खूब अपनाती है। इसके साथ ही यह हिंदी की बोलियों से भी शब्द ग्रहण करती है। जैसे 'भितरघात करना', 'पटकनी देना' आदि।

अखबारी भाषा में संक्षिप्तियाँ भी प्रयोग में लाई जाती हैं, जबकि हिंदी के अन्य प्रयोगों में संक्षिप्तियों का प्रचलन लगभग नहीं होता। 'जदयू' 'भाजपा', 'बसपा' आदि का प्रयोग अखबार में खूब मिलता है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि रेडियो और टेलीविज़न पर संक्षिप्तियों का प्रयोग इस ढंग से नहीं मिलता। क्या आप जानते हैं कि इस तरह का प्रयोग रेडियो और टेलीविज़न पर प्रसारित हिंदी में क्यों नहीं होता, जबकि अंग्रेजी में होता है। एक ही माध्यम द्वारा प्रसारित दो भाषाओं के प्रयोग में यह भेद क्यों है? यह भेद ही वस्तुतः एक ओर तो भाषा के मौखिक और लिखित रूप का अंतर प्रकट करता है दूसरी ओर हिंदी और अंग्रेजी के मुहावरे का अंतर बताता है। सामान्य रूप से संक्षिप्तियों के प्रयोग की प्रवृत्ति न होने के कारण हिंदी के श्रोता को उन्हें सुनते ही तुरंत समझने में कठिनाई हो सकती है, जबकि उनका लिखित रूप पढ़कर वह थोड़े से प्रयास से उन्हें समझ सकता है। अतः संप्रेषण में बाधा नहीं होगी।

3.7.7 विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी

विज्ञापन के क्षेत्र का संबंध काफी हद तक संचार माध्यमों से होता है। पत्र–पत्रिकाओं तथा रेडियो और टेलीविज़न पर विज्ञापन पढ़ना, सुनना और देखना हमारी इतनी आदत बन चुकी है कि यदि इनको बिल्कुल हटा दिया जाए तो हो सकता है कि थोड़े समय के लिए इनकी अनुपस्थिति हमें महसूस होती रहे। संचार माध्यमों के अलावा, विज्ञापन के अन्य माध्यम हैं–दीवारों, मार्गों, चौराहों आदि पर लगे बोर्ड और पोस्टर तथा सिनेमा का पर्दा । इस तरह, विज्ञापन के तीन रूप हैं: (1) दृश्य (2) श्रव्य (3) मुद्रित । टेलीविज़न और सिनेमा के पर्दे पर तीनों रूपों का इस्तेमाल होता है, समाचार–पत्र, पत्रिकाओं, बोर्डों और पोस्टरों में पहले और तीसरे का तथा रेडियो पर दूसरे का। ये तीनों ही रूप एक–दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं और भाषा अपनी गति और लय के साथ प्रस्तुत होती है, क्योंकि विज्ञापन का उद्देश्य सूचना देने के साथ ही ध्यान आकृष्ट करना भी होता है। यदि वह व्यापारिक विज्ञापन है तो उसमें इतना आकर्षण होना चाहिए कि देखने–सुनने वाला वस्तु को खरीदने के लिए लालायित हो उठे। यदि वह प्रचारपरक विज्ञापन है तो देखने–सुनने वाले के मन–मस्तिष्क पर उसका इतना गहरा असर होना चाहिए कि प्रचार करने वाले की बात पर गौर करने या उसे मानने के बारे में विचार अवश्य करे। यदि विज्ञापन रोज़गार आदि से संबंधित है तो उसमें सूचना की स्पष्टता, पूर्णता आदि अपेक्षित होती है। जब हम विज्ञापनों के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी भाषा पर गौर करते हैं तो हम उसमें कई तरह की विशेषताएँ पाते हैं। नीचे दी गई पंक्तियाँ पढ़िए:

उपर्युक्त उदाहरण में आप गौर करेंगे कि मुद्रित सामग्री पाठ्य और दृश्य, दोनों रूपों में ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से छापी गई है। छोटे–बड़े टाइप का प्रयोग इसी उद्देश्य से किया गया है। इसके अलावा, चित्र की सहायता भी ली गई है।

इन दृश्य विशिष्टताओं के अलावा, अब भाषागत विशिष्टताओं पर गौर कीजिए। 'लाइए', 'बचाइए' द्वारा तुकांत पंक्तियाँ लिखने का प्रयास है। साथ ही, वाक्य में शब्दों का क्रम सामान्य से भिन्न है 'उत्तमता ऐसी कि भारत–भर को है भरोसा' सामान्य ढंग से हम लिखते तो कहते 'भरोसा है'। यहाँ यह क्रम भी ध्यानाकृष्ट करने के उद्देश्य से रखा गया है।

इसके अलावा आपने यहाँ सुझावपरक वाक्य प्रयोग पर भी गौर किया होगा – हॉकिन्स लाकर ईंधन बचाने का सुझाव है। निम्नलिखित उदाहरण में भी इसी तरह की विशेषताएँ मिलेंगीः

'आयोडेक्स मलिए

काम पर चलिए,'

अब अगला उदाहरण देखिए, जिसमें शब्दों के साथ चित्र भी बोल रहा है।

यहाँ 'ज्यादा प्याले' के साथ 'बचत है प्यारे' लिखकर तुकांत बनाने का प्रयास किया गया है।

विज्ञापन में तुकांत शब्द प्रयोग का कुछ ऐसा प्रचलन है कि व्यापारिक विज्ञापनों के अलावा सरकारी प्रचारपरक विज्ञापनों में भी यह देखने को मिलता है। आपने चौराहों, सड़कों पर निम्नलिखित वाक्य छपे बोर्ड देखे होंगे:

"हम हाथ धोएँ जरूर
बीमारी रहे कोसों दूर"

"बेटी छुएगी आकाश
बस मौके की तलाश"

"जब घर में हो शिक्षित नारी
तो कुटुंब की शिक्षा न्यारी"

इस तरह तुकांत प्रयोग विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी की एक प्रमुख विशेषता है।

रेडियो अथवा टेलीविज़न आदि श्रव्य माध्यमों पर यह **तुकबंदी** गाने की लय पैदा करने में सहायक होती है और श्रोता इसे आसानी से याद रख पाते हैं।

"घर भर का है दुलारा
हमाम प्यारा प्यारा"

जैसा गाना आपने रेडियो पर खूब सुना होगा।

कभी–कभी विभिन्न ढंग के शब्द प्रयोग द्वारा अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण कथन द्वारा भी विज्ञापन ध्यान आकृष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित विज्ञापन को देखिए:

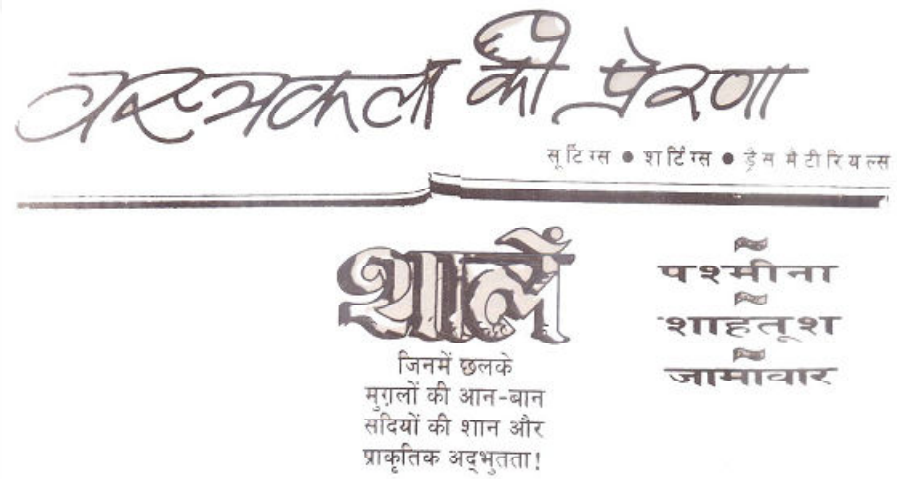

यदि अर्थ की दृष्टि से जाएंगे तो शब्द प्रयोग में कोई खास अर्थपरक गहनता न होगी। लेकिन भाषा में एक प्रकार की मोहकता या आकर्षण पैदा करने का प्रयास किया गया है। उसी उद्देश्य से 'अदभुतता' जैसा प्रयोग है, जो सामान्यतया प्रचलित नहीं है।

बोध प्रश्न 3

क) नीचे दिए गए उदाहरणों में से प्रत्येक के बारे में बताइए कि वह हिंदी की किस प्रयुक्ति से संबंधित है। अपना उत्तर प्रत्येक उदाहरण के नीचे दी गई रिक्त पक्ति में दीजिए।

i) इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

.....

.....

ii) आज़ादी सिर्फ भारत के लिए उपलब्धि नहीं थी बल्कि विदेशी शासन से स्वतंत्रता की इच्छा रखने वाले दुनिया के सभी उत्पीड़ित लोगों के लिए महत्वपूर्ण मोड़ था। भारतीय स्वतत्रता ने विश्व पैमाने पर उत्पीड़क औपनिवेशिक व्यवस्था को कमज़ोर किया। इसी संदर्भ में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है।

.....

.....

iii) आप न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को जानते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल किस प्रकार उनके द्रव्यमानों और उनके बीच की दूरियों पर निर्भर करता है।

.....

.....

iv) निम्नलिखित स्थितियों के आधार पर स्मरण पत्र का मसौदा तैयार कीजिए।

1) आपके कार्यालय में गृह मंत्रालय से दो सहायक प्रतिनियुक्ति पर आए हैं। उनके सेवा संबंधी कागजपत्र मँगाने के लिए दो पत्र भेजे जा चुके हैं।

2) विदेश व्यापार मंत्रालय में की गई कुछ तदर्थ नियुक्तियों को नियमित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से पत्र आया है। इस मामले को निपटाने के लिए कुछ सूचना सामग्री विदेश व्यापार मंत्रालय से मँगाई गई है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

.....

.....

v) झंझा है दिग्भरात रात्रि की मूर्च्छा गहरी,

आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी,
जब तक लौटे दिन हलचल
जब तक यह जागेगा प्रतिपल
रेखाओं में भर आभा–जल
दूत सांझ को इसे प्रभाती तक जलने दो।

.....

.....

ख) निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सही (√) या गलत (×) का निशान लगाकर दीजिए:

i) प्रयोजनमूलक हिंदी अनौपचारिक होती है। ( )

ii) कार्यालयी हिंदी में कर्तृवाच्य की प्रधानता होती है। ( )

iii) वैज्ञानिक हिंदी में अर्थ की सुनिश्चितता होती है। ( )

iv) विधि के क्षेत्र में प्रयुक्त भाषा अनेकार्थक होती है। ( )

v) संचार माध्यमों की भाषा जटिल होती है। ( )

vi) विज्ञापनों में प्रयुक्त हिंदी में आकर्षण उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। ( )

3.8 प्रयोजनमूलक हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर

प्रयोजनमूलक हिंदी के स्वरूप का अध्ययन करने के बाद आप यह समझ गए होंगे कि यह सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त हिंदी भाषा से कुछ अलग होती है। यह फ़र्क किस–किस प्रकार का होता है, उसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं।

सर्वप्रथम तो यह अंतर औपचारिकता का होता है। सामान्य व्यवहार की भाषा में अनौपचारिकता हो सकती है, लेकिन प्रयोजनमूलक भाषा चाहे वह किसी भी प्रयोजन से संबद्ध हो – औपचारिक होती है। इस औपचारिकता में सीमा का भेद हो सकता है, लेकिन यह होती अवश्य है।

औपचारिकता के कारण प्रयोजनमूलक भाषा की शब्दावली और वाक्य–संरचना में भी सामान्य भाषा से अंतर उत्पन्न होता है। प्रयोजनमूलक भाषा के वाक्य विन्यास में बोलचाल की सहजता तो होती ही है, लेकिन उसके साथ–साथ एक तरह की सतर्कता और सोद्देश्यता भी होती है, जो उसे आम बोलचाल की भाषा से अलग स्वरूप प्रदान करती है।

बोलचाल की भाषा में अपेक्षानुसार संदिग्धता या शब्दों के घुमाव–फिराव का प्रयोग हो सकता है लेकिन प्रयोजनमूलक भाषा में असंदिग्धता और स्पष्टता बेहद ज़रूरी होती है।

3.9 प्रयोजनमूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में अंतर

साहित्य का संबंध हमारे जीवनानुभवों और संवेदनों से होता है। उसमें मस्तिष्क और हृदय यानी बुद्धि और भावना, दोनों पक्षों का समावेश तो होता ही है। साथ ही इन दोनों में से किसी एक पर विशेष बल भी हो सकता है। वहाँ भावना की तीव्रता और गहनता होती है। अतः साहित्य की भाषा पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, वह आम बोलचाल की सी सरल और सहज भी हो सकती है। बिंब और प्रतीक प्रधान अलंकारिक तथा वक्रोक्तिप्रधान भी। उसका यह गुण ही उसे प्रयोजनमूलक भाषा से अलग करता है। इस तरह साहित्यिक हिंदी जहाँ भाव, कल्पना, अनुभूति व्यंजना और वक्रोक्तिपूर्ण होती है वहीं प्रयोजनमूलक हिंदी प्रयोजन सापेक्ष, सीधी और स्पष्ट। सीधी और स्पष्ट होने के लिए जरूरी है कि शब्दों का वही और उतना ही अर्थ निकले जितना अभीष्ट है। जबकि साहित्य की भाषा के एक से अधिक अर्थ निकल सकते हैं, उसकी व्याख्या में पाठ की अपनी कल्पना के इस्तेमाल की संभावना सदैव रहती है और समय–समय पर उसकी व्याख्या भिन्न–भिन्न कोणों से होती है।

शब्दावली की दृष्टि से भी साहित्य की भाषा में कोई सीमा का बंधन नहीं होता। रचनाकार शब्दों को उनके पारंपरिक अर्थ में प्रयोग करने के साथ ही उन्हें नए–नए अर्थ भी प्रदान कर सकता है लेकिन प्रयोजनमूलक भाषा का लेखक या वक्ता भाषा के साथ ऐसी छूट नहीं लेता। प्रयोजनमूलक क्षेत्रों की शब्दावली पारिभाषिक शब्दावली होती है, जिसमें शब्दों का अर्थ 'क्षेत्र विशेष' में निश्चित और परिसीमित होता है।

वाक्यरचना के स्तर पर भी इसी प्रकार का अंतर देखा जा सकता है। साहित्यकार को काफी छूट होती है, वह लालित्यपूर्ण भाषा प्रयोग कर सकता है लेकिन प्रयोजनमूलक भाषा में ऐसा नहीं होता।

साहित्यकार अपने लेखन में प्रयोजनमूलक शब्दावली को आराम से ग्रहण कर सकता है और करता भी रहा है। आधुनिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञापनों की शब्दावली ने साहित्य की भाषा को बहुत अधिक प्रभावित किया है। ठीक उसी प्रकार जैसे मध्यकालीन हिंदी भक्ति साहित्य को दर्शन की शब्दावली ने प्रभावित किया था। 'निर्गुण', 'सगुण', 'ब्रह्म', 'जीव 'माया', 'मुक्ति' आदि इसी प्रकार से आए शब्द थे। ध्यान देने की बात यह है कि साहित्य का यह आदान लगभग एक तरफा होता है क्योंकि प्रयोजनमूलक भाषा साहित्य से इस प्रकार ग्रहण नहीं करती।

संचार माध्यमों तथा विज्ञापन के क्षेत्र चूँकि अन्य विषय क्षेत्रों से भिन्न होते हैं – अतः इनमें प्रयुक्त हिंदी में हम जरूर आदान की थोड़ी बहुत प्रवृत्ति पाते हैं और व्यंजनाश्रित प्रयोग भी पाते हैं। लेकिन यह प्रयुक्ति अन्य प्रयुक्तियों से भिन्न है। यह संकल्पनाओं और ज्ञान अथवा विषय क्षेत्र पर आधारित न होकर व्यवहार क्षेत्र पर आधारित है।

बोध प्रश्न 4

साहित्यिक हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी की तुलना दस पंक्तियों में कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.10 सारांश

इस इकाई में आपने पढ़ा कि प्रयोजनमूलक हिंदी क्या है। अब आप हिंदी भाषा की विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित हो गए हैं और यह बता सकते हैं कि उसकी कौन–सी प्रयुक्तियों में प्रयोजनमूलक भाषा का इस्तेमाल होता है। आप यह जान गए हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी जानने की ज़रूरत क्या है तथा उसका स्वरूप कैसा है। अब आप वाणिज्य–व्यापार, विधि प्रशासन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संचार माध्यम तथा विज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी भाषा की शब्दावली, मुहावरे तथा प्रवृत्ति से परिचित हो गए हैं। आप सामान्य बोलचाल की भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा का संबंध और दोनों के बीच अंतर बता सकते हैं। इसके अलावा, आप साहित्यिक भाषा तथा प्रयोजनमूलक भाषा की तुलना भी कर सकते हैं।

3.11 शब्दावली

दैनंदिन : रोज़मर्रा का, दिन–प्रतिदिन का

अंतर्देशीय : देश के अंतर्गत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में

संकल्पना : किसी वस्तु, स्थिति, विचार आदि की सम्यक् अथवा संपूर्ण अवधारणा

अर्थच्छवियाँ : अर्थ की छवियाँ, अर्थ के अनेक स्तर

संवेदन : अनुभव – सुख, दुख, क्लेश, हर्ष आदि भावों की अनुभूति

सकारात्मक : यह नकारात्मक का विलोम है, 'Positive' के अर्थ में

तुकांत : जिन दो पंक्तियों में अंतिम शब्दों की तुक मिलती हो।

तुकबंदी : कविता की रचना इस तरह करना कि अंतिम शब्द तुकांत हों।

अलंकारिक : अलंकार प्रधान, अलंकारों के प्रयोग से पूर्ण

वक्रोक्ति : चमत्कार प्रधान उक्ति, बढ़िया उक्ति

व्यंजनाः शब्द की तीन प्रकार की शक्तियों में से एक (अभिधा, लक्षण व्यंजना)। व्यंजना शक्ति द्वारा शब्द के वाच्यार्थ अथवा लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ का बोध होता है।

लालित्य : सुंदरता, सरसता, मनोहरता।

लिप्यंतरणः एक लिपि में लिखी सामग्री को दूसरी लिपि में प्रस्तुत करना । जैसे रोमन में लिखे 'Railway Station' को,देवनागरी में रेलवे स्टेशन' लिखना।

3.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

डॉ. रवींद्रनाथ श्रीवास्तव (सं०), 'प्रयोजनमूलक हिंदी', केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा।

डॉ. विनोद गोदरे, 'प्रयोजनमूलक हिंदी', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।

रीतारानी पालीवाल, 'प्रयोजनमूलक हिंदी : अर्थ, क्षेत्र और विस्तार' लेख (अनुवाद की सामाजिक भूमिका पुस्तक में संकलित), सचिन प्रकाशन, दिल्ली।

3.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

i) (क) प्रयोजनमूलक (ख) भाषा (ग) व्यावहारिक हिंदी

ii) (क) नहीं (ख) नहीं (ग) हाँ

बोध प्रश्न 2

i) विविध क्षेत्रों में जीवन व्यवहार की भाषा जो चार आधारों पर बनती है।

ii) देखें, भाग 3.4

iii) नौ प्रयुक्तियों की चर्चा

iv) क्योंकि यह जीवन व्यवहार की भाषा है। देखें, भाग 3.6

बोध प्रश्न 3

क) i) विधिक हिंदी

ii) सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी

iii) वैज्ञानिक हिंदी

iv) कार्यालयी हिंदी

v) साहित्यिक हिंदी

ख) i) × (ii) × (ii) √ (iii) × (iv) × (v) × (v) √

बोध प्रश्न 4

शब्दावली, वाक्य विन्यास, शैली आदि के आधार पर तुलना देखें, भाग 3.9

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 4 विज्ञान के विषय का बोधन

इकाई की रूपरेखा

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 मानव की उत्पत्ति और विकास

- 4.2.1 जानवर कब पैदा हुए
- 4.2.2 आदमी कब पैदा हुआ
- 4.2.3 शुरू के आदमी

4.3 भाषा की सरल अभिव्यक्ति

4.4 उर्दू के शब्द

4.5 व्याकरणिक विवेचन

- 4.5.1 संभावनार्थक वाक्य
- 4.5.2 संदेहार्थक वाक्य

4.6 सारांश

4.7 शब्दावली

4.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

4.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

4.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- विज्ञान संबंधी विषय की एक विशिष्ट शब्दावली का परिचय प्राप्त कर सकेंगे और उसका उचित प्रयोग सीख सकेंगे;
- ज्ञान–विज्ञान के जटिल विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत कर सकेंगे;
- कुछ उर्दू शब्दों का ज्ञान प्राप्त करेंगे और उनको सही लिखना और बोलना सीखेंगे;
- संभावनार्थक और संदेहार्थक वाक्यों में भेद कर सकेंगे और ऐसे वाक्यों की रचना कर सकेंगे; और
- हिंदी में विज्ञान संबंधी विषय को समझकर अपने शब्दों में प्रकट कर सकेंगे।

4.1 प्रस्तावना

पिछली इकाइयों में आपने हिंदी भाषा की लिपि और ध्वनियों तथा हिंदी के प्रयोजनमूलक स्वरूप के बारे में जानकारी हासिल की है। इस इकाई में हिंदी भाषा के विविध प्रयोगों के संदर्भ में हम आपका ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी से परिचय कराएँगे। विज्ञान विषय से संबंधित इस इकाई में मानव जाति की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में बताया गया है। आप यह तो जानते ही होंगे कि मानव जाति की उत्पत्ति एक लंबी और जटिल विकास प्रक्रिया का परिणाम है।

पृथ्वी अपनी आरम्भिक अवस्था में एक अग्नि पिंड के समान थी। जिस पर जीवन सम्भव नहीं था। समय बीतने के साथ धीरे–धीरे वह ठंडी हुई। पृथ्वी की लाखों वर्षों से तप्त सतह

ठंडी होने से सिकुड़ गई, जिससे उस पर बड़े–बड़े पहाड़ और समुद्र बने। प्रारंभ में पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग पानी से ढका हुआ था। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि शुरू में पानी में रह सकने वाले जीव पैदा हुए होंगे। ऐसे जीवों में नर–मादा का कोई भेद नहीं था। उनमें हड्डियाँ नहीं थीं। उनके शरीर का कोई निश्चित रूप नहीं था। वह जेली जैसी चीज रही होगी। इन्हीं से बाद में मछली का विकास हुआ, जिसमें हड्डियाँ भी थीं। जेली जैसी चीज से मानव जाति की उत्पत्ति के विकास क्रम का इतिहास लाखों वर्षों का है। मानव विकास की इस प्रक्रिया का अध्ययन अत्यंत रोचक व ज्ञानवर्धक है। इस इकाई में हम आपको इसी की जानकारी देंगे और यह भी बताएँगे कि मानव जाति ने सभ्यता के आरंभिक चरण कैसे तय किये।

श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री (स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी) को मानव–सभ्यता के विकास से परिचित कराने के लिए 1928–29 के दौरान कई पत्र लिखे थे। उन पत्रों को 1931 में हिंदी में प्रकाशित किया गया था। ये पत्र 'पिता के पत्र पुत्री के नाम' शीर्षक से पुस्तक रूप में प्रकाशित हुए थे। इन्हीं में से तीन पत्र यहाँ पाठ के रूप में दिए जा रहे हैं। जिस समय ये पत्र लिखे गए थे उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की उम्र कम थी। इसलिए नेहरू जी ने उन पत्रों में प्रत्येक विषय को सरल और सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया ताकि विज्ञान के जटिल विषय से संबंधित होते हुए भी उन्हें आसानी से समझा जा सके। ऐसा लगता है जैसे नेहरू जी ने दूर शिक्षण के लिए ही ये अंश लिखे हों। इस वजह से हमारे लिए इन पत्रों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

इस इकाई में यह भी बताया गया है कि जटिल विषयों को सरल भाषा में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। हिंदी में इस्तेमाल किए जाने वाले उर्दू शब्दों तथा वाक्य के दो रूप संदेहार्थक और संभावनार्थक वाक्यों के बारे में भी इस इकाई में जानकारी दी गई है। इकाई के प्रारंभिक भाग में आप हिंदी भाषा में विज्ञान विषय के एक अंश 'मानव की उत्पत्ति और विकास' का अध्ययन करेंगे। आगे हम विवेचन के अंतर्गत इस अंश में आए वाक्यों के उद्धरणों के माध्यम से वाक्य के दो रूपों का विवेचन प्रस्तुत करेंगे।

4.2 मानव की उत्पत्ति और विकास

4.2.1 जानवर कब पैदा हुए

1) हम बतला चुके हैं कि शुरू में छोटे–छोटे जानवर और पानी में होने वाले पौधे दुनिया की जानदार चीज़ों में थे। वे सिर्फ़ पानी में ही रह सकते थे और अगर किसी वजह से बाहर निकल आते और उन्हें पानी न मिलता तो ज़रूर मर जाते होंगें जैसे आज भी मछलियाँ सूखे में आने से मर जाती हैं। लेकिन उस ज़माने में आजकल से कहीं ज़्यादा समुद्र और दलदल रहे होंगे। वे मछलियाँ और पानी के दूसरे जानवर जिनकी खाल ज़रा चिमड़ी थी, सूखी ज़मीन पर दूसरों से कुछ ज्यादा देर तक जी सकते होंगे, क्योंकि उन्हें सूखने में देर लगती थी। इसलिए नर्म मछलियाँ और उन्हीं की तरह के दूसरे जानवर धीरे–धीरे कम होते गए क्योंकि सूखी ज़मीन पर ज़िंदा रहना उनके लिए मुश्किल था और जिनकी खाल ज्यादा सख्त थी, वे बढ़ते गए। सोचो, कितनी अजीब बात है! इसका यह मतलब है कि जानवर धीरे–धीरे स्वयं को आसपास की चीज़ों के अनुकूल बना लेते हैं। तुमने लंदन के अजायबघर में देखा था कि जाड़ों में और ठंडे देशों में जहाँ **कसरत** से बर्फ़ गिरती है चिड़ियाँ और जानवर बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो जाते हैं। गरम देशों में जहाँ हरियाली और **दरख्त** बहुत होते हैं वे हरे या किसी दूसरे चमकदार रंग के हो जाते हैं। इसका यह मतलब है कि वे अपने को उसी तरह का

बना लेते हैं जैसे उनके आसपास की चीज़ें हों। उनका रंग इसलिए बदल जाता है कि वे अपने को दुश्मनों से बचा सकें, क्योंकि अगर उनका रंग आसपास की चीज़ों से मिल जाए

तो वे आसानी से दिखाई न देंगे। सर्द मुल्कों में उनकी खाल पर बाल निकल आते हैं जिससे वे गर्म रह सकें। इसलिए चीते का रंग पीला और धारीदार होता है, उस धूप की तरह, जो दरख्तों से होकर जंगल में आती है। वह घने जंगल में मुश्किल से दिखाई देता है।

2) इस अजीब बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि जानवर अपने रंग–ढंग को आसपास की चीज़ों से मिला देते हैं। यह बात नहीं है कि जानवर अपने को बदलने की कोशिश करते हों; लेकिन जो अपने को बदलकर आसपास की चीज़ों से मिला देते हैं, उनका ज़िंदा रहना ज्यादा आसान हो जाता है। उनकी तादाद बढ़ने लगती है, दूसरों की नहीं बढ़ती। इससे बहुत–सी बातें समझ में आ जाती हैं। इससे यह मालूम हो जाता है कि नीचे दरजे के जानवर धीरे–धीरे ऊँचे दरजों में पहुँचते हैं और मुमकिन है कि लाखों बरसों के बाद आदमी हो जाते हैं। हम ये तब्दीलियाँ, जो हमारे चारों तरफ़ होती रहती हैं देख नहीं सकते, क्योंकि वे बहुत धीरे–धीरे होती हैं और हमारी ज़िंदगी कम होती है। लेकिन प्रकृति अपना काम करती रहती है और चीज़ों को बदलती और सुधारती रहती है। वह न तो कभी रुकती है और न आराम करती है।

3) तुम्हें याद है कि दुनिया धीरे–धीरे ठंडी हो रही थी और इसका पानी सूखता जाता था। जब यह ज्यादा ठंडी हो गई तो जलवायु बदल गई और उसके साथ ही बहुत–सी बातें बदल गईं। ज्यों–ज्यों दुनिया बदलती गई जानवर भी बदलते गए और नए–नए किस्म के जानवर पैदा होते गए। पहले नीचे दरजे के दरियाई जानवर पैदा हुए, फिर ज्यादा ऊँचे दरजे के। इसके बाद जब सूखी ज़मीन ज्यादा हो गई तो ऐसे जानवर पैदा हुए जो पानी और ज़मीन दोनों ही पर रह सकते हैं जैसे, मगर या मेढक। इसके बाद वे जानवर पैदा हुए जो सिर्फ़ ज़मीन पर रह सकते हैं और तब हवा में उड़ने वाली चिड़ियाँ आईं।

4) मैंने मेढक का ज़िक्र किया है। इस अजीब जानवर की ज़िंदगी से बड़ी मज़े की बातें मालूम होती हैं। साफ़ समझ में आ जाता है कि दरियाई जानवर बदलते–बदलते क्योंकर ज़मीन के जानवर बन गए। मेढक पहले मछली होता है लेकिन बाद में वह खुश्की का जानवर हो जाता है और दूसरे खुश्की के जानवरों की तरह फेफड़े से सांस लेता है। उस पुराने जमाने में जब खुश्की के जानवर पैदा हुए, बड़े–बड़े जंगल थे। ज़मीन सारी की सारी झावर रही होगी, उस पर घने जंगल होंगे। आगे चलकर ये चट्टान और मिट्टी के बोझ से ऐसे दब गए कि धीरे–धीरे कोयला बन गए। तुम्हें मालूम है, कोयला गहरी खानों से निकलता है, ये खानें असल में पुराने ज़माने के जंगल हैं।

5) शुरु–शुरू में ज़मीन के जानवरों में बड़े–बड़े साँप, छिपकलियाँ और घड़ियाल थे। इनमें से बाज़ 100 फ़ीट लम्बे थे। 100 फ़ीट लम्बे साँप या छिपकली का जरा ध्यान तो करो! तुम्हें याद होगा कि तुमने इन जानवरों की हड्डियाँ लंदन के अजायबघर में देखी थीं।

6) इसके बाद वे जानवर पैदा हुए जो कुछ–कुछ हाल के जानवरों से मिलते थे। ये अपने बच्चों को दूध पिलाते थे। पहले वे भी आजकल के जानवरों से बहुत बड़े होते थे। जो जानवर आदमी से बहुत मिलता–जुलता है वह बंदर या बनमानुस है। इससे लोग

ख्याल करते हैं कि आदमी बनमानुस की नस्ल है। इसका यह मतलब है कि जैसे और जानवरों ने अपने को आसपास की चीज़ों के अनुकूल बना लिया और तरक्क़ी करते गए इसी तरह आदमी भी पहले एक ऊँचे क़िस्म का बनमानुस था। यह सही है कि वह तरक्की करता गया या यों कहो कि प्रकृति उसे सुधारती रही। पर आज उसके घमंड का ठिकाना नहीं। वह ख्याल करता है कि और जानवरों से उसका मुकाबिला ही क्या। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम बंदरों और बनमानुसों के भाईबंद हैं और आज भी शायद हममें से बहुतेरों का स्वभाव बंदरों जैसा है।

4.2.2 आदमी कब पैदा हुआ

7) मैंने तुम्हें पिछले खत में बतलाया था कि पहले दुनिया में बहुत नीचे दरजे के जानवर पैदा हुए और धीरे–धीरे तरक्की करते हुए लाखों बरस में उस सूरत में आए जो हम आज देखते हैं। हमें एक बड़ी दिलचस्प और ज़रूरी बात यह भी मालूम हुई कि जानवर हमेशा अपने को आसपास की चीज़ों से मिलाने की कोशिश करते गए। इस कोशिश में उनमें नई–नई आदतें पैदा होती गईं और वे ज्यादा ऊँचे दरजे के जानवर होते गए। हमें यह तब्दीली या तरक्की कई तरह दिखाई देती है। इसकी मिसाल यह है कि शुरू–शुरू के जानवरों में हड्डियाँ न थीं लेकिन हड्डियों के बगैर वे बहुत दिनों तक जीवित न रह सकते थे। इसलिए उनमें हड्डियाँ पैदा हो गईं। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी पैदा हुई। इस तरह दो क़िस्म के जानवर हो गए– हड्डी वाले और बेहड्डी वाले। जिन आदमियों या जानवरों को तुम देखते हो वे सब हड्डी वाले हैं!

8) एक और मिसाल लो। नीचे दरजे के जानवरों में मछलियाँ अंडे देकर उन्हें छोड़ देती हैं। वे एक साथ हज़ारों अंडे देती हैं लेकिन उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करतीं। माँ बच्चों की बिल्कुल ख़बर नहीं लेती। वह अंडों को छोड़ देती है और उनके पास कभी नहीं आती। इन अंडों की हिफाज़त तो कोई करता नहीं, इसलिए ज्यादातर मर जाते हैं। बहुत थोड़े से अंडों से मछलियाँ निकलती हैं। कितनी जानें बर्बाद हो जाती हैं ! लेकिन ऊँचे दरजे के जानवरों को देखो तो मालूम होगा कि उनके अंडे या बच्चे कम होते हैं लेकिन वे उनकी खूब हिफ़ाजत करते हैं। मुर्गी भी अंडें देती है लेकिन वह उन पर बैठती है और उन्हें सेती है। जब बच्चे निकल आते हैं तो वह कई दिन तक उन्हें चुगाती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब माँ उनकी फ़िक्र छोड़ देती है।

9) इन जानवरों में और उन जानवरों में जो बच्चे को दूध पिलाते हैं, बड़ा फ़र्क है। ये जानवर अंडे नहीं देते। माँ अंडे को अपने अंदर लिए रहती है और पूरे तौर पर बने हुए बच्चे जनती है। जैसे कुत्ता, बिल्ली या खरगोश। इसके बाद माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है। लेकिन इन जानवरों में भी बहुत से बच्चे बर्बाद हो जाते है। खरगोश के कई–कई महीनों के बाद बहुत से बच्चे पैदा होते हैं लेकिन इनमें से ज्यादातर मर जाते हैं। लेकिन ऊँचे दरजे के जानवर एक ही बच्चा देते हैं और बच्चे को अच्छी तरह पालते–पोसते हैं– जैसे हाथी।

10) अब तुमको यह भी मालूम हो गया कि जानवर ज्यों–ज्यों तरक्की करते हैं वे अंडे नहीं देते बल्कि अपनी सूरत के पूरे बने हुए बच्चे जनते हैं, जो सिर्फ़ कुछ छोटे होते हैं। ऊँचे दरजे के जानवर आम तौर से एक बार में एक ही बच्चे देते हैं। तुमको यह भी मालूम होगा कि ऊँचे दरजे के जानवरों को अपने बच्चों से थोड़ा–बहुत प्रेम होता है। आदमी सबसे ऊँचे दरजे का जानवर है इसलिए माँ और बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उनकी हिफ़ाजत करते हैं।

11) इससे यह मालूम होता है कि आदमी ज़रूर नीचे दरजे के जानवरों से पैदा हुआ होगा। शायद शुरू के आदमी आजकल के से आदमियों की तरह थे ही नहीं। वे आधे बनमानुस और आधे आदमी रहे होंगे और बंदरों की तरह रहते होंगे। तुम्हें याद है कि जर्मनी के हाइडलबर्ग में तुम हम लोगों के साथ एक प्रोफ़ेसर से मिलने गई थी ? उन्होंने एक अजायबखाना दिखाया था जिसमें पुरानी हड्डियाँ भरी हुई थीं, खासकर एक पुरानी खोपड़ी जिसे वह संदूक में रखे हुए थे। ख्याल किया जाता है कि यह शुरू–शुरू के आदमी की खोपड़ी होगी। हम अब उसे हाइडलबर्ग का आदमी कहते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि खोपड़ी हाइडलबर्ग के पास गड़ी हुई मिली थी। यह तो तुम जानती ही हो कि उस ज़माने में न हाइडलबर्ग का पता था न किसी दूसरे शहर का।

12) उस पुराने ज़माने में, जब कि आदमी इधर–उधर घूमते फिरते थे, बड़ी सख्त सर्दी पड़ती थी इसीलिए उसे बर्फ़ का ज़माना कहते हैं। बर्फ़ के बड़े–बड़े पहाड़ जैसे आजकल उत्तरी ध्रुव के पास हैं, इंग्लैंड और जर्मनी तक बहते चले जाते थे। आदमियों का रहना बहुत मुश्किल होता होगा, और उन्हें बड़ी तकलीफ़ के दिन काटने पड़ते होंगे। वे वहीं रह सकते होंगे जहाँ बर्फ़ के पहाड़ न हों। वैज्ञानिक लोगों ने लिखा है कि उस ज़माने में भूमध्य सागर न था बल्कि वहाँ एक या दो झीलें थीं। लाल सागर भी न था। यह सब ज़मीन थी। शायद हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा टापू था। और हमारे सूबे पंजाब का कुछ हिस्सा समुद्र था। ख्याल करो कि सारा दक्षिणी हिन्दुस्तान और मध्य हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा द्वीप है और हिमालय और उसके बीच में समुद्र लहरें मार रहा है। तब शायद तुम्हें जहाज़ में बैठकर मसूरी जाना पड़ता।

13) शुरू में जब आदमी पैदा हुआ तो इसके चारों तरफ़ बड़े–बड़े जानवर रहे होंगे और उसे उनसे बराबर खटका लगा रहता होगा। आज आदमी दुनिया का मालिक है और जानवरों से जो काम चाहता है, करा लेता है। बाज़ों को वह पाल लेता है जैसे घोड़ा, गाय, हाथी, कुत्ता, बिल्ली वगैरह। बाज़ों को वह खाता है और बाज़ों का वह दिल बहलाने के लिए शिकार करता है, जैसे शेर और चीता। लेकिन उस जमाने में वह मालिक न था, बल्कि बड़े–बड़े जानवर उसी का शिकार करते थे और वह उनसे जान बचाता फिरता था। मगर धीरे–धीरे उसने तरक्की की और दिन–दिन ज़्यादा ताकतवर होता गया यहाँ तक कि वह सब जानवरों से मजबूत हो गया। यह बात उसमें कैसे पैदा हुई ? बदन की ताकत से नहीं क्योंकि हाथी उससे कहीं ज्यादा मज़बूत होता है। बुद्धि और दिमाग की ताकत से उसमें यह बात पैदा हुई।

14) आदमी की अक्ल कैसे धीरे–धीरे बढ़ती गई, इसका शुरू से आज तक का पता हम लगा सकते हैं। सच तो यह है कि बुद्धि ही आदमियों को और जानवरों से अलग कर देती है। बिना समझ के आदमी और जानवर में कोई फर्क नहीं है।

15) पहली चीज़ जिसका आदमी ने पता लगाया वह शायद आग थी। आजकल हम दियासलाई से आग जलाते हैं। लेकिन दियासलाइयाँ तो अभी हाल में बनी हैं। पुराने ज़माने में आग बनाने का यह तरीका था कि दो चकमक पत्थरों को रगड़ते थे यहाँ तक कि चिनगारी निकल आती थी और इस चिनगारी से सूखी घास या किसी दूसरी सूखी चीज़ में आग लग जाती थी। जंगलों में कभी–कभी पत्थरों की रगड़ या किसी दूसरी सूखी चीज़ की रगड़ से आप ही आग लग जाती है। जानवरों में इतनी अक्ल कहाँ थी कि इससे कोई मतलब की बात सोचते। लेकिन आदमी ज्यादा होशियार था। उसने आग के फ़ायदे देखे। यह जाड़ों में उसे गर्म रखती थी और बड़े–बड़े जानवरों को, जो उनके दुश्मन थे, भगा देती थी। इसलिए जब कभी आग लग जाती थी तो मर्द और औरत उसमें सूखी पत्तियाँ फेंक–फेंककर उसे जलाए रखने की कोशिश करते

होंगे। धीरे–धीरे उन्हें मालूम होगा कि वे चकमक पत्थरों को रगड़ कर खुद आग पैदा कर सकते हैं। उनके लिए यह बड़े मार्के की बात थी, क्योंकि इसने उन्हें दूसरे जानवरों से ताकतवर बना दिया। आदमी को दुनिया का मालिक बनने का रास्ता मिल गया।

बोध प्रश्न

1) आपने यह पाठ पढ़ते हुए अनुभव किया होगा कि जानवरों के विकास की कहानी काफी रोचक और मनोरंजक है। जैसे उड़ने वाले पक्षी अंडे देते हैं किंतु चमगादड़ अंडे नहीं देते; वे स्तनपायी हैं। इसी तरह मछली जाति के प्राणी प्रायः अंडे देते हैं लेकिन मादा ह्वेल बच्चा देती है और स्तनपायी है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्न प्राणियों को जलचर, उभयचर (जल और थल दोनों में रहने वाले), सरीसृप (रेंगनेवाले) स्तनपायी तथा अंडज की श्रेणियों में बाँटिए।

छिपकली, शेर, चूहा, चमगादड़, मछली, गोह, ह्वेल, कछुआ, आदमी, शुतुरमुर्ग, आक्टोपस, गिद्ध, नाग, घड़ियाल, कंगारू, मोर, शार्क।

जलचर	उभयचर	सरीसृप	स्तनपायी	अंडज
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

4.2.3 शुरू के आदमी

16) मैंने अपने पिछले खत में लिखा था कि आदमी और जानवर में सिर्फ अक्ल का फर्क है। अक्ल ने आदमी को उन बड़े–बड़े जानवरों से ज्यादा चालाक और मजबूत बना दिया है जो मामूली तौर पर उसे नष्ट कर डालते। ज्यों–ज्यों आदमी की अक्ल बढ़ती गई वह ज्यादा बलवान होता गया। शुरू में आदमी के पास जानवरों से मुकाबला करने के लिए कोई खास हथियार न थे। वह उन पर सिर्फ पत्थर फेंक सकता था। इसके बाद उसने पत्थर की कुल्हाड़ियाँ और भाले और बहुत सी दूसरी चीज़ें भी बनाई जिनमें पत्थर की सुई भी थी। हमने इन पत्थरों के हथियारों को साउथ कैंसिंगटन और जनेवा के अजयाबघरों में देखा था।

17) धीरे–धीरे बर्फ का जमाना खत्म हो गया जिसका मैंने अपने पिछले खत में जिक्र किया है। बर्फ के पहाड़ मध्य–एशिया और यूरोप से गायब हो गए। ज्यों–ज्यों गरमी बढ़ती गई आदमी फैलते गए।

18) उस जमाने में न तो मकान थे और न कोई दूसरी इमारत थी। लोग गुफाओं में रहते थे। खेती करना किसी को न आता था। लोग जंगली फल खाते थे या जानवरों का शिकार करके माँस खाकर रहते थे। रोटी और भात उन्हें कहाँ मयस्सर होता, क्योंकि उन्हें खेती करनी आती ही न थी। वे पकाना भी नहीं जानते थे, हाँ शायद माँस को आग में गर्म कर लेते हों। उनके पास पकाने के बर्तन, जैसे कढ़ाई और पतीली भी न थे।

19) एक बात बड़ी अजब है। इन जंगली आदमियों को तस्वीर खींचना आता था। यह सच है कि उनके पास कागज, कलम, पेंसिल या ब्रश न थे। उनके पास सिर्फ पत्थर की सुइयाँ और नोकदार औजार थे। इन्हीं से वे गुफाओं की दीवारों पर जानवरों की तस्वीरें बनाया करते थे। उनके बाज़–बाज़ खाके खासे अच्छे हैं मगर वे सब इकरुखे हैं। तुम्हें मालूम है कि इकरुखी तस्वीर खींचना आसान है और बच्चे इसी तरह की तस्वीरें खींचा करते हैं। गुफाओं में अँधेरा होता था इसलिए मुमकिन है कि वे चिराग जलाते हों।

20) जिन आदमियों का हमने ऊपर जिक्र किया है वे पाषाण या पत्थर–युग के आदमी कहलाते हैं। उस जमाने को पत्थर का युग इसलिए कहते हैं कि आदमी अपने सभी औजार पत्थर के बनाते थे। धातुओं को काम में लाना वे न जानते थे। आजकल हमारी चीज़ें अक्सर धातुओं से बनती हैं, खासकर लोहे से। लेकिन उस जमाने में किसी को लोहे या काँसे का पता न था। इसलिए पत्थर काम में लाया जाता था, हालांकि उससे कोई काम करना बहुत मुश्किल था।

21) पाषाण–युग के खत्म होने के पहले ही दुनिया की आबोहवा बदल गई और उसमें गर्मी आ गई। बर्फ के पहाड़ अब उत्तरी सागर तक ही रहते थे और मध्य–एशिया और यूरोप में बड़े–बड़े जंगल पैदा हो गए। इन्हीं जंगलों में आदमियों की एक नई जाति रहने लगी। ये लोग बहुत–सी बातों में पत्थर–युग के आदमियों से ज्यादा होशियार थे। लेकिन वे भी पत्थर के ही औजार बनाते थे। ये लोग भी पत्थर ही के युग के थे; मगर वह पिछला पत्थर का युग था, इसलिए वे नए पत्थर युग के आदमी कहलाते थे।

22) गौर से देखने से मालूम होता है कि नए पत्थर–युग के आदमियों ने बड़ी तरक्की कर ली थी। आदमी की अक्ल और जानवरों के मुकाबले में उसे तेजी से बढ़ाए लिए जा रही है। इन्हीं नए पाषाण–युग के आदमियों ने एक बहुत बड़ी चीज निकाली। यह खेती करने का तरीका था। उन्होंने खेतों को जोतकर खाने की चीजें पैदा करनी शुरू की। उनके लिए यह बहुत बड़ी बात थी। अब उन्हें आसानी से खाना मिल जाता था, इसकी जरूरत न थी कि वे रात–दिन जानवरों का शिकार करते रहें। अब उन्हें सोचने और आराम करने की ज्यादा फुर्सत मिलने लगी और उन्हें जितनी ही ज्यादा फुर्सत मिलती थी, नई चीज़ें और तरीके निकालने में वे उतनी ही ज्यादा तरक्की करते थे। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए और उनकी मदद से खाना पकाने लगे। पत्थर के औजार भी अब ज्यादा अच्छे बनने लगे और उन पर पालिश भी अच्छी होने लगी। उन्होंने गाय, कुत्ता, भेड़, बकरी वगैरह जानवरों को पालना सीख लिया और वे कपड़े भी बुनने लगे।

23) वे छोटे–छोटे घरों या झोपड़ों में रहते थे। ये झोपड़े अक्सर झीलों के बीच में बनाए जाते थे, क्योंकि जंगली जानवरों या दूसरे आदमी वहाँ उन पर आसानी से हमला न कर सकते थे। इसलिए ये लोग झील के रहने वाले कहलाते थे।

24) तुम्हें अचम्भा होता होगा कि इन आदमियों के बारे में हमें इतनी बातें कैसे मालूम हो गई। उन्होंने कोई किताब तो लिखी नहीं। लेकिन मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि इन आदमियों का हाल जिस किताब में हमें मिलता है वह संसार की किताब है। उसे पढ़ना आसान नहीं है उसके लिए बड़े अभ्यास की जरूरत है। बहुत से आदमियों ने इस किताब को पढ़ने में अपनी सारी उम्र खत्म कर दी है। उन्होंनें बहुत–सी हड्डियाँ और पुराने जमाने की बहुत–सी निशानियाँ जमा कर दी हैं। ये चीज़े बड़े–बड़े अजायबघरों में जमा हैं, और वहाँ हम उम्दा चमकती हुई कुल्हाड़ियाँ और बर्तन, पत्थर

के तीर और सुइयाँ, बहुत सी दूसरी चीज़ें देख सकते हैं, जो पिछले पत्थर–युग के आदमी बनाते थे। तुमने खुद इनमें से बहुत सी चीज़ें देखी हैं लेकिन शायद तुम्हें याद न हो। अगर तुम फिर उन्हें देखो तो ज्यादा अच्छी तरह समझ सकोगी।

25) मुझे याद आता है कि जनेवा के अजायबघर में झील के मकान का एक बहुत अच्छा नूमना रखा हुआ था। झील में लकड़ी के डंडे गाड़ दिए गए थे और उनके ऊपर लकड़ी के तख्ते बाँधकर उन पर झोंपड़ियाँ बनाई गई थीं। इस घर और ज़मीन के बीच में एक छोटा सा पुल बना दिया गया था। ये पिछले पत्थर युग वाले आदमी, जानवरों की खालें पहनते थे और कभी–कभी सन के मोटे कपड़े भी पहनते थे। सन एक पौधा है जिसके रेशों से कपड़ा बनता है। आजकल सन से महीन कपड़े बनाए जाते हैं। लेकिन उस जमाने के सन के कपड़े बहुत ही भद्दे रहे होंगे।

26) ये लोग इसी तरह तरक्की करते चले गए; यहाँ तक कि उन्होंने ताँबे और काँसे के औजार बनाने शुरू किए। तुम्हें मालूम है कि काँसा, ताँबे और राँगे के मेल से बनता है और इन दोनों से ज्यादा सख्त होता है। वे सोने का इस्तेमाल करना भी जानते थे और इसके जेवर बनाकर इतराते थे।

27) हमें यह ठीक तो मालूम नहीं कि इन लोगों को हुए कितने दिन गुज़रे लेकिन अंदाज से मालूम होता है कि दस हजार साल से कम न हुए होंगे। अभी तक तो हम लाखों बरसों की बात कर रहे थे, लेकिन धीरे–धीरे हम आजकल के जमाने के करीब आते जाते हैं। नए पाषाण–युग के आदमियों में और आजकल के आदमियों में यकायक कोई तब्दीली नहीं आ गई। फिर भी हम उनके–से नहीं हैं। जो कुछ तब्दीलियाँ हुईं बहुत धीरे–धीरे हुईं और यही प्रकृति का नियम है। तरह–तरह की कौमें पैदा हुईं और हर कौम के रहन–सहन का ढंग अलग था। दुनिया के अलग–अलग हिस्सों की आबोहवा में बहुत फर्क था और आदमियों को अपना रहन–सहन उसी के मुताबिक बनाना पड़ता था। इस तरह लोगों मे तब्दीलियाँ होती जाती थीं। लेकिन इस बात का जिक्र हम आगे चलकर करेंगे।

28) आज मैं तुमसे सिर्फ एक बात का जिक्र और करूँगा। जब नया पत्थर का युग खत्म हो रहा था तो आदमी पर एक बड़ी आफत आई। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि उस जमाने में भूमध्य सागर था ही नहीं। वहाँ चन्द झीलें थीं और इन्हीं में लोग आबाद थे। यकायक यूरोप और अफ्रीका के बीच में जिब्राल्टर के पास जमीन बह गई और अटलांटिक समुद्र का पानी उस नीचे खड्डे में भर आया। इस बाढ़ में बहुत से मर्द और औरतें जो वहाँ रहते थे डूब गए होंगे। भाग कर जाते कहाँ ? सैंकड़ों मील तक पानी के सिवा कुछ नज़र ही न आता था। अटलांटिक सागर का पानी बराबर भरता गया और इतना भरा कि मूमध्य सागर बन गया।

29) तुमने शायद पढ़ा होगा, कम से कम सुना तो होगा ही, कि किसी जमाने में बड़ी भारी बाढ़ आई थी। बाइबिल में इसका जिक्र है और बाज़ संस्कृत की किताबों में भी उसकी चर्चा आई है। हम तो समझते हैं कि भूमध्य सागर का भरना ही वह बाढ़ होगी। यह इतनी बड़ी आफत थी कि इससे बहुत थोड़े आदमी बचे होंगे। और उन्होंने अपने बच्चों से यह हाल कहा होगा। इसी तरह यह कहानी हम तक पहुँची।

4.3 भाषा की सरल अभिव्यक्ति

ज्ञान–विज्ञान के जटिल विषयों को सरल और सुबोध भाषा में कैसे पेश किया जाता है, यह इस पाठ को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिएः

1) पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग से बचना और उनके स्थान पर उनके निहित भावों या विचारों को सरल भाषा में प्रस्तुत करना जैसे :

पारिभाषिक शब्द

जल और जमीन दोनों में रह सकने वाले जानवर (उभयचर)

आकाश में उड़ सकने वाले प्राणी (नभचर)

जल में रहने वाले प्राणी (जलचर)

नीचे कुछ और जानवरों के वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। आप सरल लेखन में विस्तृत व्याख्या वाले शब्द लिख सकते हैं, विज्ञान में पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं !

i) रेंगने वाले जानवर (उभयचर)

ii) बच्चों को दूध पिलाने वाले जानवर (स्तनपायी)

iii) अंडे देने वाले प्राणी (अंडज)

iv) जिस युग में मानव ने पहली बार पत्थर के औजार बनाये (पाषाण–युग)

v) जमीन पर रहने वाले जानवर (थलचर)

2) वैज्ञानिक अवधारणाओं की सूत्रबद्ध परिभाषाओं से बचना और उनके स्थान पर उन्हें सोदाहरण व्याख्यायित करना :

उदाहरणः जो जानवर अपने को बदलकर आसपास की चीजों से मिला देते हैं, उनका जिंदा रहना ज्यादा आसान होता है।

उक्त व्याख्या विकासवाद के एक नियम 'अनुकूलन के सिद्धांत' पर आधारित है किंतु नेहरूजी ने इस अवधारणा का अपने पत्र में कहीं नाम नहीं दिया है।

3) सरलता का मतलब विचारों में परिवर्तन करना नहीं है सिर्फ उन्हें सब की समझ में आ सकने वाली भाषा में, तार्किक क्रमबद्धता और व्यवस्था के साथ पेश करना है ताकि वैज्ञानिक अवधारणाओं के मूल भाव की रक्षा हो सके।

उदाहरण : नेहरू जी ने जीवों के विकास को विकास के वैज्ञानिक क्रम में ही रखा है। इसके लिए उन्होंने ऐसे जानवरों के उदाहरण दिए हैं जिनसे बच्चे आम तौर पर परिचित होते हैं। जैसे चीता, मगर, छिपकली आदि।

4) सरल और सुबोध भाषा के लिए जहाँ तक संभव हो छोटे और सरल वाक्य बनाना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो आम चलन में हों तथा वैज्ञानिक नामों की बजाय लोक में प्रचलित नामों का उपयोग करना।

उदाहरण : पुराने जमाने में आग बनाने का यह तरीका था कि दो चकमक पत्थरों को रगड़ते थे। यहाँ तक कि चिनगारी निकल आती थी।

उपर्युक्त तीनों वाक्य एक वाक्य में : पुराने जमाने में चकमक पत्थरों को रगड़कर आग पैदा की जाती थी।

दूसरा उदाहरण : उस जमाने में न तो मकान थे और न कोई दूसरी इमारत थी। लोग गुफाओं में रहते थे। खेती करना किसी को न आता था। लोग जंगली फल खाते थे या जानवरों का शिकार करके मांस खाकर रहते थे।

उपर्युक्त चार वाक्यों का एक वाक्य : उस जमाने में लोग जंगली फल या मांस खाते थे और गुफाओं में रहते थे क्योंकि घर बनाना और खेती करना उन्होंने सीखा नहीं था।

4.4 उर्दू के शब्द

हिंदी और उर्दू एक ही क्षेत्र की भाषाएँ हैं। दोनों खड़ी बोली से विकसित हुई हैं। इसलिए दोनों में कई समानताएँ हैं। उर्दू में अरबी और फारसी भाषाओं के शब्द ज्यादा हैं। ऐसे हजारों शब्द हिंदी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इन अरबी और फारसी के शब्दों को उर्दू शब्द के रूप में पहचाना जाता है।

इस पाठ में आपने देखा होगा कि ऐसे शब्द काफी संख्या में प्रयुक्त हुए हैं। क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं ?

इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उर्दू शब्द देखिए :

शुरू, जानवर, चीज़, जानदार, दुनिया, सिर्फ, अगर, वजह, जरूर, ज़माना, ज़मीन, जिंदा, मुश्किल, सख्त, अजीब, आसान, कसरत, बर्फ, सफेद, दरख्त, दुश्मन, मुल्क, कोशिश, तादाद, दरजा, मालूम, मुमकिन, आदमी, तब्दीली, तरफ, किस्म, पैदा, दरिया, खुश्की, बाज, तरक्की, ताकतवर, मिसाल, हिफाजत, मालिक, फायदा, औजार, मुकाबिला, तरीका, नमूना, गुजरना, मयस्सर।

सवाल यह है कि उर्दू के शब्दों को कैसे पहचाना जाए। उर्दू शब्द हिंदी में इतने घुलमिल गए हैं कि उनकी पहचान मुश्किल से होती है। शब्दकोश से हम पहचान सकते हैं कि शब्द कौन–सी भाषा से आया है। इसके अलावा जिन शब्दों के नीचे नुक्ता (बिंदी) लगा हो वे आम तौर पर उर्दू के शब्द होते हैं। जैसे बर्फ, तरक्की, तरफ़ आदि। हिंदी के अपने शब्दों में नुक्ते नहीं लगते।

हमने इकाई 2 में बताया है कि क़, ख़, ग़, ज़, फ़, सिर्फ़ अरबी–फ़ारसी शब्दों में आते हैं। ये संस्कृत या हिंदी के शब्दों में नहीं आते। यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अंग्रेजी से आए कुछ शब्दों में भी नुक्ता लगता है। जैसे ज़ेबरा, ज़िप, फ़ैक्टरी, फ़ेल आदि। अरबी–फ़ारसी मे /क़,ग़,ज़/ के साथ–साथ /क,ग,ज,/ की ध्वनियाँ भी हैं। किंतु /ख़, फ़/ की ध्वनियाँ नहीं हैं। 'फ' ख' का प्रयोग हिंदी के अपने शब्दों के साथ ही होता है। जैसे 'फल, सफल, फूल'। यहाँ 'फ़ल, सफ़ल' फूल नहीं लिखना चाहिए। इस तरह की गलती, लिखने से अधिक बोलने में होती है। अरबी–फ़ारसी में 'फ़' का ही प्रयोग होगा। जैसे– फ़ख़, फ़रियाद, फ़साद, फ़तह, सिर्फ़ आदि। अरबी–फ़ारसी के कुछ शब्द हिंदी की प्रकृति के अनुसार ढल गए हैं उनको आम प्रचलित रूप में भी लिखा जाता है। जैसे – फ़स्ल–फसल। हिंदी के कुछ शब्द देखिए जिनमें /फ/ का प्रयोग होगा न कि /फ़/ का।

फाटक, फोड़ना, फूटना, सफल, फल, फूल, फाँसी, फाँक, फेफड़े, फहराना।

बोध प्रश्न

2) पाठ में से उर्दू के ऐसे दस शब्द चुनिए जिनमें नुक्ते लगे हों और उनके हिंदी में प्रचलित एक–एक पर्यायवाची शब्द भी बताइए।

उदाहरण : चीज़–वस्तु, सिर्फ़– केवल

.....

.....

.....

.....

.....

4.5 व्याकरणिक विवेचन

4.5.1 संभावनार्थक वाक्य

i) उस जमाने में आजकल से ज्यादा समुद्र और दलदल रहे होंगे।

ii) इस समय वह रास्ते में होगा।

iii) तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा।

आप तीनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहले वाक्य में अतीत में घटना होने की संभावना व्यक्त की गई है। दूसरे वाक्य में वर्तमान में घटना होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तीसरे वाक्य में भविष्य में घटना होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस पाठ में पहले प्रकार के वाक्य कई हैं। इस पाठ में लाखों साल पहले पृथ्वी पर होने वाली तब्दीलियों का जिक्र किया गया है, जिनके बारे में लेखक विश्वास से कहने की स्थिति में नहीं हैं इसलिए वह सिर्फ़ संभावना व्यक्त करता है। वाक्य में जहाँ भी क्रिया की संभावना व्यक्त की जाएगी वहाँ होगा/होगी का प्रयोग होगा।

अन्य उदाहरण

i) उस जमाने के सन के कपड़े बहुत ही भद्दे रहे होंगे। (पैरा 25)

ii) उस बाढ़ में बहुत से मर्द और औरतें जो वहाँ रहते थे डूब गए होंगे। (पैरा 28)

बोध प्रश्न

3) नीचे दिए गए वाक्यों को संभावनार्थक वाक्य में बदलिए।

i) उस जमाने में पानी में रहने वाले जानवर जमीन पर आते ही मर जाते थे।

.....

.....

ii) शुरू–शुरू के जीव जेली जैसे थे।

.....

.....

iii) सबसे पहले आदमी ने आग का पता लगाया।

.....

.....

4.5.2 संदेहार्थक वाक्य

i) गुफाओं में अंधेरा होता था इसलिए मुमकिन है कि वे चिराग जलाते हों।

ii) वे पकाना भी नहीं जानते थे, हाँ शायद मांस को आग में गर्म कर लेते हों।

iii) वह कक्षा में नहीं है, शायद कैंटीन में हो।

तीनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। इन वाक्यों में अतीत या वर्तमान में किसी घटना के होने के बारे में संदेह व्यक्त किया गया है। यानी ऐसा नहीं भी हो सकता है। ये संदेहार्थक वाक्य हैं। संभावनार्थक वाक्य और संदेहार्थक वाक्य में मूल अंतर यह है कि दोनों में क्रिया के होने की संभावना का स्तर अलग–अलग होता है। पहली तरह के वाक्य में वक्ता/लेखक को क्रिया के होने में कुछ–कुछ विश्वास होता है किंतु उसे निश्चित जानकारी नहीं है जबकि दूसरे तरह के वाक्य में क्रिया के होने में उसे संदेह है, वहाँ विश्वास नहीं है केवल अनुमान है।

बोध प्रश्न

4) नीचे के वाक्यों में दूसरे को 'शायद' के साथ संदेहार्थक वाक्य में बदलिए।

i) मैंने उन्हें मांस खाते नहीं देखा। वे शाकाहारी हैं।

.....

.....

.....

ii) चोर घर में घुस आया। पीछे का दजवाजा खुला था।

.....

.....

.....

iii) दर्शक हॉल में बैठ गये। नाटक शुरू होने वाला है।

.....

.....

.....

4.6 सारांश

इकाई को पढ़ने के बाद अब आप जान गए हैं कि जटिल विषयों को सरल भाषा में निम्नलिखित तरीकों से बदला जा सकता है।

i) वैज्ञानिक शब्दावली की सरल व्याख्या

ii) वैज्ञानिक अवधारणाओं की सरल व्याख्या

iii) लोक–परिचित उदाहरण

iv) सरल और सहज वाक्य–रचना

v) आम प्रचलित शब्दों का प्रयोग

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप पाठ में प्रयुक्त उर्दू शब्दों के सही अर्थ कर सकते हैं और उनको सही उच्चारण में बोल सकते हैं।

संभावनार्थक और संदेहार्थक वाक्यों में भेद कर सकते हैं और ऐसे वाक्यों की रचना कर सकते हैं।

4.7 शब्दावली

नोट: ध्यान दें कि शब्दों के बायीं तरफ दी गई संख्या पैरा संख्या है।

1) जानदार : फ़ारसी शब्द – जान + दार = जिसमें जान हो – पर्याय– सजीव, जीवधारी

चिमड़ी : (चर्म) से बना शब्द (देशज) – जो न जल्दी फ़टे और न टूटे। चमड़े की तरह सख्त और मोटी खाल वाला।

कसरत : अधिकता, पर्याप्तता, बहुतायत

दरख्त : फ़ारसी शब्द– पर्याय –पेड़, तरु, वृक्ष,

सर्द : ठंडा, शीतल

मुल्क : अरबी शब्द– राष्ट्र, सल्तनत, जन्मभूमि – पर्याय – वतन (अरबी)

2) तब्दील : अरबी शब्द – बदलना

3) जलवायु : किसी स्थान के मौसम (सर्दी, गर्मी आदि) को सूचित करने वाली वह प्राकृतिक स्थिति जिसका प्रभाव वहाँ की आबादी तथा वनस्पति आदि पर पड़ता है। पर्याय– आबोहवा।

दरियाई : नदी से संबंधित, पानी से संबंधित

4) खुश्की : फ़ारसी शब्द– सूखापन–पर्याय– शुष्कता। यहाँ पानी खत्म होने पर जमीन सूखने से तात्पर्य है।

11) अजायबखाना : (अरबी–फ़ारसी शब्द) – अजायब + खाना

अजीब का बहुवचन– अजायब

अन्य शब्द – अजायबघर (घर– हिंदी शब्द)

13) बाज़ : अरबी शब्द – विशेषण अर्थ– कतिपय, चंद, कोई–कोई।

4.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

प्राणि विज्ञान परिभाषा कोश, केंद्रीय हिंदी निदेशालय

जवाहरलाल नेहरू : पिता के पत्र पुत्री के नाम : चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, दिल्ली

हैकल : विश्व प्रपंच : अनुवाद – पं. रामचंद्र शुक्ल, नागरी प्रचारणी सभा, वाराणसी।

4.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1)

जलचर	उभयचर	सरीसृप	स्तनपायी	अंडज
मछली	कछुआ	छिपकली	शेर	शुतुरमुर्ग

ह्वेल	घड़ियाल	नाग	चूहा	गिद्ध
आक्टोपस		घड़ियाल	चमगादड़	मोर
शार्क		गोह	ह्वेल	
			आदमी	
			कंगारू	

2) i) ज़मीन– धरती
ii) सफ़ेद – श्वेत
iii) बर्फ़ – हिम
iv) दरख्त – पेड़
v) ज़िदगी – जीवन
vi) तरक्की– प्रगति
vii) हिफाजत़ – सुरक्षा
viii) तकलीफ़ – कष्ट
ix) दिमाग– बुद्धि
x) ज़िक्र

3) i) उस ज़माने में पानी में रहने वाले जानवर ज़मीन पर आते ही मर जाते होंगे।
ii) शुरू–शुरू के जीव जेली जैसे रहे होंगे।
iii) पहली चीज़ जिसका आदमी ने पता लगाया होगा वह आग थी।

4) i) मैंने उन्हें माँस खाते नहीं देखा, शायद वे शाकाहारी हों।
ii) चोर घर में घुस आया, शायद पीछे का दरवाजा खुला था।
iii) दर्शक हॉल में बैठ गये, शायद नाटक शुरू होने वाला है।

इकाई 5 संस्कृति विषय का बोधन और शब्दकोश का उपयोग

इकाई की रूपरेखा

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 शब्दकोश का उपयोग

- 5.2.1 शब्द ढूँढना
- 5.2.2 शब्दार्थ ढूँढना
- 5.2.3 शब्दकोश से अन्य सूचनाएँ प्राप्त करना

5.3 भारत के त्योहार

5.4 सारांश

5.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

5.6 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

5.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- शब्दकोश का सही प्रयोग करना सीख सकेंगे;
- संस्कृति संबंधी विषय को पढ़कर उसकी शब्दावली को समझ सकेंगे; और
- हिंदी में संस्कृति से जुड़े विषय को समझकर अपने शब्दों में प्रकट कर सकेंगे।

5.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई में आप संस्कृति संबंधी पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से आप यह समझ सकेंगे कि संस्कृति विषय में हिंदी भाषा किस रूप में प्रयुक्त होती है। जब हम संस्कृति विषय का अध्ययन करते हैं तब इस संदर्भ में कुछ नए शब्दों से परिचित होते हैं। इन विशिष्ट शब्दों को समझने के लिए शब्दकोश की आवश्यकता भी अनुभूत होती है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर इस इकाई में हम शब्दावली न देकर शब्दकोश के प्रयोग की विधि सिखा रहे हैं। शब्दकोश से हम केवल शब्दों के अर्थ ही नहीं जानते, उनके बारे में कई अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त करते हैं। जैसे शब्द किस भाषा का है, उसका लिंग क्या है, व्युत्पत्ति क्या है, मानक रूप क्या है, आदि। एक अच्छे शब्दकोश में हमें उक्त सभी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। शब्दकोश में सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों का क्रम। इसके लिए कौन–से नियमों का पालन किया जाता है, इसकी जानकारी भी पाठ में दी जाएगी। जब आप शब्दकोश का सही प्रयोग करना सीख लेंगे तो पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ आप स्वयं ही ढूँढ लेंगे।

इस इकाई में दिया गया पाठ संस्कृति विषय से संबंधित है; इससे पूर्व की इकाई विज्ञान विषय से संबंधित थी। उस इकाई में आपने जीवों की निर्मिति और समयगत परिवर्तनों के साथ उनके स्वरूप में आए बदलावों के बारे में पढ़ा था। आपने यह भी पढ़ा था कि कालांतर में मानव की उत्पत्ति भी इन्हीं जीवों में आए बदलावों का परिणाम थी। मानव सभ्यता के विकास के बारे में भी हमने आपको बताया था कि किस प्रकार उसने अपने समक्ष आने वाली

कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की। दरअसल मानव सभ्यता का आज तक का विकास मानव मात्र की जय यात्रा की ही कहानी है क्योंकि मानव की उपलब्धियाँ किसी एक व्यक्ति की प्रतिभा और श्रम का परिणाम नहीं हैं। मानव जाति ने अपने सामूहिक श्रम की क्षमता से ये उपलब्धियाँ हासिल की हैं। यही कारण है कि जब–जब मानव ने कुछ अर्जित किया, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की, स्वयं को सांस्कृतिक रूप से उन्नत किया, तो ऐसे अवसरों को उसने उत्सव में बदल दिया। जीवन में आनंद और उल्लास का संचार करने वाले ये त्योहार धीरे–धीरे मानव के सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए।

भारत का सांस्कृतिक इतिहास अतिप्राचीन और गौरवपूर्ण है। यहाँ धर्म, रीति–रिवाज, खान–पान, भाषा, वेश–भूषा इत्यादि में अनेक स्तरों पर विविधता दिखाई पड़ती है। यह वैविध्य ही भारतीय संस्कृति की विशिष्टता है जिसके आधार पर विश्व की श्रेष्ठ संस्कृतियों में इसका शुमार होता है। भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का जीवंत रूप यहाँ के त्योहारों में दिखाई पड़ता है। हमारी इस इकाई का पाठ भारत में मनाए जाने वाले विविध त्योहारों पर ही केंद्रित है।

तो आइए इस पाठ के अध्ययन से पूर्व हम शब्दकोश के सही उपयोग को जानने–समझने का प्रयास करते हैं।

5.2 शब्दकोश का उपयोग

इस इकाई में आगे आप भारतीय त्योहारों के बारे में पाठ पढ़ेंगे, जिसे पढ़ते हुए आपको यह महसूस होगा कि यह पाठ पिछले पाठ से कुछ कठिन है। इसमें कई नए शब्द आए हैं और हमने पाठ के अंत में शब्दावली भी नहीं दी है। यह तो आप जानते ही हैं कि पुस्तकें, अखबार आदि पढ़ते समय आपको शब्दावली तो मिलती नहीं। हमने अन्य पाठों में जो शब्दावली दी है, वह भी शायद सबके लिए काफी न हो। ऐसी स्थिति में शब्दों का अर्थ जानने का क्या तरीका है? कैसे नये शब्दों का अर्थ जान सकते हैं? इसके लिए आपको शब्दकोश देखने की आवश्यकता पड़ेगी।

पहले आप जानना चाहेंगे कि शब्दकोश में शब्द कैसे देखें, फिर उस शब्द का अर्थ कैसे ढूँढें। शब्दकोश से आप को न केवल शब्द का अर्थ मिल सकता है, बल्कि और भी कई सूचनाएँ मिलती हैं। आगे हम इन सभी बातों की चर्चा करेंगे।

5.2.1 शब्द ढूँढना

आपने इकाई 1 में हिंदी की वर्णमाला का परिचय प्राप्त किया। अपने उस ज्ञान को दुहराने के लिए आगे दी गई जगह में वर्णमाला को लिख लीजिए और उसके क्रम को ठीक से देखिए।

अ
क
च
ट
त
प ↓य
↓श
↓क्ष

1) वर्णमाला में वर्णों के इस क्रम को अकारादि क्रम कहते हैं (अकार + आदि)। 'अकार' का अर्थ है वर्ण (अ)। अन्य वर्णों को भी हम 'ईकार' 'चकार' 'तकार' आदि शब्दों से बता सकते हैं। शब्दकोश में सारे शब्द अकारादि क्रम से दिए जाते हैं, अर्थात् पहले 'अकार' के शब्द, फिर 'आकार' के शब्द। फिर 'इकार' के शब्द। अगर आपको 'गमला' शब्द ढूँढना हो तो (ख) के शब्दों और (घ) के शब्दों के बीच में देखिए। शब्द देने के इस क्रम को शब्दकोशीय क्रम (alphabetical order) भी कहते हैं।

2) हिंदी में 'अकार' में कई हजार शब्द आते हैं। 'अकार' के हजारों शब्दों में से एक को कैसे ढूँढा जाए। 'अकार' के भीतर शब्दों को ढूँढने के लिए शब्द के दूसरे वर्ण में अकारादि क्रम को देखना होगा। अगर दूसरा वर्ण समान हो, तो तीसरा वर्ण देखना होगा। अगर तीसरा वर्ण भी समान हो, तो चौथा वर्ण देखना होगा। इस तरह क्रम से सभी वर्णों को देखते चलें, तो आप सही शब्द तक पहुँच जाएंगे। हम आगे कुछ शब्दों को शब्दकोश के क्रम से दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिए।

दो वर्ण	**तीन वर्ण**	**चार वर्ण**	**पांच वर्ण**
कब	समझ	प्रदर्शक	राजनीतिक
कम	समन	प्रदर्शन	राजनीतिज्ञ
कर	समय		
कल	समर		
कश			

लेकिन शब्दकोश में छोटे–बड़े सभी तरह के शब्द साथ होते हैं। उस स्थिति में भी हर वर्ण क्रम के अनुसार, शब्दकोशीय क्रम को देखा जा सकता है। ऊपर के शब्दों के अलावा कुछ अन्य शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखा गया है, आप इनके क्रम को आगे के शब्दों में देख सकते हैं :

कंपन कब कबीला कम कमर कमरा कर करना कराना कल कला कलि कलिंग कली कश कशमकश कशिश कंस कहना पंजा पल पलंग पर प्रकाश प्रदर्शक प्रदर्शन प्रदर्शित प्रदूषण राज राजनीतिक राजनीतिज्ञ राजा संकट सखा संभव समझ समन समय समर समरस सम्मान सम्मोहन।

3) अनुनासिक (ँ), अनुस्वार (ं), के प्रयोग से बने हुए शब्दों, द्विगुण व्यंजनों तथा नुक्ता (क़, ख़, ग़, ज़, फ़) लगे हुए वर्णों से बनने वाले शब्दों को शब्दकोश में कैसे और कहाँ ढूँढा जाए? शब्दकोश में अनुनासिक (ँ) और अनुस्वार (ं) को एक माना जाता है। इनका स्थान वर्ण से पहले है। कुछ शब्दों का क्रम देखिए :

अंक	कंकड	संबद्ध
अकड़	कंटक	संबल
अकल	कँपकँपी	सब्र
अंग	कंपन	सबल
अगर	कपट	समान

इसी तरह बिंदी, विसर्ग और वर्ण का क्रम है :

अतंत्र	अतः	अतएव	अनल

शेष वर्ण (ड़, ढ़, क़, ख़, ग़, ज़ फ़) सामान्य वर्ण की तरह क्रम में आते हैं और वर्ण के नीचे की बिंदी (नुक्ता) का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शब्दकोश का क्रम देखिए :

ताक	जल	फ़ाका
ताक़त	जलज	फाटक
ताकना	ज़लज़ला	फ़ारिग़
ताज	जलद	फ़ासला
ताज़ा	ज़लील	फाहा

4) सवाल यह उठता है कि स्वर की मात्राओं और आधे व्यंजनों (संयुक्त वर्ण का पहला वर्ण) को कैसे ढूँढा जाए? दोनों का उत्तर एक ही है। व्यंजन और स्वर के योग का शब्दकोश क्रम निम्न प्रकार है, जहाँ हम हलंत (्) को भी एक मात्रा के रूप में देखते हैं और उसे मात्राओं के अंत में रखते हैं। क्रम देखिए :

क ं क का कि की कु कू कृ के कै को कौ क्

इस प्रकार के कुछ शब्दकोशीय क्रम देखिए :

कंपन	बारजा	स्तंभ
कल	बारात	स्तन
काम	बारिश	स्तर
कृति	बारीक	स्तुति
कौन	बारूद	स्तूप

5) तीन और अक्षर हैं जिनकी चर्चा करनी है। ये हैं : क्ष, त्र, ज्ञ।

इन तीनों को शब्दकोश में कहाँ ढूँढे ? ये तीनों मुख्यतः व्यंजन हैं।

क+ष– क्ष त+र–त्र ज+ञ–ज्ञ

जैसे ऊपर संयुक्त वर्णों को ढूँढने के बारे में चर्चा की थी, उसी तरह इन्हें भी ढूँढ सकते हैं। कुछ शब्दकोशीय क्रम देखिए :

अक्ल	नक्श	जौ	सत्य
अक्ष	नक्शा	ज्ञात	सत्र
अक्षर	नक्षत्र	ज्ञान	सत्रांत
अक्षुण्ण		ज्ञेय	सत्रीय
अक्स	ज्यामिति	सत्व	

अभ्यास

1) निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए।

भक्ति, अंग, महानता, त्योहार, संस्कृति, पूर्वी, पढ़ना, बड़ा, मानव, प्रकृति, ऋतु, मुख्य, फसल, पंक्तियाँ महापुरुष, पूजा, भावना, ब्याज, जिक्र, तरक्की।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.2.2 शब्दार्थ ढूँढना

शब्द को ढूँढने के बाद आप शब्द का अर्थ जानना चाहेंगे। पाठ में कई शब्द नए मिलेंगे जैसे, सम्मिलित, हिमाच्छादित, प्रतिभा, सद्‌गुण, दहन, एकाकार, प्रवर्तक आदि। पाठ पढ़ने के साथ आपको चाहिए कि आप इन शब्दों का अर्थ देख लें, हाशिए में शब्दार्थ लिख लें और पुनः पाठ पढ़ें।

जब आप कोई भी पाठ पढ़ते हैं, तो आपको कुछ–कुछ उसके अर्थ का आभास हो जाता है। शब्दकोश में शब्दों के कई अर्थ दिए हुए होते हैं। आप सही अर्थ चुन लें, तो वाक्य का पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है। पाठ के पैरा 1 में 'समावेश' शब्द मिलेगा। 'संस्कृति के अंतर्गत .. .. धर्म, कला आदि का 'समावेश' हो जाता है।' शब्दकोश में इसके कई अर्थ दिए हुए हैं।

समावृत्ति – स्त्री. [सं.] दे. 'समावर्तन'; समाप्ति । इसके कई अर्थों में 'शामिल होना' समावेश– पु. [सं.] प्रवेश; साथ रहना; मिलना; एकत्र होना; अंतर्भाव, शामिल होना; प्रेतावेश; व्याप्त होना; साथ–साथ होना या घटित होना; भावावेश; मतैक्य; मनोनिवेश। सबसे उपयुक्त अर्थ है। 'संस्कृति के अंतर्गत ..... धर्म, कला आदि शामिल हैं।'

समावेशन – पु. [सं.] प्रवेश; अधिकार में करना; विवाह– का संपन्न होना।

–वि. [सं.] जिसका प्रवेश

इन विभिन्न अर्थों में से उचित अर्थ ढूँढकर आप पाठ को समझ सकते हैं।

कभी–कभी आपको कोश में शब्द नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे 'सद्‌गुण' शब्दकोश में शायद नहीं मिलेगा। तब क्या करें ? आप सत् शब्द में इसे ढूँढ सकते हैं। आपको यह ज्ञात हो कि व्यंजन संधि में सत् का रूप सद् भी है, तो आप इसे सद् में देखें। सद्‌गुण यानी अच्छा गुण।

सदोषक – वि.[सं.] दोषयुक्त, ऐबदार।

सद् – 'सत्' का समासगत रूप। ~ गति – [स्त्री.] अच्छी दशा; मोक्ष प्राप्ति; अच्छे आदमियों का तौर तरीका।

~ गव – [पु.] अच्छा सांड़। ~ गुण – [पु.] अच्छा गुण, अच्छे गुणों से युक्त, सज्जनता। ~ गुरु– [पु.] अच्छा गुरु, धर्मगुरु। ~ ग्रंथ– [पु.] उत्तम ग्रंथ; सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करने वाला ग्रंथ।

शब्दार्थ ढूँढते हुए कई शब्दकोश आपको पर्याय (समान अर्थ वाले अन्य शब्द) विलोम (विपरीत अर्थ वाले शब्द) आदि के विवरण भी देते हैं।

उदाहरण के लिए

खुशबू का पर्याय सुगंध।

बदबू का विलोम खुशबू।

कुछ शब्द बताए गए अर्थ के संदर्भ में वाक्य में अर्थ नहीं देते। जैसे 'बत्तीसी' बत्तीस दातों का अर्थ देता है। लेकिन 'बत्तीसी दिखाना' (यानी 32 दाँत दिखाना) क्या अर्थ देता है ? ये मुहावरेदार प्रयोग है। शब्दकोश मुहावरों का अर्थ अलग से बताते हैं, जैसे– बत्तीसी दिखाना यानी हँसना।

कभी–कभी एक शब्द के दो बिल्कुल विपरीत अर्थ होते हैं। जैसे–पर (लेकिन), पर (पंख)। ऐसे शब्दों को हम बहुअर्थी शब्द कहते हैं। कुछ कोश उन्हें दो अलग जगह, दो प्रविष्टियों के रूप में देते हैं। जैसे,

पर [1] (संज्ञा) पंख

पर [2] (क्रि. वि.) – लेकिन, मगर

कुछ कोश इन्हें एक ही जगह रखते हैं और अर्थ दिखाने का भिन्न तरीका अपनाते हैं। 'बटोरना' के तीन अलग अर्थ हैं।

1) समेटना, जैसे काम समेटना।

2) जमा करना, जैसे, पैसा बटोरना।

3) फर्श पर पड़ी चीज़ों को इकठ्ठा करना आदि।

इन तीनों अर्थों को अर्ध विराम (;) से अलग करते हैं। इकट्ठा करना, जमा करना, समान अर्थ वाले हैं, इन्हें अल्प विराम (,) से अलग करते हैं।

अर्थ सूचित करने के लिए कई और तरीके हैं। कुछ शब्दकोश प्रमुख अर्थ के साथ तारा चिह्न (*) देते हैं। ऐसे तरीकों के बारे में शब्दकोश के शुरू में स्पष्ट जानकारी दी जाती है। आप अपने कोश का उपयोग करने से पहले उसके शुरू के पन्नों को ठीक से देखिए।

अभ्यास

2) निम्नलिखित वाक्यों में मोटे अक्षरों में लिखे शब्दों के अर्थ शब्दकोश में देखकर लिखिएः

   क) एक ओर मरुभूमि है तो दूसरी ओर विशाल उपजाऊ मैदान।

   .....

   ख) इन त्योहारों के मूल में धार्मिक मान्यताएँ जुड़ी हैं।

   .....

   .....

   ग) नदियाँ आ–आकर विलीन होती रही हैं।

   .....

   .....

5.2.3 शब्दकोश से अन्य सूचनाएँ प्राप्त करना

हमने इकाई 4 में उर्दू के शब्दों या स्पष्ट शब्दों में कहें तो फ़ारसी, अरबी शब्दों की चर्चा की थी। हमेशा आप ऐसे शब्दों को अपने ज्ञान से पहचान नहीं सकते। शब्दकोश हमें इस तरह की कई सूचनाएँ देते हैं। इन्हें उदाहरणों के साथ देखिए।

1) शब्दों का स्रोत : (फा.) – फारसी (हिं.) – हिंदी
(अ.) – अरबी (अं.) – अंग्रेजी
(सं.) – संस्कृत (बो.) – बोलचाल

2) शब्द का लिंग : पु.– पुल्लिंग
स्त्री.– स्त्रीलिंग

3) शब्द की व्युत्पत्ति : जैसे

[खिलाड़ी] संज्ञा पुं. [हि. खेल + आड़ी (प्रत्यय)]

1) खेल करने वाला, खेलने वाला।
2) कुश्ती लड़ने, बनेठी खेलने या ऐसे ही और काम करने वाला।
3) जादूगर।

खिलाना – अ. क्रि. – खाने में प्रवृत्त करना (जैसे– खाना खिलाना)
स. क्रि. – खेल खेलाना (जैसे– क्रिकेट खिलाना)

4) शब्द का व्याकरणिक वर्ग :सर्व. – सर्वनाम, वि. – विशेषण, क्रि. वि. – क्रिया विशेषण
स. क्रि. – सकर्मक क्रिया, अ. क्रि. – अकर्मक क्रिया

(संज्ञा देने की आवश्यकता नहीं है। इसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के रूप में देते हैं)

अ. – अव्यय

5) एक शब्द से बनने वाले व्युत्पन्न शब्द : जैसे

कार्मण – (स्त्री.) कामना *

कार्मुक – (पु.) [सं.] धनुष; धनुराशि; चाप । (वि.) कर्मशीश

कार्य – (पु.) [सं.] जो कुछ किया जाए या करना है, कर्त्तव्य; काम; धंधा; व्यवसाय; धार्मिक कृत्य; कारण का विकार, परिणाम; हेतु; नाटक का अंतिम फल। ~ कर्ता (र्तृ) (पु.) काम करने वाला, कर्मचारी। ~ कारणभाव (पु.) कार्य और कारण का संबंध। ~ कारी (रिन्) (वि.) किसी के स्थान पर अस्थाई रूप से काम करने वाला, कार्यवाहक (ऐक्टिंग)। ~ काल (पु.) कार्य करने का समय; किसी पद पर रहने का काल। ~ कुशल –(वि.) काम में होशियार, दक्ष। ~ क्रम (पु.) होने या किए जाने वाले कार्यों का क्रम या उनकी सूची। ~ ग्रहणकाल (पु.) (ज्वाइनिंग टाइम) किसी संस्था

आदि में या किसी पद पर नियुक्त होने के बाद काम शुरू करने का समय। ~ परिषद् – (स्त्री.) (काउंसिल)

6) उच्चारण :

अंग्रेजी के कोशों में उच्चारण देना अत्यावश्यक है। हिंदी कोशों में यह आवश्यक नहीं है।

7) भिन्न वर्तनी के रूप :

हिंदी शब्द दो वर्तनी रूपों में आ सकते हैं। जैसे, बरतन, बर्तन। शब्दकोश इनमें एक को मूल मानता है और दूसरे के सामने 'देखिए' की सूचना देता है।

इतने कम स्थान में शब्दकोश के सभी गुणों, उपयोगिता और प्रकारों की हम चर्चा नहीं कर सकते। हमारा इतना ही उद्देश्य है कि आप शब्दकोश का सही उपयोग करने का मार्ग देख लें और पढ़ते–पढ़ते कोश का अधिक अच्छा उपयोग करना सीख जाएं।

अभ्यास

3) नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, शब्दकोश की सहायता से इन शब्दों के स्रोत, व्युत्पत्ति, लिंग, बताइए।

शब्द	शब्द का स्रोत या मूल शब्द	लिंग या व्याकरणिक वर्ग	व्युत्पत्ति
उपजाऊ	.....	.....	.....
आगमन	.....	.....	.....
सौहार्द	.....	.....	.....
विघ्नहारी	.....	.....	.....
सात्विकता	.....	.....	.....
आसुरी	.....	.....	.....
स्थायित्व	.....	.....	.....
धर्मावलंबी	.....	.....	.....

शब्दकोश का सही उपयोग सीखने के बाद अब हम आपको संस्कृति विषय से संबंधित एक पाठ दे रहे हैं। इस पाठ में हमने एक मूल विषय लिया है– भारत के त्योहारों का वर्णन। जैसा कि आप जानते हैं इस विशाल देश में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों के लोग रहते हैं। वे अपने–अपने त्योहार मनाते हैं। हिंदू धर्म में भी एक ही त्योहार अलग–अलग जगहों में अलग–अलग ढंग से मनाया जाता है। इस पाठ का हमारा उद्देश्य सिर्फ़ त्योहारों का वर्णन करना नहीं है। हम अपने मूल विचार को इस रूप में प्रकट करना चाहते हैं कि संस्कृति विषय से संबंधित सामग्री का अध्ययन करते समय आप उस सामग्री के अंदर प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट शब्दावली का एक सामान्य परिचय प्राप्त कर सकें और शब्दकोश की सहायता से उन शब्दों का अर्थ भी जान सकें। तो आइए अब पाठ का अध्ययन करते हैं।

5.3 भारत के त्योहार

1) भारतीय सभ्यता और संस्कृति की उन्नति में नाना जातियों, धर्मों एवं संप्रदायों का हाथ रहा है। संस्कृति की अभी तक कोई भी सर्वसम्मत परिभाषा नहीं बन पाई है। इसका कारण यह हो सकता है कि इसके संपूर्ण एवं व्यापक रूप का अवलोकन मनुष्य ने अभी तक नहीं किया है। संस्कृति के अंतर्गत मानव द्वारा विकसित परंपराएँ, रीति–रिवाज, आचार–विचार, साहित्य, धर्म, कला सभी कुछ का समावेश हो जाता है। त्योहार संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। त्योहार का मानव जीवन के साथ गहरा संबंध है। यह मानव के सम्मिलित उल्लास व उमंग का सूचक है। प्रत्येक देश का जन समुदाय आनंद मनाने के लिए त्योहार मनाता है। जिस प्रकार समय के साथ–साथ सभ्यता और संस्कृति में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार त्योहार के स्वरूप में भी परिवर्तन आता है।

2) इस पाठ में हम भारत के त्योहारों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार त्योहार भारतवासियों में सांस्कृतिक एकता एवं भाईचारे की भावना बढ़ाते हैं। हमारा देश गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक एवं कश्मीर से कन्याकुमारी तक विस्तृत भू–खंड में फैला हुआ है। एक ओर हिमाच्छादित पहाड़ियाँ हैं, तो दूसरी ओर घने जंगलों से भरा प्रदेश। एक ओर मरुभूमि है तो दूसरी ओर विशाल उपजाऊ मैदान। भाषा, पहनावा, खान–पान, रीति–रिवाज, साहित्य, कला सभी क्षेत्रों में अपनी क्षेत्रीय विशेषताओं से युक्त है हमारा देश। इस देश में त्योहार भी क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ मनाए जाते हैं। त्योहारों का संबंध प्रायः प्रकृति और धर्म से जोड़ा जाता है। कुछ त्योहार राष्ट्र या समाज में घटी महान घटना अथवा किसी महान व्यक्ति की याद में भी मनाए जाते हैं। ऐसे त्योहारों की चर्चा भी हम पाठ के अंतर्गत करेंगे जो हर वर्ष हमें देश की आज़ादी एवं महापुरुषों के बलिदान की कहानी याद दिला कर हममें देश भक्ति की भावना बढ़ाते हैं। आइए, अब हम देखें कि ये त्योहार किस रूप में मनाए जाते हैं, किस प्रकार ये विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदायों के बीच सेतु का काम करते हैं और किस प्रकार ये हममें सद्गुणों का विकास करते हैं।

क) शरद ऋतु के प्रमुख त्योहार

3) हमारा देश कृषि प्रधान है। कृषि जीवन का आधार है। इसलिए हमारे कई त्योहार कृषि से जुड़े हैं। भारत में मुख्य रूप से दो फसलें होती हैं– रबी और खरीफ़। इन दोनों फ़सलों की कटाई के अवसर पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई त्योहार मनाए जाते हैं।

4) वर्ष में मुख्य दो नवरात्र आते हैं। एक है शरद ऋतु की नवरात्रि जो आश्विन शुक्ल प्रथमा से नवमी तक और दूसरी वासंतीय चैत्र मास की शुक्ल प्रथमा से नवमी तक। इन दोनों नवरात्रों का संबंध उपर्युक्त दोनों मुख्य फ़सलों से है।

5) शरद ऋतु के त्योहार दुर्गा पूजा से आरंभ होकर दीपावली तक चलते रहते हैं। 'दशहरा' या 'नवरात्रि' या 'विजयदशमी' का त्योहार संपूर्ण भारत में बड़े उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। इन त्योहारों के मूल में प्रकृति–परिवर्तन, फसल की कटाई एवं धार्मिक मान्यताएँ जुड़ी हुई हैं। ये धार्मिक मान्यताएँ मानव के सद्विचारों को ऊपर उठाने में सहायता करती हैं। शक्ति की प्रतीक देवी दुर्गा की आराधना पूरे देश में भिन्न–भिन्न रूपों में होती है। उत्तर पूर्वी भारत, विशेषकर बंगाल प्रांत में, माँ दुर्गा की आकर्षक एवं विशाल प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है। उत्तर पश्चिम भारत में देवी की पूजा के साथ ही रामलीलाओं का विशेष आयोजन होता है। इसकी समाप्ति रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के विशाल पुतलों को जलाने के साथ होता है। गुजरात राज्य में

रात्रि जागरण एवं 'अंबा' की पूजा के साथ उस राज्य के मनोहारी नृत्य 'गरबा' का आयोजन होता है। दक्षिण भारत में यह त्योहार नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। प्रथम तीन दिन शक्ति की प्रतीक दुर्गा की आराधना की जाती है। उसके बाद तीन दिन धन की देवी लक्ष्मी की आराधना की जाती है और बाकी तीन दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा के साथ इसका समापन होता है। इस त्योहार के आगमन से संपूर्ण भारत में उल्लास–उमंग का वातावरण बन जाता है। मेलों में सभी संप्रदायों के लोग इकट्ठे होकर आनंद मनाते हैं। इस प्रकार आपसी सौहार्द का वातावरण बनता है।

6) दीपावली हमारे देश का दूसरा महत्वपूर्ण त्योहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। दीपमालिकाओं से अमावस्या की रात्रि में सारा वातावरण जगमगा उठता है। लोक मान्यता है कि अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र इसी दिन रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्यावासियों ने घरों को दीपमालिकाओं से सजा कर खुशी मनाई थी। वर्षा ऋतु के तत्काल बाद मनाए जाने वाले इस त्योहार के अवसर पर देशवासी घरों की और अपने अगल–बगल की साफ–सफाई करते हैं क्योंकि वर्षा ऋतु में कीट पतंगों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होती है जिनसे तरह–तरह की बीमारियों के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। साफ–सफाई और घरों की रंगाई–पुताई करने से कीट पतंगों की संख्या भी कम हो जाती है। साथ ही घरों के सौंदर्य और आयु में भी वृद्धि होती है। दीपावली के अवसर पर दुकानों को भी सजाए जाने का चलन है। उत्तर भारत में इस दिन धन की देवी लक्ष्मी और विघ्नहारी गणेश की पूजा की जाती है। पूरे देश में इस अवसर पर स्वच्छता और सौंदर्य की छटा बिखरी दिखती है।

7) पूर्वी भारत में विशेषकर बंगाल प्रांत में इसे 'काली पूजा' के नाम से भी मनाया जाता है। लोक मान्यता के अनुसार माँ काली ने अत्याचारी चंड–मुंड नाम के दैत्य का वध किया था।

8) दक्षिण भारत में इन त्योहारों को सात्विकता की आसुरी शक्ति पर विजय की याद में 'नरक चतुर्दशी' के रूप में मनाया जाता है। लोक विश्वास के अनुसार श्रीकृष्ण ने इसी दिन नरकासुर का वध किया था।

9) वास्तव में इन त्योहारों के पीछे यही भावना निहित है कि हमारे अंदर दुर्गुणों का नाश हो एवं सद्गुणों का विकास हो। देवी–देवताओं की प्रतिमाएँ और उनसे जुड़ी हुई कथाएँ प्रतीक रूप में हैं। जनसामान्य केवल कोरे उपदेश द्वारा प्रेरित नहीं किया जा सकता। यही कारण रहे होंगे जिनसे मूर्ति रूप में सात्विक एवं आसुरी शक्तियों का प्रदर्शन आरंभ हुआ होगा। दुर्गा की प्रतिमा देवताओं की सम्मिलित शक्ति का ही प्रतीक है। 'महिषासुर' राक्षस की प्रतिमा आसुरी या राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतीक है। विघ्न–बाधा के दूर होने पर ही किसी कार्य में प्रगति हो सकती है। इसी भावना से 'विघ्न हरण' गणेश की प्रतिमा की पूजा होती है। गणपति को बुद्धिदाता एवं उनकी सवारी चूहे को विघ्न के रूप में समझा जाता है। यह प्रतीक है कि ज्ञानरूपी गणेश विघ्नरूपी चूहे को वश में रखते हैं। देवी लक्ष्मी की प्रतिमा समृद्धि का प्रतीक है। इसी प्रकार रावण, मेघनाद, एवं कुंभकर्ण रूपी आसुरी या बुराई की शक्तियों का विनाश सात्विकता या अच्छाई के प्रतीक 'राम' द्वारा ही संभव है। वास्वत में मानव के अंदर मानवीय गुणों का विकास एवं आसुरी दुर्गुणों का नाश ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऊपर उठा सकता है।

ख) वसंत ऋतु के प्रमुख त्योहार

10) मकर संक्रांति हमारे देश का ऐसा त्योहार है, जिसके साथ ऋतु परिवर्तन, धार्मिक मान्यताएँ एवं फ़सल की कटाई का आनंद सब एक साथ जुड़े हुए हैं। यह त्योहार सारे देश में भिन्न–भिन्न नामों एवं धार्मिक रीति–रिवाजों और क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ मनाया जाता है। भारत के अधिकांश भागों में इसे संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। संपूर्ण उत्तर भारत में इस दिन लाखों की संख्या में लोग पवित्र नदियों एवं कुंडों में स्नान करते हैं तथा तिल एवं गुड़ का अर्पण कर सूर्य की पूजा करते हैं।

11) पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश में इसे 'लोहड़ी' के नाम से मनाया जाता है। इसके आठ दिन पूर्व से ही लोग घर–घर जाकर लोक गीत गाते हैं। आठवें दिन 'लोहड़ी' पर लोग इकट्ठे होकर आग जलाते हैं एवं इसमें नए अन्न एवं तिल की आहुति देते हैं। महाराष्ट्र में इसे संक्रांति के नाम से मनाते हैं। विवाहित महिलाएँ घर–घर जाकर गुड़ और तिल से बने पकवान तथा नए अन्न बाँटती हैं।

12) तमिलनाडु में इस त्योहार को तीन दिन मनाते हैं। पहले दिन को 'भोगी' कहते हैं। दूसरा दिन 'पोंगल' के रूप में मनाते हैं, जिसमें नये बर्तन में मीठे भात पकाकर सूर्य को अर्पित करते हैं। तीसरे दिन खेती में सहायक बैलों एवं गायों का शृंगार करते हैं। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में इसे संक्रांति के नाम से ही मनाते हैं।

13) मकर संक्रांति के बाद का महत्वपूर्ण त्योहार है वसंत पंचमी। यह त्योहार ऋतु परिवर्तन का सूचक है। इसका संबंध विद्या की देवी सरस्वती से भी जोड़ा जाता है। इसीलिए इस दिन स्कूलों में कक्षाओं को सजाया जाता है। पूर्वी भारत के राज्यों में देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित की जाती है। कई जगह छात्र–छात्राएँ पीले परिधान धारण करके आते हैं। चारों ओर का वातावरण ही जैसे वसंती हो जाता है। इसी दिन हिंदी के विख्यात कवि महाप्राण निराला की जयंती भी मनाई जाती है।

14) वसंत ऋतु के त्योहारों का चरम उत्कर्ष होली में व्यक्त होता है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह त्योहार उल्लास और उमंग लेकर आता है। शायद ही कोई त्योहार ऐसा हो, जो इतने राग–रंग के साथ मनाया जाता हो। हिंदी प्रदेशों में माघ से ही 'फाग' गाया जाने लगता है। होली के पहले दिन यानी फाल्गुन मास की समाप्ति पर होलिका–दहन होता है। दूसरे दिन एक–दूसरे से मिलते हैं, रंग–अबीर डालते हैं, गाते बजाते हैं। भगवान कृष्ण की संगिनी राधा के गांव बरसाना की लट्ठमार होली विश्वप्रसिद्ध है। लट्ठमार होली भगवान कृष्ण द्वारा की जाने वाली लीलाओं की पुनरावृत्ति जैसी है। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ कमर पर फेंटा बांधे राधा और उनकी सखियों संग होली खेलने बरसाना पहुँच जाते थे और उनके साथ ठिठोली करते थे जिस पर राधा, सखियों संग ग्वाल बालों पर लट्ठ बरसाया करती थीं। धीरे–धीरे यही होली की परंपरा बन गई। इस होली को देखने भारी संख्या में देशी–विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं।

ग) धर्म और त्योहार

15) हमारे देश में विश्व भर से कितनी ही जातियों, धर्मों एवं संप्रदायों के लोग आए और भारत के निर्माण में अपना योगदान देते चले गए। इस देश ने सभी सस्कृतियों को अपने में पचाकर एकाकार कर लिया।

16) विश्व की अनेक संस्कृतियों के समन्वय का सबसे प्रमुख स्थल भारत ही है। विविधताओं के बीच एकता कायम करने की सर्वाधिक क्षमता हमारे देश में है। इसलिए

कहा गया है कि 'भारतीय संस्कृति महासमुद्र के समान है, जिसमें अनेक नदियाँ आकर विलीन होती रही हैं। विश्वबंधुत्व की भावना इस देश में आज से नहीं प्राचीन काल से ही रही है। 'बसुधैव–कुटुंबकम्' (सारी पृथ्वी एक परिवार है) की गूँज प्राचीन काल से आज तक इस देश में गूँज रही है।'

17) विश्व में ऐसी महान विभूतियाँ हुई हैं, जिनके विचार एवं उपदेश सारी मानव जाति के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। जैसे–जैसे विभिन्न जातियाँ इस देश में आती गईं, वैसे–वैसे उनके साथ उनके धर्म के महापुरुषों की अमर वाणियाँ भी यहाँ आती गईं। भारतीय जनमानस ने उन सबको अपनाया। यही नहीं, सभी धर्म प्रवर्तकों एवं महापुरुषों के उपदेशों को स्थायित्व देने एवं उनके स्मरण के लिए उनकी जयंती भी हर वर्ष हम त्योहारों के रूप में मनाने लगे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर हों या इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद हों, गीता के उपदेशक श्री कृष्ण हों या ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह हों, मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम हों या सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक हों, सभी की जयंतियाँ इस देश के त्योहार बन गई हैं। भगवान श्री कृष्ण की जयंती कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाती है। श्री कृष्ण ने भाद्र पद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यरात्रि में अत्याचारी कंस के संहार के लिए मथुरा में अवतार लिया था। इसलिए इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन विशेष रूप से मंदिरों को सजाया जाता है। भक्तगण मध्यरात्रि तक व्रत रखते हैं; मंदिरों में झाँकियाँ सजाई जाती हैं और बाल रूप श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। न केवल भारत में अपितु विश्व के अनेक देशों में कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।

रामनवमी का त्योहार चैत्रमास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में इस दिन भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ था। इसीलिए भक्त इस पावन तिथि को रामनवमी के रूप में मनाते हैं। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्रि का समापन होता है। श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं और पवित्र नदियों में स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं।

18) ईद, इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भारत में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। ईद का त्योहार साल में दो बार मनाया जाता है– ईदुल फ़ितर और ईदुल जुहा। ईदुल फ़ितर रमज़ान के महीने के बाद आता है। रमज़ान के पूरे महीने मुसलमान रोज़ा रखते हैं। एक माह के रोज़े की सफलतापूर्वक समाप्ति के उपलक्ष्य में ईद मनायी जाती है। आखिरी रोज़े के अगले दिन ईद होती है। ईद चाहे कश्मीर हो या तमिलनाडु, राजस्थान हो या बंगाल, उत्तर प्रदेश हो या बिहार सभी जगह बड़े उत्साह–उमंग के साथ मनाई जाती है। 'ईदगाह' में नए कपड़े पहने लोग नमाज अदा करने के लिए इकट्ठे होते हैं, ईदगाह के मेले में लोग आनंद मनाते हैं। मीठी सेवइयाँ बाँटी जाती हैं। हिंदू एवं अन्य धर्म संप्रदायों के लोग अपने मुसलमान भाइयों के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईदुल जुहा त्याग और बलिदान की स्मृति का त्योहार है। पैगंबर इब्राहीम ईश्वर के आदेश पर अपने प्रिय पुत्र की बलि देने को भी तत्पर हो गए थे। इसी तरह मुहर्रम भी भारत में सभी जगह मनाया जाता है, जो मुसलमानों के शिया संप्रदाय का त्योहार है। यह त्योहार हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे और हज़रत अली के पुत्र हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है। इस मौके पर ताज़िए निकाले जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू भी सम्मिलित होते हैं।

19) सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती भी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। गुरु नानक देव ने धर्म के सच्चे स्वरूप का और हिंदू–मुसलमानों में भाईचारे का उपदेश दिया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाने वाली नानक जयंती के

अवसर पर प्रभात फेरियाँ निकाली जाती हैं एवं गुरुद्वारों एवं गिरजाघरों में प्रार्थनाएँ होती हैं।

घ) राष्ट्रीय पर्व

20) प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में कुछ दिन ऐसे होते हैं, जिन्हें राष्ट्र हमेशा याद रखता है। इसी तरह कुछ ऐसे अविस्मरणीय महापुरुष होते हैं, जो उस राष्ट्र को नई दिशा देकर नए युग का प्रवर्तन कर जाते हैं।

21) ऊपर हमने देखा कि किस प्रकार विभिन्न संप्रदायों, धर्मों एवं जातियों के महापुरुषों की जयंतियाँ मनाकर हम अपनी राष्ट्रीय एकता एवं विश्वबंधुत्व की भावना को मजबूत करते हैं। आगे हम देखेंगे कि वर्तमान भारत के निर्माण में कौन–कौन से विशेष दिन हैं एवं किन–किन महापुरुषों का विशेष योगदान रहा है। ऐसे दिवस एवं जन्मदिवस हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं।

22) 15 अगस्त, 1947 को हमारे देश ने विदेशी शासन से मुक्ति पाई। इस स्वाधीनता दिवस को हम भारतवासी बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। देश की स्वाधीनता के लिए सभी धर्मों और संप्रदायों के लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष किया। देश के सभी हिस्सों से लोगों ने विदेशी सत्ता के खिलाफ़ आवाज उठाई और अपनी कुर्बानी दी। बहुत दिनों के संघर्ष एवं अनगिनत लोगों के बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली। ऐसे स्मरणीय दिन को हम राष्ट्र त्योहार के रूप में मनाते हैं। दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इसी प्रकार 26 जनवरी, 1950 को हमारा देश 'गणतंत्र' बना। इसी दिन सारे भारतवासियों को समानता का लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के आधार पर न कोई छोटा है न बड़ा। गणतंत्र दिवस भी बड़े उत्साह और उमंग से मनाया जाता है। मुख्य समारोह दिल्ली के विजय चौक पर राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण से होता है। सेना के सभी अंगों द्वारा विशेष परेड एवं देश की प्रगति की झाँकियाँ निकाली जाती हैं। इसी तरह के कार्यक्रम राज्य की राजधानियों एवं अन्य शहरों में भी होते हैं।

23) 2 अक्टूबर को हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं। गांधी जी ने जहाँ देश की आजादी के आंदोलन का नेतृत्व एवं मार्गदर्शन किया, वहीं अहिंसा की शक्ति द्वारा अंग्रेज़ी शासन से इस देश को मुक्ति दिलाई। गांधी जी के विचारों एवं कार्यों ने इस देश पर अमिट छाप छोड़ी है। अछूतोद्धार सांप्रदायिक एकता एवं अहिंसा उनकी महान देन हैं। गांधी के अहिंसा के मंत्र ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा। गांधी जी के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के चलते ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 अक्टूबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। 30 जनवरी, 1948 को एक धर्मांध व्यक्ति की गोली से इस अहिंसा के पुजारी का निधन हो गया। सारे विश्व में इस दुःखद घटना से शोक छा गया था। हम हर वर्ष इस दिन को 'शहीद दिवस' के रूप में मनाते हैं। इसी प्रकार 14 नवंबर को हम अपने प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू की जयंती 'बाल दिवस' के रूप में मनाते हैं। आधुनिक भारत के नवनिर्माण में नेहरू जी का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।

24) इस प्रकार हमारे देश के त्योहार चाहे धार्मिक दृष्टि से मनाए जा रहे हों या नए वर्ष की अगवानी के रूप में, फसल की कटाई एवं खलिहानों के भरने की खुशी में हों या महापुरुषों की याद में, सभी अपनी विशेषताओं एवं क्षेत्रीय प्रभाव से युक्त होने के साथ ही देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करते हैं। ये त्योहार जहाँ

जनमानस में उल्लास, उमंग एवं खुशी भर देते हैं, वहीं हमारे अंदर देशभक्ति एवं गौरव की भावना के साथ–साथ विश्वबंधुत्व एवं समन्वय का भाव भी बढ़ाते हैं। इनके द्वारा महापुरुषों के उपदेश हमें बार–बार इस बात की याद दिलाते हैं कि सद्विचार एवं सद्भावना द्वारा ही हम प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि वास्वत में सभी धर्मों का मूल लक्ष्य एक है। केवल उस लक्ष्य तक पहुंचने के तरीके अलग–अलग हैं। अतः त्योहार हमारी स्वस्थ सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, देश की एकता एवं विश्वबंधुत्व की भावना बढ़ाने में सहायक है। पाठ के अध्ययन के पश्चात अब हम आपको इस पाठ से संबंधित कुछ बोध प्रश्न दे रहे हैं। ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को पढ़कर इनका उत्तर देने का प्रयास करिए।

बोध प्रश्न

1) नीचे दिए गए पर्वों को सही प्रतीकात्मक अर्थों से जोड़िए।

1)	लोहड़ी	क)	आसुरी शक्ति पर विजय
2)	काली पूजा	ख)	राष्ट्रीय भावना का विकास
3)	लक्ष्मी पूजा	ग)	नई फ़सल की खुशी
4)	गणतंत्र दिवस	घ)	समृद्धि की आकांक्षा

2) क) पैरा 8 एवं 9 में दो प्रकार के गुणों की चर्चा की गई है। दोनों के अर्थ में आए हुए अन्य शब्दों को लिखिए।

i) सात्विक शक्तियाँ	ii) आसुरी शक्तियाँ
.....	.....
.....	.....

3) पैरा 2 में हमने बलिदान शब्द का इस्तेमाल किया है इसी भाव को स्पष्ट करने वाले अन्य शब्दों को लिखिए।

.....

.....

.....

.....

.....

4) पैरा 5 से 9 तक में आसुरी शक्तियों के प्रतीक के रूप में जिनका उल्लेख किया गया है, उनके नाम लिखिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5) त्योहार मनाने के संबंध में हमने 'उल्लास' शब्द का प्रयोग किया है। पूरे पाठ में इस तात्पर्य को व्यक्त करने वाले अन्य शब्दों को खोज कर लिखें।

.....

.....

5.4 सारांश

इस इकाई को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। अब आप समझ गए होंगे कि शब्दकोश के सही उपयोग से कठिन शब्दों के अर्थ जानने के साथ ही हम शब्दों की व्युत्पत्ति और उसके व्याकरणिक स्वरूप को भी जान सकते हैं। अतः इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- शब्दकोश का सही उपयोग कर सकते हैं;
- संस्कृति संबंधी विषय में प्रयुक्त शब्दावली का सही प्रयोग कर सकते हैं; और
- संस्कृति संबंधी विषय में प्रयुक्त भाषा की विशेषताओं को पहचान सकते हैं।

5.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

कालिका प्रसाद, मुकुंदीलाल श्रीवास्तव, राजवल्लभ सहाय (संपादक), वृहत् हिंदी कोश, प्रकाशक, ज्ञानमंडल, वाराणसी–1

प्रो. वी.रा.जगन्नाथन, छात्र कोश, जनेपा पब्लिशर्स, नई दिल्ली – 110019

5.6 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न

1) i) ग ii) क iii) घ iv) ख

2) i) सद्‌गुण, मानवीय गुण, अच्छाई

   ii) दुर्गुण, आसुरी, बुराई

3) कुर्बानी, प्राणोत्सर्ग, न्योछावर

4) महिषासुर, रावण, चंड–मुंड, चूहा, नरकासुर, मेघनाद, कुंभकर्ण

5) उमंग, आनंद, खुशी

अभ्यास

1) अंग, ऋतु, जिक्र, तरक्की, त्योहार, पंक्तियाँ, पढ़ना, पूजा, पूर्वी, प्रकृति, फ़सल, बड़ा, ब्याज, भक्ति, भावना, महानता, महापुरुष, मानव, मुख्य, संस्कृति।

2) मरुभूमि– रेगिस्तान, जलरहित रेतीला मैदान।

   मान्यताएँ– किसी सिद्धांत आदि का मान्य होना, किसी संस्था को स्वीकृति देना या प्रामाणिक मान लेना।

   विलीन – जो अदृश्य हो गया हो, जो लुप्त हो गया हो, जो किसी दूसरे में मिल गया हो।

3)

शब्द	शब्द का स्रोत या मूल शब्द	लिंग या व्याकरणिक वर्ग	व्युत्पत्ति
उपजाऊ	उपज	विशेषण	उद् + पद्–संस्कृत उप्पज्ज– प्राकृत
आगमन	गमन	संज्ञा, पुल्लिंग	गम् (संस्कृत)
सौहार्द	सुहृद	संज्ञा, पुल्लिंग	सु + हृद (संस्कृत)
विघ्नहारी	विघ्न	संज्ञा, पुल्लिंग	विघ्न + हर + ई (संस्कृत)
सात्विकता	सत्व	विशेषण	सत्व + इक + ता (संस्कृत)
आसुरी	असुर	विशेषण	असुर + ई (संस्कृत)
स्थायित्व	स्थायी	संज्ञा, पुल्लिंग	स्थायी + त्व (संस्कृत)
धर्मावलंबी	धर्म	संज्ञा, पुल्लिंग	धर्म + अवलंब +ई (संस्कृत)

इकाई 6 समाज विज्ञान विषय का बोधन और निबंध रचना का परिचय

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 प्रत्यय और शब्द निर्माण

- 6.2.1 प्रत्यय 'त्व' / 'ता'
- 6.2.2 प्रत्यय 'य'
- 6.2.3 प्रत्यय 'इक'
- 6.2.4 प्रत्यय 'करण'

6.3 वाचन : परिवार

6.4 निबंध–रचना

6.5 सारांश

6.6 शब्दावली

6.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

6.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

6.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- प्रत्यय को परिभाषित कर सकेंगे;
- 'इव', 'त्व', 'ता' 'या' और 'करण' प्रत्ययों के सही प्रयोग कर सकेंगे;
- समाज विज्ञान संबंधी विषय को पढ़कर उसकी शब्दावली का उचित प्रयोग कर सकेंगे;
- हिंदी में समाज विज्ञान संबंधी विषय को समझकर अपने शब्दों में प्रकट कर सकेंगे; और
- निबंध रचना के दौरान कथ्य को विस्तार और क्रमबद्धता दे सकेंगे।

6.1 प्रस्तावना

आपने इकाई पाँच में शब्दकोश के सही उपयोग के बारे में पढ़ा। आपने यह देखा कि शब्दकोश से हम केवल शब्दों के अर्थ ही नहीं जानते बल्कि उने बारे में कई अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त करते हैं। जैसे– शब्द किस भाषा का है, उसका लिंग क्या है, व्युत्पत्ति क्या है, मानक रूप क्या है, आदि। इस इकाई में हम 'प्रत्ययों' के अध्ययन द्वारा नए शब्द बनाना सीखेंगे। इससे आपके भाषा प्रयोग की क्षमता में वृद्धि होगी क्योंकि 'प्रत्यय' से एक ही शब्द को कई रूपों और अर्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है।

इस इकाई में हम समाज विज्ञान से संबंधित पाठ दे रहे हैं। इसके अंतर्गत आप 'परिवार' शीर्षक एक निबंध का अध्ययन करेंगे। इस निबंध के द्वारा आप परिवार के गठन के आधार को समझेंगे। परिवार पहले किस रूप में थे और अब परिवार की रचना में क्या

परिवर्तन आए हैं तथा इन परिवर्तनों के कारण क्या समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। प्रस्तुत इकाई में समाज विज्ञान से संबंधित विषय निबंध के रूप में लिखा गया है। अतः इकाई के माध्यम से आप निबंध रचना के विविध पहलुओं का भी अध्ययन करेंगे। निबंध रचना पर विचार करते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत करने की विधि सीखेंगे, जिससे कि आप स्वयं विभिन्न विषयों का लेखन करने की अपनी क्षमता बढ़ा सकें। पाठ में समाज विज्ञान से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। इस पाठ के अंत में शब्दावली के अंतर्गत कठिन शब्दों के अर्थ और उनके संदर्भ भी दिए गए हैं। इनका अध्ययन करके आप इन पारिभाषिक शब्दों के सही संदर्भों को भलीभाँति समझ सकेंगे।

पाठ का अध्ययन करने से पूर्व प्रत्यय और शब्द निर्माण की जानकारी प्राप्त करना आपके लिए लाभकारी होगा। आइए, कुछ प्रत्ययों और उनसे बनने वाले शब्दों पर विचार करते हैं।

6.2 प्रत्यय और शब्द निर्माण

समाज विज्ञान विषय से संबंधित पाठ पढ़ते हुए आप देखेंगे कि इसमें सामाजिक, आर्थिक, नागरिक जैसे शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। इसी तरह व्यक्ति, बंधुत्व, मानवता जैसे शब्द भी मिलेंगे। ये शब्द 'इक', 'त्व', या 'ता' प्रत्यय जुड़कर बने हैं। आइए पाठ पढ़ने से पूर्व इनके बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करें।

6.2.1 प्रत्यय 'त्व' / 'ता'

i) 'त्व' या 'ता' प्रत्यय जातिवाचक संज्ञा या विशेषण को भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे :

कवि– कवित्व	मानव–मानवता
बंधु– बंधुत्व	महत्– महत्ता
सुंदर–सुंदरता	

ii) 'ता' प्रत्यय लगने से शब्द स्त्रीलिंग और 'त्व' प्रत्यय लगने से पुल्लिंग बनते हैं।

जैसे : गांधीजी की मानवता हमारा आदर्श है।

गांधीजी का व्यक्तित्व महान था।

iii) कुछ शब्दों में 'त्व' 'ता' दोनों प्रत्यय लग सकते हैं और अर्थ में अंतर नहीं आता।

जैसे : बंधुत्व और बंधुता

महत्व और महत्ता

iv) लेकिन कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है।

जैसे : कवित्व और कविता

'कवित्व' का अर्थ है – कवि में काव्य करने की शक्ति।

'कविता'– साहित्य की एक विधा है।

ध्यान दीजिए कि यदि कोई शब्द भाववाचक संज्ञा है तो उसमें प्रत्यय नहीं लगता। हिंदी में लोग 'अज्ञानता' लिखते हैं, यह गलत है क्योंकि अज्ञान भाववाचक संज्ञा है।

बोध प्रश्न

1) नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं उन्हें 'त्व' या 'ता' या दोनों प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए।

i) गुरु
ii) मधुर
iii) शिव
iv) मनुष्य
v) निज
vi) सम

6.2.2 प्रत्यय 'य'

जैसे विशेषण शब्द 'स्वतंत्र' से 'स्वतंत्रता' बनता है, वैसे ही स्वातंत्र्य भी बनता है। इसकी रचना को देखिए :

मधुर → माधुर → माधुर्य

'य' प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने की प्रक्रिया में शब्द का पहला स्वर बदलता है। इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि शब्द का पहला स्वर अ या आ होने पर नवर्निमित शब्द का पहला स्वर आ हो जाएगा। इसी प्रकार इ, ई, ए स्वर के स्थान पर ऐ तथा उ, ऊ, एवं ओ स्वर के स्थान पर औ हो जाएगा। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं–

दरिद्र– दारिद्र्य	दीन– दैन्य	उदार– औदार्य
	एक–ऐक्य	शूर–शौर्य

ध्यान दीजिए कि 'विशेषण' शब्द में केवल एक प्रत्यय लगेगा। लेकिन कुछ लोग ऐक्यता, द्रारिद्र्यता जैसे गलत शब्द लिखते हैं। या तो 'ऐक्य' लिखें या 'एकता'।

जिस तरह मानव होने की स्थिति को मानवता कहते हैं, वैसे ही 'विधवा' की स्थिति वैधव्य है। यह प्रत्यय संज्ञा में लगा है। आप बता सकते हैं कि 'प्रातिव्रत्य' का मूल शब्द क्या है ? 'आधिपत्य' किससे बना है ?

बोध प्रश्न

2) नीचे दिए गए शब्दों में 'ता' और 'य' प्रत्यय लगाकर दो–दो शब्द बनाइए।

i) सम .....
ii) निरंतर .....
iii) धीर .....
iv) स्वस्थ .....
v) निकट .....

3) नीचे लिखे शब्दों में 'ता' या 'य' प्रत्यय का उचित प्रयोग कर शब्द लिखिए।

i) करुण .....
ii) महान .....
iii) सामाजिक .....
iv) सहित .....

6.2.3 प्रत्यय 'इक'

संज्ञावाचक शब्दों से विशेषण बनाने के लिए 'इक' का प्रयोग होता है। जैसे :

समाज– सामाजिक

नगर– नागरिक

यहाँ भी 'य' प्रत्यय की रचना के समान शब्द का पहला स्वर बदलता है और अ, आ स्वर के स्थान पर ई एवं इ, ई, ए के स्थार पर ऐ तथा उ, ऊ, ओ के स्थान पर औ हो जाता है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं–

समाज–सामाजिक	दिन– दैनिक	उद्योग–औद्योगिक
धर्म–धार्मिक	नीति–नैतिक	मूल–मौलिक
मास–मासिक	सेना–सैनिक	लोक–लौकिक

आपके सामने एक समस्या रखते हैं। 'राजनीतिक' सही है या 'राजनैतिक' ? आप मूल शब्द और रचना की विधि को पहचानिए। शब्द 'राजनीति + इक' है या 'राज + नैतिक' है ? 'राजनीति' से शब्द बना हो तो 'राजनीतिक' सही है। इसी तरह से 'अ + सामाजिक' रचना का आधार 'असमाज + इक' नहीं है। क्या आप 'अनैतिक', 'समसामयिक', 'औपनिवेशिक', 'कारुणिक' आदि शब्दों की रचना की प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकते हैं ?

बोध प्रश्न

4) नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें 'इक' प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। यह भी बताइए कि इनमें शब्द के पहले वर्ण की मात्रा में क्या अंतर आया है।

i) दिन ii) भूगोल iii) समूह iv) व्यक्ति

v) विज्ञान vi) मुख vii) जीव viii) निसर्ग

5) मूल शब्द पहचानिए।

i) कार्मिक ii) न्यायिक iii) अप्राकृतिक

iv) पौराणिक v) प्रशासनिक

6.2.4 प्रत्यय 'करण'

'करना' के अर्थ में यह प्रत्यय संज्ञा, विशेषण दोनों के साथ आता है। इस प्रत्यय के प्रयोग से होने वाली शब्द रचना देखिए।

नगर+ ई + करण – नगरीकरण

सामान्य + ई + करण – सामान्यीकरण

बोध प्रश्न

आगे शब्दों में 'करण' प्रत्यय लगाकर रचना कीजिए।

6) i) समाज ii) दृढ़ iii) मानव iv) स्थायी

नोट करें कि 'करण' प्रत्यय के प्रयोग से बनने वाला विशेषण शब्द 'कृत' से बनता है। जैसे,

नौकरी में उस आदमी का स्थायीकरण नहीं हुआ है।

नौकरी में वह आदमी स्थायीकृत हुआ है।

इस इकाई के अन्तर्गत दिए जाने वाले पाठ में औद्योगीकरण शब्द आएगा, जो एक अपवाद है। इस शब्द के मूल में उद्योग' है।

विभिन्न प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द निर्माण की प्रक्रिया को समझाने के बाद अब हम आपको समाज विज्ञान विषय से संबंधित 'परिवार' शीर्षक एक निबंध वाचन हेतु दे रहे हैं। इस पाठ के वाचन के उपरांत आप निबंध रचना के कौशल तथा समाज विज्ञान विषय से संबंधित विशिष्ट शब्दावली से परिचित हो सकेंगे। तो आइए, अब हम पाठ का वाचन करते हैं।

6.3 वाचन : परिवार

1) हम आप सभी किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं। हममें से कोई किसी का पिता है, कोई माँ, कोई किसी का भाई है या बहन, कोई पुत्र है या पुत्री। माँ पूरे घर के लिए खाना बनाती है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती है। पिता सुबह ही काम पर चले जाते हैं और हर माह जो कमा कर लाते हैं, उससे घर चलता है। हममें से कई घरों में माँ भी काम पर जाती हैं, कई घरों में बूढ़े दादा–दादी होंगे, जिनका सभी आदर करते हैं और जो सभी से गहरा स्नेह रखते हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्यों माता–पिता अपने बच्चों के लिए इतना कष्ट उठाते हैं ? क्यों माँ की डाँट खाकर भी बच्चे अपनी माँ से अत्यधिक प्यार करते हैं। आखिर यह परिवार क्या है, जो अपने सभी सदस्यों को गहरे प्रेम–सूत्र में बाँधे रखता है। क्या हम ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं, जहाँ परिवार न हों

2) निश्चय ही नहीं। संसार में कोई समाज ऐसा नहीं, जिसमें परिवार न हो। परिवार समाज की आधारभूत और अत्यंत व्यापक इकाई है। यह एक ऐसी सामाजिक संस्था है, जिसके कारण ही मानव समाज प्रगति कर सका है।

3) अब प्रश्न यह उठता है कि परिवार का इतना महत्व क्यों है ? क्यों हम इसे समाज की आधारभूत और व्यापक इकाई कह रहे हैं। हम अपने परिवारों में अक्सर देखते हैं कि माता–पिता खुद तो कष्ट उठाते हैं, लेकिन बच्चों के सुख–दुःख का पूरा ख्याल रखते हैं और ऐसा ही व्यवहार बच्चे भी बड़े होने पर अपने माता–पिता के साथ करते हैं। सच्चाई यह है कि परिवार ही वह पाठशाला है जहाँ व्यक्ति त्याग और दूसरे के लिए जीने की प्रेरणा ग्रहण करता है और इस तरह समाज का अच्छा नागरिक होने के लिए अपने को तैयार करता है।

4) हम देखते हैं कि कैसे परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने संकीर्ण स्वार्थों को त्यागकर पूरे परिवार के हित के लिए प्रयत्नशील रहता है, किस तरह सभी ऐसे भावनात्मक सूत्र में अपने को बँधा पाते हैं जो उन्हें प्रेरित करता है कि वे सिर्फ़ अपने लिए नहीं वरन् सभी के लिए जिएँ, सभी के सुख–दुःख में सहभागी बनें। इसी भावनात्मक सूत्र के कारण व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास और विस्तार करता है। वह न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरे के लिए भी जीना सीखता है। परिवार में सदस्यों के पारस्परिक स्नेह, सौहार्द और त्याग–भावना उसे यह सीख देती है कि वह समाज नामक बृहत्तर इकाई के प्रत्येक सदस्य के प्रति भी इन्हीं भावनाओं से संचालित हो।

5) इस बात को हम दूसरे रूप में भी देख सकते हैं। आप जानते हैं कि परिवार में कोई एक ऐसा सदस्य जरूर होता है जो कहीं न कहीं, किसी न किसी व्यवसाय या नौकरी से जुड़ा होता है। जैसे कोई अध्यापक है तो कोई व्यापारी है, कोई किसान है तो कोई मज़दूर है, कोई सैनिक है तो कोई पुलिस की नौकरी में है। तात्पर्य यह है कि किसी न किसी व्यवसाय से जुड़कर वह प्रतिमाह कुछ रुपए कमाकर लाता है और उसी आय

से उसका घर चलता है। भोजन, वस्त्र और आवास का प्रबंध होता है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च चलता है, बीमार की चिकित्सा होती है। ज़ाहिर है जीवनयापन के लिए यह आवश्यक है कि परिवार का कम से कम एक सदस्य अवश्य कमाए।

6) क्या कभी आपने सोचा है कि व्यक्ति इस तरह कोई नौकरी या व्यवसाय कर सिर्फ़ अपने और अपने परिवार के जीवन–निर्वाह का ही प्रबंध करता है या उसका यह कार्य पूरे समाज के लिए भी ज़रूरी है ? एक उदाहरण से इस बात को समझें। एक किसान अपने खेत में जो पैदा करता है उसे मंडी–मंडी बेचकर रुपये घर लाता है। इससे वह अपने परिवार के लिए अन्य ज़रूरी चीज़ों का प्रबंध करता है। जबकि उसी का बेचा हुआ अनाज दूसरे वे लोग जो किसान नहीं हैं, मंडी से खरीदकर घर लाते हैं ताकि उनके परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था हो सके। इस प्रकार हम सभी किसी न किसी ऐसे काम से जुड़े हैं, जिनसे हमें आय होती है और उस आय से हम अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन हमारे काम से दूसरों की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। किसान अनाज उगाता है, मज़दूर कारखानों में कई तरह की चीज़ें बनाता है, अध्यापक शिक्षा देता है, डॉक्टर लोगों के रोगों का इलाज करता है, सैनिक व पुलिस देश और देशवासियों की रक्षा करते हैं। इस तरह परिवार के लिए जीवनयापन की व्यवस्था करते हुए हम सभी सामाजिक उत्पादन की प्रक्रिया से अपने को जोड़ते हैं और इसी से सामाजिक प्रगति में हमारी भागीदारी निश्चित होती है।

7) हम जब यह देखते हैं कि हमारे अपने परिवार के लिए समाज के दूसरे लोगों द्वारा किए गए कार्यों का कितना महत्व है, तो हममें समाज के प्रति कृतज्ञता का भाव पैदा होता है। यह बोध हमें समाज के प्रति और अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण बनाता है और हम उसकी उन्नति के लिए अधिक सक्रिय होते हैं। हमारी इस भावना का असर हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। वे भी अपने माता–पिता की तरह समाज और राष्ट्र से प्रेम करना सीखते हैं, उनकी रक्षा और उन्नति में अपना योगदान देना चाहते हैं। इस तरह व्यक्ति राष्ट्र का बेहतर नागरिक बनने की शिक्षा परिवार से प्राप्त करता है।

8) हमने ऊपर परिवार नामक इकाई के महत्व की चर्चा की और परिवार तथा समाज के संबंध की जानकारी प्राप्त की। अब हम यह जानना चाहेंगे कि परिवार की रचना या उसका गठन क्या है? परिवार के सदस्य कौन–कौन होते हैं? परिवार चलाने का दायित्व किस पर होता है आदि।

9) आज जब हम परिवार की चर्चा करते हैं तो उसका अर्थ होता है माता, पिता और उनके अविवाहित पुत्र–पुत्रियाँ। जब लड़की की शादी हो जाती है तो वह अपने ससुराल चली जाती है और लड़के भी अपना काम शुरू करने के बाद विवाह होते ही अपना अलग घर बसा लेते हैं। लेकिन आज जिन छोटे परिवारों को हम देखते हैं, हमेशा से ऐसे ही परिवार नहीं थे। आज से केवल कुछ दशक पहले ही, हमारे देश में, संयुक्त परिवार का आम प्रचलन था। इस तरह के परिवारों में दादा, दादी थे और दादा के भाई, इन सभी के विवाहित पुत्र और उनकी संतान और इनमें भी जिन लड़कों का विवाह हो गया उनकी संतानें। लड़कियाँ अवश्य विवाह कर अपनी ससुराल चली जाती थीं और अपनी ससुराल की सदस्य मानी जाती थीं। पूरे घर में एक ही चूल्हा जलता था। परिवार की कुल संपत्ति, परिवार के सभी सदस्यों की साझा संपत्ति मानी जाती थी। परिवार का मुखिया, सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति प्रायः (पुरुष) होता था, जिसका पूरे परिवार पर नियंत्रण होता था।

10) संयुक्त परिवार में परदादा का परिवार, दादा एवं उनके भाई और उन सबका परिवार, ताऊ, पिता एवं चाचाओं का परिवार एवं अविवाहित पुत्रियाँ सम्मिलित हैं। परिवार का

मुखिया घर का सबसे बड़ा पुरुष होता है। परदादा के जीवित रहने तक वे परिवार के मुखिया होते थे और उनके बाद सबसे बड़े दादा मुखिया होते थे। इस तरह परिवार का मुखिया सबसे बड़ी पीढ़ी के सबसे बड़े पुरुष को माना जाता था।

11) संयुक्त परिवार आज के एकल परिवारों का संयुक्त रूप था, जबकि आज का एकल परिवार दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करते ही नए परिवारों को जन्म दे देता है। प्रश्न यह है कि संयुक्त परिवार क्यों बिखर गए? ऐसे कौन से कारण थे, जिनसे संयुक्त परिवार का रूप बदलने लगा?

12) अगर हम मानव–सभ्यता के विकास का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि परिवार नामक संस्था सदैव एक–सी नहीं रही है। यद्यपि, यह भी सही है कि सभी मानव समाजों में और सामाजिक विकास के सभी स्तरों में इसे किसी न किसी रूप में अवश्य देखा जा सकता है। वस्तुतः परिवार का विकास समाज के विकास से जुड़ा है। जिसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं वह जिस सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था की देन था, वह व्यवस्था आज नहीं है। आज हम एक नई तरह की सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था में जी रहे हैं। इसी नई व्यवस्था ने उस नए परिवार को जन्म दिया है जिसे 'एकल परिवार' कहते हैं और जिसमें माता–पिता और अविवाहित संतान आते हैं।

13) संयुक्त परिवार का संबंध जिस समाज व्यवस्था से था, उसमें सामाजिक विकास मुख्यतया कृषि पर आधारित था और कृषि उत्पादन का ढाँचा सामंती था। आज जिन आधुनिक मशीनों को हर कहीं देखते हैं, वे उस समय तक अस्तित्व में नहीं आई थीं। खेती के भी आधुनिक उपकरण नहीं थे। लोग हाथ से बने औज़ारों का इस्तेमाल करके अपने लिए ज़रूरी चीज़ों का निर्माण करते थे। किसान का पूरा परिवार एक ही ज़मीन पर खेती करता था और उससे होने वाली आय पर सभी का सम्मिलित अधिकार होता था। लोग नौकरी–पेशे में बहुत कम थे, ज्यादातर लोग पारिवारिक काम–धंधों में लगे हुए थे जो उन्हें परिवार की परंपरा से प्राप्त होता था। उदाहरण के लिए, लुहार लोहे का औज़ार बनाता था। उसे यह काम अपने दादा और पिता से विरासत में मिला होता था और यही व्यवसाय वह अपने बच्चों के लिए छोड़ जाता था। पूरा परिवार पुश्तैनी धंधे में लगता था, चाहे वे ज़मींदार हों, चाहे किसान; चाहे वे पुरोहित का काम करते हों, चाहे व्यापार करते हों। इसलिए लोगों को नौकरी या व्यवसाय के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था, न ही एक परिवार के विभिन्न सदस्यों की आय अलग–अलग होती थी। उनका सामूहिक श्रम ही सामूहिक संपत्ति को पैदा करता था इसलिए उस पर उन सबका अधिकार होता था।

14) संयुक्त परिवार की एक विशिष्टता यह भी थी कि वह पितृसत्तात्मक समाज की देन था। परिवार की सामूहिक संपत्ति पर पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं माना जाता था, उनका अधिकार उनकी ससुराल में माना जाता था। संपन्न एवं उच्च वर्ग के संयुक्त परिवारों में घर से बाहर के कार्यों में स्त्रियों की किसी तरह की भागीदारी नहीं होती थी। उन्हें जीवन–निर्वाह के लिए पूरी तरह पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन निम्न वर्ग एवं गरीब तबके की स्त्रियाँ घर के बाहर भी काम करती थीं, देहाती क्षेत्रों में यह स्थिति अब भी प्रायः बनी हुई है।

15) निश्चय ही संयुक्त परिवार में कई गुण थे तो कुछ अवगुण भी थे। कम से कम स्त्रियों के मामले में तो वह न्यायशील नहीं था। हाँ, यह अवश्य था कि संयुक्त परिवार में सभी को एक तरह की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त थी। परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई दुर्घटना हो जाती थी तो उसके बीवी–बच्चों को भूखा नहीं मरना पड़ता था।

लेकिन लोगों के वैयक्तिक गुणों के विकास के अवसर ऐसे परिवारों में बहुत सीमित थे। लोगों को अपनी ऐसी इच्छाएँ त्यागनी पड़ती थीं जो परिवार की परंपरा और रिवाज़ों के अनुकूल नहीं मानी जाती थीं। वहाँ परिवार का ढाँचा सर्वोपरि था, व्यक्ति का स्थान नहीं।

16) समय की करवट के साथ संयुक्त परिवार धीरे–धीरे टूटने लगा। एक नई समाज व्यवस्था ने इस संस्था के चले आ रहे पुराने रूप पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। मशीनों के आविष्कार ने पुरानी उत्पादन पद्धति को खारिज कर नई पद्धति विकसित की और इसके कारण पुरानी उत्पादन पद्धति धीरे–धीरे कम हो गई। जब आधुनिक संयंत्रों पर कम समय में और कम लागत पर कपड़ा बनने लगा तो हथकरघा उद्योग समाप्त होने लगा। इस प्रक्रिया में हथकरघे पर आश्रित संयुक्त परिवार बिखरने लगे। इन नई मशीनों से उत्पादन में वृद्धि हुई जिसके लिए बड़े–बड़े कारखाने स्थापित किए गए। और इस तरह औद्योगीकरण की शुरुआत हुई। एक–एक कारखाने में एक साथ हज़ारों मज़दूर काम करने लगे और इस तरह शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। औद्योगीकरण के कारण पुराने उद्योग–धंधे से अलग हुए लोग नए काम–धंधे की तलाश करने लगे। परिणाम यह हुआ कि लोग निजी धंधों की बजाय नौकरी और मज़दूरी में जाने लगे और इस तरह निजी आय का जन्म हुआ।

17) एक ही परिवार के तीन भाई तीन अलग–अलग कार्यों में लगे हो सकते हैं और नौकरी के लिए अलग–अलग शहरों में रह सकते हैं। अगर सभी भाई एक ही शहर में रहते हों तो भी उनका एक साथ रहना संभव नहीं था, क्योंकि काम के अनुसार आय होने के कारण उनकी आय भी अलग–अलग होने लगी थी। ऐसे में उन तीन भाइयों को केवल भावनात्मक स्तर पर एक ही परिवार बनाए रखना असंभव हो गया था। मान लीजिए, एक भाई की आय प्रति माह बीस हजार रुपये, दूसरे की पैंतीस हज़ार रुपये और तीसरे की पचास हज़ार रुपये है तो उनकी यह इच्छा स्वाभाविक है कि वे अपनी आय के अनुसार अपने बीवी–बच्चों का पालन–पोषण करें। यह एक महत्वपूर्ण कारण था जिसने संयुक्त परिवार में टूटन पैदा की और जैसे–जैसे समाज आधुनिक होता चला गया और पुराना सामाजिक ढाँचा टूटता चला गया, वैसे–वैसे संयुक्त परिवार भी एकल परिवार में बिखरता चला गया। यह सामाजिक विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसे स्वीकार करने में हिचक नहीं होनी चाहिए।

18) औद्योगीकरण के साथ आरंभ हुई शहरीकरण की प्रक्रिया ने कई ऐसे काम किए जो इससे पूर्व की किसी व्यवस्था ने इतने बड़े पैमाने पर नहीं किए थे। जैसे–जैसे तकनीकी विकास बढ़ता गया, उसे लोगों तक पहुँचाने और उसमें प्रशिक्षित करने के लिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जरूरत भी बढ़ती गई। इस तरह स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों का जाल फैलता चला गया। इस नई शिक्षा ने लोगों की चेतना को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि यह नई शिक्षा उन नए विचारों पर आधारित थी जो नई समाज व्यवस्था के साथ उत्पन्न हुए थे।

19) अब यह माना जाने लगा है कि प्रत्येक व्यक्ति समान है– चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, चाहे जिस धर्म को मानता हो, चाहे किसी जाति, संप्रदाय या नस्ल का हो, कोई भी भाषा बोलता हो उनमें धर्म, जाति, नस्ल, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव करना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। चाहे सामाजिक समता की बात हो, चाहे न्याय पाने का हक हो, चाहे राजनीतिक अधिकार हो, समता की भावना ही आज लोकतंत्र का आधार है। यह भी माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के पूरे अवसर मिलने चाहिए। जो सामाजिक प्रगति में बाधक न हो वहाँ तक उसे स्वतंत्रता

प्राप्त होनी चाहिए। यह भी कहा गया कि संपूर्ण मानवता एक है, इसलिए प्रत्येक इन्सान को दूसरे के प्रति बंधुत्व का भाव रखना चाहिए। किसी को हीन या छोटा नहीं समझना चाहिए। इस तरह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों ने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र की अवधारणा ने परिवार पर किस तरह का असर डाला।

20) लोगों में यह धारणा विकसित हुई कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के बीच स्वतंत्रता और समानता का संबंध हो। दूसरा असर यह हुआ कि अब स्त्रियाँ भी परिवार के जीवन निर्वाह में अपना योगदान देने के लिए सामाजिक कार्यों में सक्रिय हुईं और इस तरह पति–पत्नी ने घर और बाहर के कार्यों में समान भागीदारी की शुरूआत की। यह पति–पत्नी के संबंधों में मूलभूत परिवर्तन था क्योंकि अब वे दोनों सही अर्थों में सहचर और मित्र बने।

21) इन नए विचारों ने ऐसे सामाजिक आंदोलनों को जन्म दिया, जिसके कारण स्त्रियाँ कई कुप्रथाओं जैसे–बालविवाह, वैधव्य, सती–प्रथा, बहुविवाह आदि से मुक्त हो सकीं। पहले विवाह एक अटूट बंधन था और स्त्री को जीवन भर एक पुरुष से बँधा रहना पड़ता था चाहे वह अपने पति के साथ दुःखी और अंसतुष्ट ही क्यों न हों। लेकिन नई समाज व्यवस्था ने स्त्रियों को भी संबंध विच्छेद का अधिकार देकर उन्हें पराधीनता से मुक्त किया।

22) आप लोगों के मन में कई शंकाएँ उठ रही होंगी। जिन बड़े परिवर्तनों की चर्चा हमने ऊपर की है उनके बावजूद आपको ऐसी कई समस्याएँ नज़र आती होंगी जो हमारे घर–परिवारों में मौजूद हैं या जो गैर भारतीय समाजों में मौजूद हैं और जिनके बारे में हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। हम में से कोई यह भी मान सकता है कि तलाक के अधिकार ने परिवार नामक संस्था को खतरे में डाल दिया है। यह भी कहा जा सकता है कि आज व्यक्ति सिर्फ़ अपने बीबी–बच्चों को ही दायित्व मानता है। इस कारण बूढ़े और अक्षम माता–पिता को अकेलेपन और कटुता से भरा जीवन जीने को विवश होना पड़ता है। इनके अलावा और भी समस्याएँ हो सकती हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि परिवर्तन से गुज़रते हुए समाज को बाधाओं से जूझना ही पड़ता है। जब नई मान्यताएँ जन्म लेती हैं तो उनके साथ नई समस्याओं का भी जन्म होता है। हाँ, अगर हम मानते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व महान गुण हैं तो हमें परिवार में आए बदलाव को स्वीकार करना होगा और इस नए बदलाव से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण का रास्ता भी वर्तमान व्यवस्था के बीच से ही ढूँढना पड़ेगा।

6.4 निबंध–रचना

हम आशा करते हैं कि आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा। आप यह भी पहचान गए होंगे कि इस पाठ की संरचना निबंध के रूप में हुई है। प्रत्येक निबंध का कोई मूल कथ्य होता है। जिसे पूरे निबंध में लेखक विस्तार देता है। क्या आप बता सकते हैं कि इस पाठ का मूल कथ्य क्या है? आइए, हम आपकी सहायता के लिए मूल कथ्य को पहचानने के कुछ आधार–बिंदु प्रस्तुत करते हैं :

1) परिवार : एक सामाजिक इकाई

2) सामाजिक उन्नति में परिवार की भूमिका

3) भारतीय परिवारों के स्वरूप में आए विभिन्न परिवर्तन

4) संयुक्त परिवार से एकल परिवार बनने के कारण

5) एकल परिवार से उत्पन्न समस्याएँ

इस पाठ में उपर्युक्त आधार बिंदुओं का विकास हुआ है ? इसकी परीक्षा आप स्वयं कर सकते हैं।

किसी भी निबंध (या पाठ) के मूल कथ्य के आधार पर ही निबंध का शीर्षक दिया जाता है। जैसे इस पाठ का शीर्षक 'परिवार' दिया गया है। आप इसके आलावा स्वयं भी कोई शीर्षक बना सकते हैं।

निबंध के विचारों में तार्किक क्रमबद्धता होनी चाहिए। यह इसलिए ज़रूरी है ताकि पाठक निबंध पढ़ते समय लेखक के कथ्य को सही रूप में और स्पष्टता के साथ ग्रहण कर सकें, साथ ही लेखक की विचार प्रणाली को भी समझ सकें। उदाहरण के लिए आप इस पाठ के पैरा 1 और 2 को पढ़िए। इनको पढ़ने से क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं मिलती कि प्रस्तुत निबंध किस विषय पर है। अर्थात् किसी भी निबंध का आरंभ विषय के परिचय से होता है। इसे प्रस्तावना या विषय प्रवेश कहते हैं।

इसके बाद तीसरे और चौथे पैरा को पढ़िए। तीसरे पैरा का मूल कथ्य क्या है? हम यहाँ उस पैरा की दो पंक्तियाँ उद्धृत करते हैं।

सच्चाई यह है कि ..... अपने को तैयार करता है।

इसी तरह पैरा 4 की निम्न पंक्तियाँ देखिए।

परिवार के सदस्यों के ..... भावनाओं से संचालित थे।

इन दोनों पैरा को पढ़ने और उपर्युक्त पंक्तियों पर गौर करने के बाद आप आसानी से बता सकते हैं कि लेखक इनमें क्या कहना चाहता है। हाँ, आपका अनुमान सही है, लेखक कहना चाहता है कि 'परिवार में ही व्यक्ति समाज के प्रति अपने दायित्व का बोध करता है।'

क्या आप इस कथ्य पर इन दोनों पैरा का कोई उपयुक्त शीर्षक दे सकते हैं ?

आइए हम आपको एक उपयुक्त शीर्षक सुझाते हैं– परिवार में सामाजिकता की शिक्षा।

इस तरह प्रत्येक निबंध में लेखक (1) अपने विचारों को धीरे–धीरे क्रमद्ध रूप में विकसित करता है। (2) उसके विभिन्न पक्षों को समझाता है। (3) उनमें अंतःसंबंध बताता है और अंत में (4) अपने कथ्य को सार रूप में सूत्रबद्ध करता है।

निबंध के मूल कथ्य की विस्तृत विवेचना के बाद लेखक अंत में अपने पाठ को समेटता है। इसके लिए वह (1) पूरे पाठ का सार प्रस्तुत करता है या (2) किसी ऐसे विचार बिंदु पर वह पाठ का अंत करता है, जिससे विषय को पूर्णता प्राप्त हो या (3) मूल कथ्य से उत्पन्न किसी नए विचार बिंदु का संकेत करता है, जिसके आधार पर उस निबंध के नए पक्षों का संकेत मिलता हो।

आप इस पाठ के पैरा 22 को पढ़िए और बताइए कि इसमें पाठ का सार किस रूप में दिया गया है।

विचारों का विस्तार

आइए, अब हम एक नए बिंदु पर विचार करते हैं। पैरा 16 को ध्यान से पढ़िए। इस पैरा में संयुक्त परिवार के टूटने के कारणों को बताया गया है। देखें कि लेखक ने अपने विचारों

को किसी तरह विस्तार दिया है। पैरा 15 में संयुक्त परिवार की विशेषताओं का वर्णन किया गया है।

पैरा 16– पंक्तियाँ

- समस्या का उल्लेख (संयुक्त परिवार का टूटना)
- समस्या का कारण (नई सामाजिक व्यवस्था का दबाव)
- नई सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता का उल्लेख (पुरानी उत्पादन पद्धति की जगह नई उत्पादन पद्धति का आगमन)
- नई उत्पादन पद्धति की प्रमुख विशेषता (कम समय और कम लागत में उत्पादन)
- नई उत्पादन पद्धति का संयुक्त परिवार पर प्रभाव (पुरानी उत्पादन पद्धति पर आश्रित संयुक्त परिवारों का बिखरना)
- नई उत्पादन पद्धति से सामाजिक व्यवस्था में होने वाला परिवर्तन (औद्योगीकरण)
- औद्योगीकरण के प्रमुख प्रभाव (शहरीकरण और नए काम की तलाश)
- इससे सामाजिक जीवन में आई नई विशिष्टता (निजी आय का जन्म)

पैरा 17 में लेखक ने निजी आय के जन्म से संयुक्त परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव का विस्तृत परिचय दिया है ।

इस तरह हम उपर्युक्त पैरा 16 में पाते हैं कि :

- यह पैरा पिछले पैरा में व्यक्त विचारों को नया मोड़ देता है।
- इस पैरा में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
- प्रत्येक पंक्ति में व्यक्त किया गया विचार पूर्व की पंक्ति में व्यक्त विचारों में कुछ नया जोड़ता है।
- प्रत्येक पंक्ति में व्यक्त विचार तार्किक क्रमबद्धता से आगे बढ़ते हैं।
- पूरे पैरा में एक पूर्ण विचार श्रृंखला दिखाई देती है, जिसके अंत में एक नए वैचारिक बिंदु का संकेत किया गया है ।
- इसी नए विचार बिंदु का अगले (17 वें) पैरा में विस्तार है।

आप पैरा 16 के उपर्युक्त विवेचन से समझ गए होंगे कि किसी भी निबंध में किस तरह विचारों को विस्तार दिया जा सकता है। आप अन्य पैराग्राफ का उक्त बिंदुओं के आधार पर विवेचन कीजिए और बताइए कि क्या उनमें उपर्युक्त नियमों का पालन किया गया है।

6.5 सारांश

इस इकाई में आपने 'परिवार' पाठ के माध्यम से परिवार नामक सामाजिक विज्ञान विषय का अध्ययन किया है। यह इकाई मूलतः समाज विज्ञान में हिंदी भाषा के प्रयोग के विविध संदर्भों पर आधारित है। इकाई में आने वाले बहुत सारे शब्द 'प्रत्यय' के प्रयोग से निर्मित किए गए हैं। अब आप 'प्रत्यय' को परिभाषित करने के साथ–साथ 'त्व', 'ता', 'इक', 'य' और 'करण' प्रत्यय के सही उपयोग कर सकते हैं तथा इन प्रत्ययों के प्रयोगों से शब्द के अर्थ में आए परिवर्तन को भी बता सकते हैं। यह पाठ एक निबंध के रूप में लिखा गया है। हमने निबंध रचना के लिए अपेक्षित कुछ महत्वपूर्ण पक्षों की जानकारी आपको दी। अब आप यह जान चुके हैं कि निबंध का लेखन किस प्रकार किया जाता है। अतः आप अब निबंध रचना के दौरान किसी भाव या विचार को अपेक्षित विस्तार भी दे सकते हैं।

6.6 शब्दावली

2) आधारभूत : मूलभूत, बुनियादी, जो आधार में हो (आधार+भूत)

इकाई : यौगिक पदार्थ या ढाँचे के मूल अवयव जैसे परिवार समाज की इकाई है, दुकान व्यापार की इकाई है।

3) नागरिक : नगर का जो नगर में रहे (किंतु नागरिक शब्द राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक मूल निवासी सदस्य के लिए भी प्रयुक्त होता है)। (पर्याय) शहरी, शहर का रहने वाला।

4) संकीर्ण : तंग, संकुचित, छोटा। (विचारों के संकुचित होने के अर्थ में)

व्यक्तित्व : व्यक्ति की अपनी विशेषता, जिससे उसकी अलग पहचान बने।

सौहार्द : हृदय की सरलता, सद्भाव, मैत्री

वृहत्तर : और अधिक बड़ा (वृहत् + तर) समान रचना – अधिक/अधिकता

5) आवास : रहने का स्थान, घर (निवास– रहने का स्थान)

6) मंडी : किसी खास चीज की थोक बिक्री का बाज़ार (बाज़ार– जहाँ विभिन्न वस्तुओं की खरीद–फ़रोख्त होती है। हाट–गाँवों और कस्बों में सप्ताह में एक बार लगने वाला बाज़ार)

सामाजिक उत्पादन : समाज–संबंधी उत्पादन

7) बोध : ज्ञान, किसी चीज़ के बारे में जानना

9) दशक : दस वर्षों का जोड़ (शतक–सौ का जोड़)

शती (सदी, शताब्दी) – सौ वर्षों का जोड़

13) सामंती : किसी राज्य की वह शासन–व्यवस्था, जिसमें राज्य की भूमि बड़े–बड़े सामंतों, सरदारों या ज़मींदारों के जिम्में रहती थी और ये उसके बदले राजा को आर्थिक और सैनिक सहायता देते थे।

पुश्तैनी : पीढ़ी–दर–पीढ़ी (पुश्त–दर–पुश्त) पिछली पीढ़ी से विरासत के रूप में प्राप्त संपत्ति, व्यवसाय आदि का अधिकार।

सामूहिक श्रम : मिल–जुल कर किया गया कार्य

14) पितृसत्तात्मकः समाज की रचना की वह प्राप्ति या पद्धति जिसमें पिता या गृह–स्वामी की ही सत्ता सर्वोपरि मानी जाती है।

(मातृसत्तात्मक : जिसमें माता की सत्ता सर्वोच्च हो)

15) सर्वोपरि : सबसे ऊपर, सबसे पहले

16) औद्योगीकरण : अनेक कारखानों, उद्योगों आदि की स्थापना, विस्तार आदि द्वारा देश को उद्योग–प्रधान बनाना।

शहरीकरण : शहरों की स्थापना और विस्तार की प्रवृत्ति

17) जाति : वर्ण या वंश का भेद सूचित करने वाला वर्ग

नस्ल : जैविक (वर्ण, हड्डी आदि) और क्षेत्रीय आधार पर किसी जाति या जातियों का वर्गीकरण जैसे नीग्रो, मंगोली आदि नस्ल। इसी को 'संजाति' भी कहते हैं।

मानवता : मनुष्य के लिए उचित गुण या भाव

बंधुत्व : भाईचारा (पर्याय–भ्रातृत्व)

18) सहचर : साथ चलने वाला, साथी (इसी तरह आपने 'जलचर' आदि शब्द देखे) (सह = साथ)

19) संबंध–विच्छेद : संबंध का टूटना (तलाक के अर्थ में)

20) निराकरण : दूर हटाना, दूर करना, समाधान करना

* शब्दों के आरंभ में दी गई संख्या पाठ के पैरा की है।

6.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

कामता प्रसाद गुरु : संक्षिप्त हिंदी व्याकरण, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी।

प्रो. वी.रा. जगन्नाथन, छात्रकोश, ज.ने.पा, नई दिल्ली।

6.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1) i) गुरुत्व, गुरुता ii) मधुरता iii) शिवत्व
iv) मनुष्यत्व, मनुष्यता v) निजता, निजत्व vi) समता

2) i) समता, साम्य ii) निरंतरता, नैरंतर्य iii) धीरता, धैर्य
iv) स्वस्थता, स्वास्थ्य v) निकटता, नैकट्य

3) i) कारुण्य ii) महानता iii) सामाजिकता iv) साहित्य

4) i) दैनिक इ–ऐ v) वैज्ञानिक इ–ऐ
ii) भौगोलिक ऊ–औ vi) मौखिक उ–औ
iii) सामूहिक अ–आ vii) जैविक ई–ऐ
iv) वैयक्तिक इ–ऐ viii) नैसर्गिक इ–ऐ

5) i) कर्म ii) न्याय iii) प्रकृति
iv) पुराण v) शासन

6) i) सामाजीकरण ii) दृढ़ीकरण iii) मानवीकरण iv) स्थायीकरण

इकाई 7 भाषण शैली

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्‌देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 भाषण की शैलीगत विशेषताएँ

- 7.2.1 पुनरावृत्ति
- 7.2.2 वाक्यक्रम
- 7.2.3 उपवाक्य
- 7.2.4 संबोधित करना

7.3 संबोधनकारक

7.4 वाचन : भारत की जिम्मेदारी हम सब पर है

7.5 सारांश

7.6 शब्दावली

7.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

7.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.0 उद्‌देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- भाषण की शैलीगत विशेषताएँ बता सकेंगे;
- भाषण की भाषा और लिखित भाषा के अंतर को पहचान सकेंगे;
- संबोधनकारक को परिभाषित कर सकेंगे साथ ही उसका सही प्रयोग कर सकेंगे; और
- विषय से संबंधित शब्दावली का उचित प्रयोग सीख सकेंगे।

7.1 प्रस्तावना

इकाई 6 में आपने 'परिवार' शीर्षक निबंध पढ़ा और निबंध लेखन की आधारभूत विशेषताओं को जाना। आपने 'प्रत्ययों' के प्रयोग से विविध शब्दों के निर्माण के स्वरूप को भी समझा। इस इकाई में आप भाषण की शैलीगत विशेषताओं और उनसे जुड़े व्याकरण संबंधी विशिष्ट प्रयोगों का अध्ययन करेंगे। साथ ही आप संबोधन कारक के नियम जानेंगे और इसका प्रयोग करना सीखेंगे। भाषण की शैलीगत विशेषताओं को समझाने के लिए हम इस इकाई में पाठ के रूप में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का एक भाषण दे रहे हैं। यह 15 अगस्त, 1966 को प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से दिया गया उनका पहला भाषण था। चूँकि यह पाठ मूल रूप में 'भाषण' है इसलिए इसे अविकल रूप में दिया जा रहा है। ताकि आप भाषण के प्रवाह को उसकी पूर्णता में ग्रहण कर सकें। इसके साथ ही आप 'भाषण' के संदर्भ में हिंदी के प्रयोग की विशिष्टता को भी समझ सकेंगे। तो आइए पाठ के रूप में 'भाषण' का अध्ययन करने से पूर्व हम भाषण की शैलीगत विशेषताओं और संबोधनकारक का अध्ययन करते हैं। जिसे पढ़ने के उपरांत आपको पाठ के रूप में दिए गए भाषण को समझने में आसानी होगी।

7.2 भाषण की शैलीगत विशेषताएँ

इस पाठ में दिए गए भाषण को जब आप पढ़ेंगे तब इस संदर्भ में आप यह अनुभव करेंगे कि लेखन की भाषा और बोलचाल या भाषण की भाषा में फर्क होता है। भाषण अगर पहले से लिखा हुआ नहीं है तो वक्ता को बोलते हुए ही अपनी वाक्य रचना करनी होती है। इसलिए भाषण में लिखित गद्य की तरह लंबे, मिश्रित और जटिल वाक्य नहीं होते अपितु छोटे–छोटे वाक्य होते हैं जो कई उपवाक्यों से मिलकर बनते हैं। वक्ता अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए, बात पर बल देने के लिए और लोगों को प्रभावित करने के लिए कभी एक ही शब्द या वाक्य को कई रूपों में दोहराता है या वह पूरे मंतव्य को ऐसे छोटे–छोटे उपवाक्यों में बाँटकर बोलता है, जिससे बात पर अधिक बल पड़े। वक्ता सुनने वालों को अपनी बातों में शामिल करने के लिए उन्हें प्रत्यक्ष संबोधित करता है, श्रोताओं के अलग–अलग वर्गों का अलग–अलग जिक्र करता है, उनसे सीधे अपील करता है। यहाँ हम कुछ उदाहरणों द्वारा भाषण की शैलीगत विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। आपकी सुविधा के लिए ये उदाहरण पाठ में दिए गए भाषण से ही लिए गए हैं।

7.2.1 पुनरावृत्ति

भाषण में अपनी बात को स्पष्ट करने और उस पर बल देने के लिए वक्ता बातों की पुनरावृत्ति करता है। उदाहरण के लिए पाठ के रूप में इस इकाई में दिए जाने वाले भाषण के निम्नलिखित अंशों को देखिए :

क) आज का दिन, यह 15 अगस्त का दिन भारतवर्ष के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस दिन हमने एक नया पन्ना पलटा। उक्त वाक्य के रेखांकित वाक्यांशों में, 'आज का दिन', '15 अगस्त का दिन' और 'इस दिन' में कथन की पुनरावृत्ति है, जो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त हुई है, साथ ही इससे बात पर बल भी पड़ा है।

ख) आज भी यह उतना ही ज़रूरी है कि हमारे अंदर निडरता आए। हम गलतियों से न डरें, परिवर्तन से न डरें।

(उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित वाक्यांशों की पुनरावृत्ति अपनी बात पर बल देने के लिए है)।

ग) भाषण में पुनरावृत्ति के लिए वक्ता एक ही शब्द के कई पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भी करता है, जिससे कि बात पर बल पड़े।

प्रजातंत्र हर व्यक्ति को एक हक देता है, एक बड़ा हक, एक बड़ा अधिकार और उसको सफल बनाने के लिए कर्तव्य का भार भी आता है।

(इस वाक्य में हक और अधिकार पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग बल देने के लिए किया गया है)।

इस तरह पुनरावृत्ति के लिए वक्ता शब्द, वाक्यांश या वाक्य को दुहराता है, या बात का विस्तार करता है, पर्यायवाची शब्दों (हक, अधिकार) का प्रयोग करता है।

बोध प्रश्न

1) नीचे कुछ पुनरावृत्ति वाक्य दिए गए हैं। इन्हें पढ़कर बताइए कि कहाँ पुनरावृत्ति है।

i) इस समय हमारे बहादुर सिपाही, हमारी बहादुर सेना हमारी सीमा पर डटी खड़ी है।

.....

.....

ii) देश को बचाने की सीमा हर गाँव में है, हर कस्बे में है, हर शहर में है।

.....

.....

iii) आप पैदावार बढ़ाएँगे, उत्पाद बढ़ाएँगे तो आपकी स्थिति भी सुधरेगी और देश की स्थिति भी सुधरेगी।

.....

.....

iv) ये दबाव हैं बाहर के, दबाव है देश में गरीबी का, दबाव है आपस में फूट का।

.....

.....

2) नीचे कुछ पुनरावृत्ति वाक्य दिए गए हैं। इन्हें पढ़कर बताइए कि इनमें पुनरावृत्ति के कारण क्या हैं – (कथ्य की स्पष्टता, बात पर बल देने के लिए, अपील)।

i) आज भी हम उनकी तरफ देखते हैं कि हमारी सभ्यता, परंपरा की ओर वे ध्यान दें, उसको ऊँचा रखें। आज भी उनकी तरफ हम देखते हैं – वे हमको शक्ति दें, अपनी सहनशक्ति से हमको मजबूत करें। आज भी हम उनकी तरफ देखते हैं, बहुत से गुणों के लिए जिसके लिए भारतीय महिला प्रसिद्ध रही है। [ ]

ii) इसलिए जैसे किसान भाइयों की मदद चाहिए, जैसे हमें अपने मज़दूर भाइयों की मदद चाहिए, उसी तरह से जो और हैं चाहे वह कारखानेदार हों, व्यापारी हों, चाहे अध्यापक हों, या जो भी काम करते हों, आपकी भी सारी ज़िम्मेदारी देश के लिए है। [ ]

iii) हमारे देश में कुछ ऐसे तबके हैं जो सदियों से पिछड़े रहे हैं, हमारे हरिजन भाई और बहन, हमारे आदिवासी भाई और बहन, हमारे पहाड़ के लोग, हमारे अल्पसंख्यक लोग, उनकी तरफ हमारा विशेष ध्यान हैं। [ ]

7.2.2 वाक्य–क्रम

भाषण की भाषा लिखित भाषा की तरह अधिक सुगठित नहीं होती। उसमें वक्ता अपनी बातों को बोलते हुए क्रम देता है इसलिए भाषण की भाषा कुछ अव्यवस्थित होती है। उसमें शब्दों और पदों का क्रम भी लिखित भाषा से प्रायः अलग होता है।

उदाहरण : हमारे जो प्रश्न हैं, वे बहुत बड़े हैं, लेकिन ऐसे नहीं हैं कि जो हिम्मत से काबू नहीं कर सकें उन पर।

हिंदी के वाक्यों में प्रायः पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया रखते हैं। जैसे 'राम स्कूल जाता है' 'यहाँ 'राम' कर्ता, 'स्कूल' कर्म और 'जाता है' क्रिया है।

उदाहरण के लिए दिया गया वाक्य हिंदी व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है किंतु बोलते हुए भाषा का इस रूप में प्रयोग दोष नहीं माना जाता बल्कि प्रायः इस तरह की वाक्य रचना बात के प्रभाव को बढ़ाती है। उदाहरण में दिए गए वाक्य के अंतिम उपवाक्य में 'उन पर' जो सर्वनाम है क्रिया के बाद प्रयुक्त हुआ है। सही वाक्य क्रम होगा –हमारे जो प्रश्न हैं, वे बहुत बड़े हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि उन पर हिम्मत से काबू नहीं किया/पाया जा सके।

उदाहरण : आज बनाने का दिन है भारत माता के नए जीवन को, न कि तोड़ने का दिन।

इस वाक्य में क्रिया, 'बनाने' कर्म 'भारत माता के नए जीवन' से पहले प्रयुक्त हुई है। इस वाक्य का

सही क्रम होगा – आज भारत माता के नए जीवन को बनाने का दिन है न कि तोड़ने का।

बोध प्रश्न

3) नीचे के वाक्यों को सही वाक्य–क्रम दीजिए।

i) देश की सुरक्षा दूसरे देशों से, बाहर की शक्तियों से, अंदर की कमज़ोरियों से जो करनी है।

.....

.....

.....

ii) मैं जानती हूँ कि यह भावना हमारे अंदर है, अगर इसको दबाया नहीं गया, अगर इसको उलटे रास्ते पर जाने न दिया।

.....

.....

.....

iii) लेकिन हमारे बच्चे, उन सब दबावों को हटा सकते हैं अपने रास्ते से और आगे बढ़ सकते हैं, समाजवाद के रास्ते पर।

.....

.....

.....

iv) परिवार एक संस्था है सर्वव्यापी जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, व्यक्ति और समाज के विकास में।

.....

.....

.....

.....

v) बहुत से लोग उस धन को जो नहीं होता उनकी कमाई का खदीरते हैं ऐसी चीज़ें जिनकी होती है जरूरत उन्हें नहीं ताकि कर सकें प्रभावित उन्हें जिन्हें करते नहीं हैं वे पसंद।

.....

.....

.....

.....

7.2.3 उपवाक्य

भाषण में वाक्य–रचना इस तरह की जाती है, जिससे कथ्य स्पष्ट होता चला जाए और बात पर बल भी पूरा पड़े ताकि सुनने वाले प्रभावित हों। इसके लिए वक्ता उपवाक्यों का अधिक प्रयोग करता है। शब्दों के ऐसे समूह को जिससे पूरा विचार प्रकट होता है, वाक्य कहते हैं। जैसे 'प्रजातंत्र हर व्यक्ति को एक हक देता है'। यह वाक्य है क्योंकि इसमें शब्दों का ऐसा समूह है जिससे पूरा विचार प्रकट हुआ है। लेकिन जब कोई पूरा विचार एक से अधिक वाक्यों में प्रकट होता है और उन्हें एक ही वाक्य में प्रस्तुत किया जाता है तब उनमें से प्रत्येक को उपवाक्य कहते हैं जैसे 'यह ठीक है कि यह जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन उतनी ही जनता की भी है।' इस वाक्य में दो उपवाक्य हैं– पहला 'यह ठीक है कि यह ज़िम्मेदारी सरकार की है'' दूसरा– (लेकिन) 'उतनी ही जनता की भी है।'

यहाँ यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बोलने और लिखने, दोनों तरह की वाक्य रचनाओं में उपवाक्यों का प्रयोग होता है किंतु बोलने की भाषा में उपवाक्यों का प्रयोग बहुत अधिक होता है।

भाषण में ये उपवाक्य पूरी वाक्य रचना में बिखरे होते हैं और अगर हम इन्हें लिखने की भाषा में बदलें तो भाषण में प्रयुक्त वाक्य रचना की तुलना में लिखा हुआ वाक्य छोटा और गठा हुआ होगा।

उदाहरण : भाषण का वाक्य– 'हमारे कलाकार हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, उनकी ज़िम्मेदारी दूसरी तरह की है और वह ज़िम्मेदारी है कि नई पीढ़ी को, सारे देश को मार्गदर्शन दें, सीधे रास्ते पर चलना सिखाएँ। (31 शब्द)

लिखने की भाषा में वाक्य रचना : हमारे कलाकारों, लेखकों और विचारकों की जिम्मेदारी दूसरी तरह की है। वे नयी पीढ़ी और सारे देश को मार्गदर्शन दें और सीधे रास्ते पर चलना सिखाएँ। (26 शब्द)

उदाहरण : भाषण का वाक्य– 'अपने घर में, अपने गाँव में, अपनी दुकान में, किस तरह से स्वदेशी को बढ़ाएँ, अपनी भावना में कैसे स्वदेशी लाएँ यह चीज़ है, ये बड़े उसूल हैं, जिन पर हमको चलना है।' (33 शब्द)

लिखित वाक्य– 'अपने घर, गाँव, दुकान में किस तरह स्वदेशी की भावना को बढ़ाएँ, यही वह उसूल है जिन पर हमको चलना है।' (21 शब्द)

बोध प्रश्न

4) नीचे लिखे वाक्यों को लिखने की भाषा में बदलिए।

   i) हम आज़ादी की लड़ाई को भूल गए हैं, भूल गए हैं शहीदों के बलिदान को, उनके त्याग को और इसीलिए आज हम भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं।

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

ii) आज हमें सोचना होगा कि हमारी मंजिल क्या है, हमें कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है। जब तक हम अपना लक्ष्य तय नहीं करेंगे, अपनी मंजिल नहीं जानेंगे, यह नहीं सोचेंगे कि हमें कहाँ पहुँचना है तो हम ऐसे ही अँधेरे में हाथ–पांव मारते रहेंगे।

.....

.....

.....

iii) आइए, आप हम सब मिलकर एक नई राह बनाएँ। सोचें, कि वह कौन–सा रास्ता है जिस पर चलकर हम अपनी समस्याओं, अपनी कठिनाइयों, अपनी तकलीफों का हल ढूँढ सकें।

.....

.....

.....

7.2.4 संबोधित करना

भाषण में वक्ता अपने श्रोताओं को सीधे संबोधित करता है। इसलिए उसकी भाषा संबोधन की भाषा होती है। जैसे वाक्य कुछ इस तरह से आरंभ होते हैं – 'आप जानते हैं कि', 'यहाँ पर खड़े होकर' ..... 'हमारे किसान भाई' ..... 'मजदूर भाइयो' .... 'मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ ....' आदि। वक्ता कई बार अपने श्रोताओं को अलग–अलग वर्गों में बाँटकर उनसे संबंधित बिंदुओं पर अपने भाषण को केंद्रित करता है। उदाहरण के लिए पाठ में दिए जाने वाले भाषण में इंदिरा गांधी किसानों को संबोधित करते हुए अपनी बात इस रूप में आरंभ करती हैं– 'हमारे किसान भाई, आप हैं देश की बुनियाद, आपकी जनसंख्या सबसे अधिक है .....।' गद्य लिखते हुए हम इस तरह का संबोधन प्रयुक्त नहीं करते। इस तरह के संबोधन से जहाँ वक्ता श्रोताओं से सीधे अपने को जोड़ता है वहीं उसके वक्तव्य में आत्मीयता और अपील का भाव भी आता है।

7.3 संबोधन कारक

हम एक लड़के को बुलाने के लिए कहते हैं। 'ए! लड़के!' सभा में कई लोगों को संबोधित करने के लिए कहते हैं 'भाइयो ! बहनो !' इस तरह बुलाने के शब्दों को ही व्याकरण में संबोधन कारक कहते हैं। कई लोग 'भाइयों! बहनों!' बोलते हैं जो गलत है। अनुस्वार का प्रयोग यहाँ नहीं होता। निम्नलिखित वाक्यों में अंतर देखिए–

मैंने अपने भाइयों को बुलाया

भाइयो! आप लोगों से मेरी अपील है .....

संबोधन कारक की रचना को हम निम्न प्रकार से देखेंगे।

	एक वचन	बहुवचन
पुल्लिंग	बालक!	बालको!
	लड़के!	लड़को!
	भाई!	भाइयो!

स्त्रीलिंग	लड़की!	लड़कियो!
	बहन!	बहनो!
	माता!	माताओ!
	बहू!	बहुओ!

यहाँ हमने हिंदी में सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले संबोधन के उदाहरण देखे। संस्कृत भाषा में संबोधन कारक के कुछ अन्य रूप भी मिलते हैं। इनका बोलचाल में प्रचलन नहीं हैं लेकिन साहित्य का अध्ययन करने की प्रक्रिया में आपको ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलेंगे। हम आगे मूल शब्द के साथ संबोधन कारक के कुछ उदाहरण दे रहे हैं।

मूल शब्द	संबोधन	मूल शब्द	संबोधन
प्रभु	प्रभो!	देवी	देवि!
राजन्	राजन्!	आर्या	आर्ये!
आर्य	आर्य!	सीता	सीते!

बोध प्रश्न

5) निम्नलिखित शब्दों के दोनों वचनों के संबोधन कारक रूप लिखिए।

मूल शब्द	एक वचन	बहुवचन
1) दोस्त		
2) कवि		
3) छात्र		
4) बालिका		
5) खिलाड़ी		
6) रिक्शा वाला		

भाषण की शैलीगत विशेषताएँ और संबोधन कारक का परिचय प्राप्त करने के उपरान्त आइए, अब हम पाठ का वाचन करते हैं।

7.4 वाचन : भारत की जिम्मेदारी हम सब पर है

1) इस ऐतिहासक दिन पर, इस ऐतिहासक स्थान पर मैं अपने देशवासियों का अभिवादन करती हूँ। 19 साल हुए भारतवर्ष ने एक नया जीवन लिया। इतिहास के कुछ ऐसे क्षण होते हैं, जब इसका हर एक देशवासी के जीवन पर गहरा असर पड़ता है। वैसे आज का दिन, यह 15 अगस्त का दिन, भारतवर्ष के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस दिन हमने एक नया पन्ना पलटा, एक नए जीवन का आरंभ हुआ। 19 साल हुए इसी जगह पर हमारे पहले प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने इस तिरंगे को फहराया, आजादी की ज्योति जलायी, आजाद भारत की बुनियाद डाली।

2) यहाँ पर खड़े होकर हमें याद आती है उन नेताओं की और उन बेशुमार लोगों की, जो आजादी के आंदोलन में, हिन्दुस्तान के कोने–कोने से, सब कुछ भुला कर कूद पड़े, जान त्यागी, परिवार त्यागा, सब कुछ दे दिया। कितने बड़े इन्सान थे और कितना बड़ा

था उनका त्याग। आज उनकी याद आती है। उनके त्याग, उनके साहस और हिम्मत के कारण आज हम आज़ाद हैं और हमारे ऊपर यह भारी जिम्मेदारी है कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर हम चलें।

3) यहाँ खड़े–खड़े भारत की लंबी कहानी याद आती है। पुराना इतिहास याद आता है। इतने वर्ष पहले भारत ने दुनिया को एक नेतृत्व दिया, चाहे विज्ञान हो, चाहे दर्शन हो, चाहे किसी भी दिशा में भारत बहुत आगे था, भारत बहुत महान था। आज यह सब बातें हमारे सामने हैं और हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि कोई काम ऐसा न करें कि लंबे इतिहास की इस शानदार कहानी पर किसी तरह का धब्बा पड़े।

4) आज सबसे ज्यादा याद आती है हमारे राष्ट्रपिता की, महात्मा गांधी की। आपको मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू ने उनको एक दफा जादूगर कहा था और जवाहरलाल नेहरू विज्ञान को मानते थे, नई दुनिया को मानते थे। तब भी वह महसूस करते थे कि गांधी जी के संदेश में कितना बल है और हमारे समय के लिए वह संदेश, वह रास्ता आज कितना उपयोगी है। वह संदेश क्या था। तीन छोटे–से शब्द अहिंसा, सत्य और स्वदेशी। मैं चाहती हूँ कि इसको हम आज का भी संदेश मानें।

5) अहिंसा मायने क्या। शांति, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की विचारधारा को आदर देना, बाहर के देश जो दूसरी विचारधारा के भी हैं, उनका भी आदर करना, उनसे भी दोस्ती करना, अपने विधान के अनुसार रहना, यह सब बातें इसी छोटे से शब्द में आती है।

6) दूसरा सत्य कि हम जीवन कैसे साफ रखें। कैसे हम हर एक काम रीति से करें कि देश को उसका लाभ हो। हमारे जीवन में झूठ न आए, दंभ न आए। कोई ऐसी बात न हो जिससे भारत माता को धब्बा लगे। सत्य में एक बात और है– सत्य में निडरता भी शामिल है। आजादी के आंदोलन के समय यह जितना आवश्यक था, आज भी यह उतना ही ज़रूरी है कि हमारे अंदर निडरता आए। हम गलतियों से न डरें, परिवर्तन से न डरें। हम हमेशा नया रास्ता लेने को तैयार रहें, नए विचार लेने को तैयार रहें। देश की समस्याओं को समझें, क्योंकि उनको समझ कर ही हम सही रास्ता ढूँढ सकते हैं और उस रास्ते पर चल सकते हैं। यह एक ऐसा उसूल है जो हमें एक सही रास्ता दिखाता है।

7) तीसरा स्वदेशी– आप सब जानते हैं कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति आज क्या है। आपको मालूम है कि उसको हम तभी सुधार सकते हैं। अगर हम स्वदेशी का उपयोग करें। स्वदेशी का मतलब यह नहीं कि हम बाहर का माल न खरीदें, बल्कि उसके यह भी मायने हैं कि हम बचत करें, जो भी साधन हैं, जो भी तरीके हैं, और अगर कोई ऐसा तरीका है जिसके इस्तेमाल करने में विदेशी माल की जरूरत है तो हमारे नौजवानों को उसके लिए नया तरीका ढूँढना चाहिए, नया रास्ता ढूँढना चाहिए। यह ठीक है कि जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन उतनी ही जनता की भी है। अपने घर में, अपने गाँव में, अपनी दुकान में, किस तरह से स्वदेशी को बढ़ाएँ, अपनी भावना में कैसे स्वदेशी लाएँ यह चीज है, ये बड़े उसूल हैं जिन पर हमको चलना है।

8) हमने समाजवाद का रास्ता लिया, इसलिए कि इस देश की गरीबी को और किसी तरह से दूर नहीं किया जा सकता और हमारे समाजवाद में प्रजातंत्र का एक बड़ा हिस्सा है बल्कि वह उसकी बुनियाद है। प्रजातंत्र हर एक व्यक्ति को एक हक देता है, एक बड़ा हक, एक बड़ा अधिकार और उसको सफल बनाने के लिए कर्तव्य का भार भी आता है। हमारे बहुत से कार्यक्रम हैं, लेकिन जो एक भारी प्रश्न है, वह आज गरीबी

का प्रश्न है। हम दृढ़ता से चलकर उसका सामना कर सकते हैं और मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इसमें हमारा साथ दें।

9) हमारे किसान भाई आप हैं देश की बुनियाद, आपकी जनसंख्या सबसे अधिक है। आप हैं हमारे अन्नदाता। हमारा कार्यक्रम चले या न चले, यह आप पर निर्भर है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप नए तरीकों को, नए रास्तों को अपनाएँ और चाहे उत्पादन बढ़ाने का काम हो चाहे गाँव के ग्रामीण जीवन को सुधारने का सवाल हो उसमें सहयोग दें।

10) मजदूर भाइयो, आप का काम कुछ कम नहीं है और आपकी ज़िम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। चाहे देश की उन्नति का काम हो, आपके कारखानों की पैदावार पर वह निर्भर है। आप पैदावार बढ़ाएंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे तो आपकी स्थिति भी सुधरेगी और देश की स्थिति भी सुधरेगी और हमारे कार्यक्रम और आगे बढ़ सकेंगे।

11) इस समय हमारे बहादुर सिपाही, हमारी बहादुर सेना हमारी सीमा पर डटी खड़ी है। हमारे दिल उनके साथ हैं। लेकिन हम समझते हैं कि देश की सीमा खाली हिमालय पर नहीं है। देश की सीमा, सीमा पर ही नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा की सीमा, देश को बचाने की सीमा हर गाँव में है, हर कस्बे में है, हर शहर में है। इसलिए जैसे किसान भाइयो की मदद चाहिए, जैसे हमें अपने मजदूर भाइयो की मदद चाहिए, उसी तरह से जो और हैं, चाहे वह कारखानेदार हों, व्यापारी हों, चाहे अध्यापक हों, या जो भी काम करते हों, उनकी भी भारी जिम्मेदारी देश के लिए है। वह अपने फ़र्ज को अदा करें, राष्ट्र–जीवन में सच्चाई लाएं, सत्यता लाएं, एकता लाएं, इस तरह से हमारे दूसरे भाई भी हैं। हमारे कलाकार हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, उनकी जिम्मेदारी दूसरे तरह की है और वह जिम्मेदारी है कि नई पीढ़ी को, सारे देश को मार्गदर्शन दें, सीधे रास्ते पर चलना सिखाएँ, अपना मन ऐसा खुला रखें कि बाहर के विचार आ सकें और बाहर भी हमारे जा सकें यह भारी जिम्मेदारी उनकी आज है।

12) आज समय नहीं है कि हम रुक जाएँ, बल्कि आज हमें आगे बढ़ना है। हमारे देश के कुछ ऐसे तबके हैं जो सदियों से पिछड़े रहे हैं, हमारे हरिजन भाई और बहन, हमारे आदिवासी भाई और बहन, हमारे पहाड़ के लोग, हमारे अल्पसंख्यक लोग, उनकी तरफ हमारा विशेष ध्यान है। उनके लिए कार्यक्रम बने हैं, लेकिन हमें अच्छी तरह से मालूम है कि कितना ज्यादा और करना है। कितनी उनकी तकलीफें हैं, कितनी उनकी परेशानी हैं, खास तौर पर इस सूखे के साल में उनको जो तकलीफें हुईं वह जरूर हुई। हम यह जानते हैं कि जब तक हम इनको ऊपर नहीं उठाएँगे, तब तक हम नहीं उठ सकते। जब तक वे आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक देश भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो उनको उठाना जरूरी है। आपसे भी हमारी विनती है कि हम आपकी सहायता करें और हमारी आप सहायता कीजिए।

13) फिर हमारी प्यारी बहनें हैं, जो हरेक तबके की हैं, हरेक काम में हैं और जिनके ऊपर काम का बोझ है और उसके ऊपर है घर चलाने का बोझ, नई पीढ़ी को बढ़ाने का बोझ, महंगाई का सामना करने का बोझ, कमी का सामना करने का बोझ, देश की आधी जनता वे हैं। सदियों से उन्होंने इस देश को शक्ति दी, सदियों से उन्होंने इस देश की सभ्यता को ऊँचा रखा। आज भी हम उनकी तरफ देखते हैं कि हमारी सभ्यता, परंपरा की ओर वे ध्यान दें, अपनी सहनशक्ति से हमें मजबूत करें। आज भी हम उनकी तरफ देखते हैं, बहुत से गुणों के लिए जिसके लिए भारतीय महिला प्रसिद्ध रही हैं।

14) हमारी आजादी के आन्दोलन में बहुत से लोग थे उनमें से बहुत से आज हमारे बीच नहीं हैं, उन सबको हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं। बहुत से हैं, जो बूढ़े हो गए हैं और जिनका तजुर्बा है, जो हमारी सहायता कर सकते है। अब एक नई पीढ़ी हमारे सामने है। उसने आजादी का आंदोलन नहीं देखा, उसने नहीं पहचाना कि हमारे दिलों में क्या आग थी, हमारे मन में क्या प्यास थी, हमारी आत्मा की क्या माँग थी। लेकिन चाहे हम बूढ़े हों, चाहे छोटे हों, चाहे हमें आजादी के पहले दिन याद हों, चाहे न मालूम हों, आज के भारत की जिम्मेदारी हम सब पर है। आज हम चाहें, न चाहें आज के भारत को चलाने का काम हरेक नागरिक पर है– छोटे बच्चों पर भी है और बड़ों पर भी है और अगर हम इस काम को मिलकर एकतापूर्वक अपनी पूरी शक्ति लगाकर करें, तो हम निश्चय ही इस काम को पूरा कर सकते हैं।

15) हमारे जो प्रश्न हैं, वे बहुत बड़े हैं, लेकिन ऐसे नहीं हैं कि जो हिम्मत से काबू नहीं कर सकें उन पर। वह हिम्मत भारत में है और आज उसका हमें उपयोग करना है। अगर सब लोग इस बड़े काम को मिलकर उठायेंगे तो मैं मानती हूँ कि हमारे ऊपर जो दबाव हैं, वे खत्म हो जाएँगे। ये दबाव हैं बाहर के, दबाव है देश की गरीबी का, दबाव है आपस में फूट का और बहुत से ऐसे दबाव और कठिनाइयाँ हैं। लेकिन हमारे बच्चे उन सब दबावों को हटा सकते हैं, अपने रास्ते से और आगे बढ़ सकते हैं, समाजवाद के रास्ते पर।

16) एक लड़ाई हमारी सीमा पर है लेकिन दूसरी लड़ाई इतने ही महत्व की हमारे देश में है। वह गरीबी से लड़ाई और पिछड़ेपन से लड़ाई है। वह लड़ाई हम कैसे लड़े, जब तक नए विचारों को न अपनाएँ, जब तक हम अपने बीच से अंधविश्वासों को मिटा न दें और जब तक हम निश्चय न कर लें कि जो हमें करना है, देश को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे कितने त्याग की जरूरत हो, कितनी कठिनाई हो, उसको करने के लिए हम तैयार हैं और हम में से हरेक उसकी जिम्मेदारी लेगा। यह जिम्मेदारी हरेक व्यक्ति की है और अब ऐसा समय आ गया है कि उस जिम्मेदारी को हम छोड़ नहीं सकते। हम देश के जीवन में दर्शक बनकर नहीं रह सकते, हम उसके सिपाही हैं।

17) हमारे नौजवान हैं, हमारे विद्यार्थी हैं जो लड़ाई के समय अपना जीवन देने को तैयार हो गए थे, खून से सबक लिखने को तैयार थे। मैं कैसे मानूँ कि आज वह भारतमाता की दुःख भरी पुकार नहीं सुनेंगे। आज जो भारतमाता की कठिनाइयाँ हैं, उनको दूर करने को हम तैयार नहीं होंगे। आज बनाने का दिन है भारतमाता के नए जीवन को, न कि तोड़ने का दिन।

18) यहाँ हम भारत की राजधानी में एक ऐतिहासिक स्थान पर मौजूद हैं। लेकिन हमारे साथ आज बहुत से लोग हैं, खाली दिल्ली शहर के नहीं, बल्कि भारत के शहरों और गाँवों के, हमारी तरफ सबका ध्यान जा रहा है। भारत का बड़ा इतिहास है और आगे भी भारत का उज्ज्वल भविष्य है। हम उस भविष्य को कैसे ऊँचा बनाएँ, हम अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को, अपने आदर्शों को सफल रख सकेंगे या नहीं, इसका जवाब हर नागरिक अपने दिल से पूछे। अगर उसका दिल कहता है कि वह यह काम कर सकता है, तो निश्चित ही हम कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके दिल में शंका है, कोई झिझक है, तो यह काम हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी आज आपसे प्रार्थना है कि इस शुभ दिन पर, इस शुभ अवसर पर, हम यह दृढ़ निश्चय करें कि इन चीजों का हम सामना एकता से, अपनी पूरी शक्ति से करेंगे और जिस रास्ते पर हमको भारत को लाना है, देश की सुरक्षा दूसरे देशों से, बाहरी शक्तियों से, अंदर

की कमजोरियों से जो करनी है उसका हम जोरों से सामना करें। यह कोई आसान काम नहीं है और न यह हम कभी समझते थे कि यह आसान काम है। हमारी जो कमियाँ हैं वह हो सकता है कि कुछ गलतियों से हुई हों, हो सकता है काम और तेजी से हो सके और अच्छा हो सके लेकिन साथ–साथ हमको यह भी मानना है कि हमारी बहुत सी कठिनाइयाँ हैं वह हमारी कामयाबी के कारण हैं, हम आगे बढ़े ही इसलिए हैं। अगर हम रुके रहते, खड़े रहते तो शायद ये कठिनाइयाँ नहीं बढ़ती। लेकिन दोनों रास्तों को देखकर, आँख खोलकर हमने यह आगे बढ़ने का रास्ता चुना, हमने कठिनाइयों का रास्ता चुना।

19) आज हम प्रण लेंगे कि हमारी आजादी के जो सिपाही थे और जो इस नई लड़ाई में हैं वे सब सिपाही हैं और तब हमारे अन्दर जो एक दीवानापन था, उस दीवानेपन को आज हम फिर अपने अंदर लाएँ। आज वह क्रांति पैदा करें, जो हमें बैठने न दे, जो सदा हमारे कान, दिल और मन में कहे कि उठ चलो भारतमाता इंतजार कर रही है, भारतमाता तुम्हारी माँग कर रही है। इस क्रांति की आज जरूरत है। मैं जानती हूँ कि यह भावना हमारे अंदर है, अगर इसको दबाया नहीं गया, अगर इसको उल्टे रास्ते पर न जाने दिया गया। आज हम उस क्रांति को उलटे रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे देश नष्ट होगा, उसके साथ हम नष्ट होंगे और हमारे वे वीर सपूत, जिनको हम याद कर रहे थे, जिन्होंने त्याग किया था, वे सोचेंगे कि उनका त्याग बेकार गया। आज हम फिर से उनकी तरफ देखें और इस प्यारे तिरंगे की आन और मान को सदा ऊँचा रखें।

20) बाहर जो हमारे मित्र देश हैं, उनकी तरफ हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। और खास तौर से वह जो साम्राज्यवाद में फँसे हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कि हमारा साथ उनके संग रहेगा। जहाँ भी अन्याय और लड़ाई है, वहाँ हम लोगों के साथ हैं और सदा रहेंगे। हम चाहते हैं कि दूसरे देशों में जहाँ के लोग गरीब हैं, जहाँ दबे हुए हैं, जहाँ लोग अत्याचारों से लड़ रहे हैं, उनको भी आजादी की ताजी और जानदार हवा मिले।

21) आपकी तरफ से और हमारे जो पुराने नेता थे, उनके नाम से भारत की तरफ से आज मैं यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि हम इस भारी काम में चाहे देश के अंदर, चाहे देश के बाहर, अत्याचार से लड़ने के काम में, अन्याय से लड़ने के काम में और अपने देश को ऊपर उठाने के काम में मिलकर सेना में जैसा अनुशासन होता है वह अनुशासन रख कर गांधी जी के, पंडित जी के, अपने बड़े–बड़े नेताओं के रास्ते पर हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही महीनों में और थोड़े ही सालों में इस भारत को दिखाएँगे कि हम नया जीवन बना सकते हैं।

22) अब मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ मिलकर आप वह पुराना नारा लगाएँ, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमको दिया था। यह नारा देश की शक्ति का नारा है। मैं चाहती हूँ कि आप, सब मिलकर मेरे साथ इस नारे को तीन बार बोलें और याद रखें कि यह आवाज एक छोटी आवाज नहीं है, एक माहन देश की आवाज है, और महान देश की आवाज को कोने–कोने में, दूर–दूर के पहाड़ों तक पहुँचाना चाहिए। उनको प्रेरणा देनी चाहिए और उनकी हिम्मत और उत्साह बढ़ाना चाहिए जो पुराना उत्साह था, आज उसको हमें फिर से जीवित करना है।

जय हिंद।

7.5 सारांश

इस पाठ में हिंदी भाषा के विविध प्रयोगों के संदर्भ में आपने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के भाषण का अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त हमने आपको भाषण शैली की विशेषताएँ बताई हैं और भाषण की भाषा तथा लिखित भाषा के अंतर को भी स्पष्ट किया है। साथ ही साथ आपने संबोधन कारक का प्रयोग करना सीखा है।

इकाई को पढ़ने के बाद अब आप :

- भाषण की शैलीगत विशिष्टताएँ बता सकते हैं;
- भाषण की भाषा और लिखित भाषा में भेद कर सकते हैं; और
- संबोधन कारक का सही प्रयोग कर सकते हैं।

7.6 शब्दावली

नोट : ध्यान दें कि बायीं तरफ की संख्या भाषण की पैरा संख्या है।

3) दर्शन : ज्ञान की वह शाखा जिसमें ईश्वर, आत्मा, जीव, पदार्थ, मृत्यु आदि प्रश्नों पर विचार किया जाता है।

4) अहिंसा : हिंसा का निषेध – जैन और बौद्ध धर्मों तथा गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत को पेश किया था जिसमें दूसरे प्राणियों की हत्या का निषेध तो था ही, किसी को मन, वचन और कर्म से सताना भी हिंसा माना जाता है।

स्वदेशी : अपने देश की – स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वदेश की बनी वस्तुओं के प्रयोग पर जोर दिया गया था और इसे स्वदेशी का आंदोलन कहते थे।

5) विचारधारा : विचारों का वह व्यवस्थित रूप जिसमें विचारों की एक निश्चित प्रणाली बनती है। जैसे–समाजवाद, पूँजीवाद, फासीवाद, साम्यवाद आदि।

विधान : कानून, नियम, कायदे।

6) उसूल : आदर्श।

8) समाजवाद : जब कोई राष्ट्र अपने यहाँ विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदायों में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमताओं को कम करके समता लाने की कोशिश करता है तो उसके इस प्रयत्न को समाजवाद कहा जाता है।

प्रजातंत्र : लोकतंत्र : एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली जिसमें सत्ता जनता के हाथ में पहुँचती है, जो एक निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनकर उनके माध्यम से शासन करती है।

9) ग्रामीण : गाँव का, (नगरीय–नगर का)

12) अल्पसंख्यक : जो संख्या में कम हो।

अल्प = कम, बहु = ज्यादा।

13) श्रद्धांजलि : श्रद्धा अर्पित करना (श्रद्धा + अंजलि)

19) साम्राज्यवाद : अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लाभ के लिए किसी राष्ट्र द्वारा अपनी सीमाओं को विस्तार देने के प्रयास की प्रवृत्ति साम्राज्यवाद है। यह ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए साम्राज्यवादी देश उस राष्ट्र को सीधे अपने अधीन करे।

7.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

श्रीमती इंदिरा गांधी : चुनौती भरे वर्ष, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।

7.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1) i) हमारे बहादुर, हमारी बहादुर, हमारी सीमा
   ii) हर गाँव में, हर कस्बे में, हर शहर में
   iii) पैदावार, उत्पादन
   iv) दबाव की चार बार आवृत्ति

2) i) बात पर बल
   ii) अपील
   iii) कथ्य की स्पष्टता

3) i) दूसरे देशों, बाहर

की शक्तियों और अंदर की कमज़ोरियों से देश की सुरक्षा करनी है।

ii) अगर इसको दबाया नहीं गया, इसको उलटे रास्ते पर जाने न दिया तो मैं जानती हूँ कि यह भावना हमारे अंदर है।

iii) लेकिन हमारे बच्चे अपने रास्ते से उन सब दबावों को हटा सकते हैं और समाजवाद के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं।

iv) परिवार एक सर्वव्यापी संस्था है जो व्यक्ति और समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

v) बहुत से लोग उस धन को जो उनकी कमाई का नहीं होता, ऐसी चीज़ें खरीदने में खर्च करते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती ताकि उन्हें प्रभावित कर सकें जिन्हें वे पसंद नहीं करते।

4) i) हम आज़ादी की लड़ाई और शहीदों के त्याग और बलिदान को भूल गए हैं इसीलिए आज हम भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं।

ii) आज हमें सोचना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, जब तक हम अपना लक्ष्य तय नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही अँधेरे में हाथ–पाँव मारते रहेंगे।

iii) हम सभी को मिलकर नई राह बनानी है और अपनी समस्याओं का हल ढूँढना है।

5)

	एक वचन	**बहुवचन**
1)	दोस्त!	दोस्तो!
2)	कवि!	कवियो!
3)	छात्र!	छात्रो!
4)	बालिके!	बलिकाओ!
5)	खिलाड़ी!	खिलाडियो!
6)	रिक्शे वाले!	रिक्शेवालो!

MPDD-IGNOU/P.O. 92.8K/August, 2019

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ISBN : 978-93-89200-37-9